(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5] पंचम विधान सभा के पंचम सत्र का 10वां दिवस (पूर्वाद्ध) [संख्या 6

सोमवार

11-3-1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-06 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(पंचायत, जनस्वास्थ्य, राजस्व, वित्त, कृषि, सहकारिता, खनिज, स्वायत्त शासन, खाद्य, नगर विकास न्यास, योजना, नगर आयोजना, भूतल जल मण्डल, पशुपालन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामगोपाल।

कोटा डिवीजन में राजस्व मण्डल का कैम्प

86. **श्री रामगोपाल** (किशन गंज) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर का कैम्प राजस्थान के किस किस डिविजन में लगता है?

(2) क्या इस डिविजन में कोटा भी सम्मिलित है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस डिविजन में भी रेवेन्यू बोर्ड का कैम्प लगाने की व्यवस्था करेगी?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द) : (1) राजस्व मण्डल की बेंच इस समय केवल जयपुर में ही लगती है?

(2) जी नहीं। वित्तीय स्थिति को देखते हुये यह फिलहाल सम्भव नहीं है।

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जयपुर के अलावा राजस्थान के अन्य डिविजन हैं, क्या उनमें भी यह बेन्च लगता था?

श्री मूलचन्द : माननीय अध्यक्ष जी, सन् 1971 में एक निर्णय हुआ था, उसके अनुसार जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में इस प्रकार की बेन्च लगा करती थी।

श्री रामगोपाल : यह रेवेन्यू बोर्ड की बेन्च वहां लगनी चाहिये, क्योंकि पेन्डिग केसेज कोटा डिविजन के अधिक हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस बेन्च को समय समय पर कोटा में भी लगाया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : केसेज जोधपुर के ज्यादा हैं, मेरे ख्याल से।

श्री शंकरलाल (पाली) : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि जो यह रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी है उसको बिलकुल अबोलिश कर देना चाहिये और रेवेन्यू बोर्ड की बेन्च ही कायम कर देनी चाहिये। जो डिस्ट्रिक्ट्स में आर. ए. एस. आफिसर हैं वे आई. ए. एस. आफिसर को अपील

Page No. 2

2

(श्री शंकरलाल)
सुनते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। कम से कम कलक्टर की रेन्क के आदमी को सुनना चाहिये। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी, जो डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर है उसको हटा देना चाहिये। क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है ?

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पेन्डिग केसेज किस डिविजन के ज्यादा हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): पेन्डिग केसेज की सूचना अभी राज्य सरकार के पास नहीं है। रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी का प्रश्न अलग से है। केसेज के नम्बर को देखते हुए, लिटिगेन्ट की सुविधा की दृष्टि से बैन्च लगनी चाहिये। डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर, इस प्रिन्सिपिल पर राज्य सरकार में कोई मतभेद नहीं है। पहले सर्किट बेन्च जोधपुर, उदयपुर में लगा करती थी किन्तु बाद में वित्तीय कारणों से उसको डिसकन्टीन्यू करना पड़ा। इस समय दूसरे और चौथे सप्ताह में सर्किट बैन्च जयपुर में लगती है, जयपुर के अलावा कहीं नहीं लग रही है। जब कभी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और राज्य के वेज एण्ड मीन्स ठीक होंगे, उस स्थिति के होने पर जिसका आपने प्रत्यक्ष लक्षण बजट स्पीच में मिलेगा, उसके बाद ही....

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : जयपुर में जैसे आज भी बैन्च लगती है और जोधपुर, उदयपुर में नहीं लगती है, तो वित्तीय कारण तो सब जगह एक से होने चाहिये। सरकार की गरीबी का असर जोधपुर और उदयपुर में ही क्यों पड़ा, जयपुर के लिये क्यों नहीं ? जोधपुर और उदयपुर के लोगों की गरीबी को सरकार ने ध्यान में नहीं रखा। क्या सरकार इस बात को अनुभव नहीं करती है ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : जो पेन्डिग केसेज हैं, और लोग सफर कर रहे हैं, उसके लिये कोई दूसरा उपाय राज्य सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह राज्य सरकार सोचती है कि जो डिविजनल हैड क्वार्टर्स का काम है वह...

(अश्रव्य)

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : आपने कहा बजट स्पीच में लक्षण मिलेगा तो आपने मुलाहिजा कर लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं।

श्री शंकरलाल : क्या राज्य सरकार वित्तीय दृष्टि से रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी को हटा कर रेवेन्यू बोर्ड की बैंच स्थापित करने का विचार करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रश्न का परीक्षण वित्तीय दृष्टि से और अन्य कानूनी दृष्टि से नहीं किया गया है।

श्री पी. के. चौधरी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री मनोहर कोठारी : वित्तीय स्थिति जयपुर के लिये नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर लाल।

पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

87. **श्री शंकरलाल (पाली)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान की पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है और योजना की समाप्ति तक भी कुल कितने गांव शेष रह जावेंगे जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद): राजस्थान की पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल 3836 गांवों को पीने का पानी विभिन्न योजनाओं द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्त तक प्राथमिक अनुमानों के अनुसार 8330 गांव ऐसे हैं, बाकी रह जायेंगे जिनमें पीने का पानी या तो उपलब्ध नहीं है अथवा खारा है।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार इस स्थिति को सन्तोषप्रद समझती है कि आजादी के 32 साल समाप्त होने के पश्चात् भी 8330 गांव ऐसे रह जायेंगे जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार पुनः विचार करे और पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान के कोई गांव ऐसे न बचें कि जहां पीने के पानी की व्यवस्था न हो सके । चाहे राज्य सरकार को दूसरी योजनाओं में इसके लिये कटौती करनी पड़े। क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : सब योजनायें अपनी अपनी जगह पर हैं। किसी योजना में कटौती नहीं की जा सकती है। सिंचाई में कटौती करें तो वह भी सम्भव नहीं, औषधियों में कटौती करें, तो वह अभी सम्भव नहीं, सड़कों में कटौती करें, तो वह भी सम्भव नहीं है, पानी में करें तो वह भी सम्भव नहीं है, शिक्षा में कटौती करें तो वह भी सम्भव नहीं है। सभी योजनायें अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व रखती हैं। राजस्थान के सारे गांवों में जल प्रदाय योजना बनाने के लिये सन् 1971 के भावों के स्तर पर 201 करोड़ की जरूरत होगी। यह न राज्य सरकार के लिये सम्भव है और न भारत सरकार के लिये सम्भव है। अगली पंचम पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये 58 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया जाय और यह प्रावधान करवाने की कोशिश भी करेंगे। यह 58 करोड़ की ग्रामीण जल प्रदाय योजना में काफी बड़ा कदम है और इस कदम पर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पीने के पानी का महत्व सबसे ज्यादा है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा योजना मंत्री ने बताया यह सम्भव नहीं है, तो सम्भव तो सब कुछ है । राज्य सरकार के कई ऐसे खर्चे हैं जो फालतू हैं उन खर्चों में कमी करके क्या इस ओर ध्यान नहीं दिया जायगा ? और क्या यह भी सही है कि विधान सभा में एक प्रस्ताव यह भी पारित किया गया था कि

(श्री शंकरलाल)

राजस्थान में जल संकट निवारण करने के लिये एक बोर्ड का गठन किया जायगा ? यह प्रस्ताव विचार करके रखा था । मा. रघुनाथजी ने गैर-सरकारी संकल्प के जरिये इसको रखा था और वह पारित किया गया है। सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी का सवाल है। माननीय मंत्री महोदय को इसकी सूचना भी नहीं है कि विधान सभा में प्रस्ताव पारित हुआ और 2–3 दिन की बहस के बाद राज्य सरकार ने मंजूर किया था कि बोर्ड का गठन किया जायगा।

श्री दीपंकर : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पंचायत समिति के अनुसार एक भी गांव पीने के पानी की योजना में लेने का निर्णय किया था । वह रिजेक्ट हुआ या क्या हुआ ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : बोर्ड का क्या हुआ ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बोर्ड के गठन के बारे में गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया था। यह रिजोल्यूशन पारित हो गया था और सरकार ने मान्यता दे दी थी। जैसा आपने अभी कहा 201 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी तो मेरा निवेदन है कि पीने के पानी की समस्या को कब तक हल किया जायगा ? पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तो यह समस्या हल हो जायगी ?

श्री चन्दनमल वैद : अगर बोर्ड के बारे में प्रश्न पूछना था तो वह अलग से पूछते ताकि मैं उसकी जानकारी लेकर आता। जो प्रस्ताव विधान सभा ने पारित किया है उसको ही यदि आप लेते हैं, तो बोर्ड बन जाने से ही कुछ नहीं होता है। समस्या के हल के लिये साधन कहां से आयेंगे ? राजस्थान के सारे गांवों की समस्या के लिए 201 करोड़ रुपये जब तक नहीं मिलेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो पायेगी। पंचम पंचवर्षीय योजना में 58 करोड़ उपलब्ध होंगे, ऐसा हमने प्रस्ताव किया है और अभी तक वह प्रस्ताव मन्जूर या नामन्जूर होने की स्थिति में नहीं है क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना अभी तक पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हुई है। यदि 58 करोड़ रुपये हमारे मन्जूर हो भी जाते हैं तो कितने वर्ष लगेंगे यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह सन् 1971 के प्राईसेस पर कह रहा हूं कि 201 करोड़ रुपये हमारे पास एकमुश्त हों तो हम सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं लेकिन जैसे कि प्राइसेस बढ़ रही हैं उसके हिसाब से जलदाय योजनाओं की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं तो 201 करोड़ का जो अनुमान लगाया था वह आज किस स्थिति पर पहुंच गया होगा उसका मैंने अनुमान नहीं लगाया है, लेकिन 200 की जगह 300–350 करोड़ पर पहुंच गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए यह कहना कि बोर्ड बनाने पर स्थिति का हल हो जायेगा यह मैं नहीं मानता, लेकिन स्थिति गम्भीर होने से यह मानूंगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जहां इस कार्य के लिए कुल 34 करोड़ रुपये खर्च किये थे, उसकी जगह 58 करोड़ खर्च करने की सोच रहे हैं। तो इस स्थिति को हल करने की दिशा में हम जा रहे हैं लेकिन गम्भीर होते हुए सारी स्थिति

(श्री चन्दनमल वैद)
को एक साथ हल कर सकते हों ऐसा सम्भव नहीं है।

(श्री शंकरलाल एवं श्री दीपंकर के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, कि बोर्ड से उस समस्या का हल कैसे हो जायेगा इसके बारे में मैं कहूंगा कि पहला प्रश्न तो यह है कि जब विधान सभा के अन्दर प्रस्ताव पारित कर लिया तो उसके ऊपर सरकार क्रियान्वित नहीं कर रही है यह विधान सभा की एक प्रकार से अवहेलना है। दूसरे बोर्ड बन जाने से सरकार के अलावा दूसरे लोग जो दानीमानी हैं, वह सरकार की और बोर्ड की मदद कर सकते हैं। आपने विधान सभा के प्रस्ताव को जो पारित हुआ है, उसको क्रियान्वित नहीं करके अवहेलना की है।

श्री अध्यक्ष : Should I expect this from a senior member like you?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का सरकार द्वारा सही उत्तर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : Next question, Shri Deepankar.

नगरपालिका क्षेत्र, लाडनूं की सडकों की मरम्मत

88. **श्री दीपंकर (लाडनूं) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं पालिका क्षेत्र की सभी सड़कें टूटी हुई हैं और उनकी दुरुस्ती के लिए राज्य सरकार से ऋण और अनुदान मांगा गया था परन्तु नहीं दिया गया? अगर हां, तो इसका क्या कारण है?

(2) क्या राज्य सरकार के पास अब भी सड़कों की दुरुस्ती के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? अगर हां, तो नगरपालिका को कब तक रकम दी जा सकेगी और उसकी तादाद क्या होगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) सड़कें टूटी हुई हो सकती हैं। नगरपालिका ने अनुदान की मांग की है ऋण की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

नगरपालिकाओं को ऋण देने का इस वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं है। सड़कों एवं निर्माण कार्यों के लिए चालू वर्ष में 5 लाख रुपये का प्रावधान है परन्तु सरकार ने आर्थिक मितव्ययता की दृष्टि से इस पर रोक लगा रखी है।

नगरपालिका से सड़कों की दुरुस्ती के लिए अनुदान देने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है परन्तु उपरोक्त स्थिति में देना सम्भव नहीं है।

(2) प्रश्न के भाग 1 में उत्तर दे दिया गया हैं।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि वह इस साल के बारे में बता रहे हैं कि नगरपालिका ने अनुदान और ऋण नहीं मांगा, या इससे पहले भी नहीं मांगा? दूसरा प्रश्न

(श्री दीपंकर)

यह है कि जब कि सरकार से इस तरह की योजनाओं में पालिकाओं को पैसा दिया जाता है, इस आशा के साथ वहां पर लाडनूं नगरपालिका ने क्या कोई दस बारह सड़कें बनाई हैं जिससे ऋण और अनुदान नहीं मिलने से उनकी हालत खराब है ? अब तो सरकार ने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर कर रखा है, इसलिए उसको क्या आदेश दिये जा रहे हैं जिससे उनकी दुरुस्ती कराई जा सकती है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यही अनुमान लगाया जा रहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के बारे में जानकारी चाही है और उसी के सम्बन्ध में उत्तर दिया है कि ऋण की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। अनुदान की मांग प्राप्त हुई है। जहां तक नगरपालिकाओं को अनुदान देने का प्रश्न है, 5 लाख रुपये का प्रावधान है और मैंने वित्त मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और वहां की सड़कें टूटी हुई हैं उनको देखते हुए जो 5 करोड़ रुपये का प्रावधान था उसके ऊपर पुनर्विचार करें और चालू वित्तीय वर्ष में जो कि मार्च में समाप्त हो रहा है, अधिक प्रावधान रखने की कृपा करें। मैंने प्रस्ताव वित्त मंत्री महोदय को भेजा है और उनके विचाराधीन है।

श्री दीपंकर : मंत्री महोदय जो स्वीकृति देंगे उनमें प्राथमिकता इस पालिका को दी जायेगी क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह नहीं कहा जा सकता। नियमानुसार आपकी कोई मांग होगी तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भूराराम।

आबू रोड तथा पिंडवाड़ा तहसीलों में भूमि का अलॉटमेंट

89. **श्री भूराराम (आबू) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व विभाग ने पेटा काश्त (नदियों, नाडियों, तालाबों) की भूमि अलाटमेंट करने का कौनसा समय व महीना निर्धारित किया है ?

(2) आबू रोड-पिंडवाड़ा दोनों तहसीलों में पेटा काश्त का अलाटमेन्ट सन् 1973-74 में कौन कौन से महीनों व तारीखों को हुआ ?

(3) कितने कितने काश्तकारों को उक्त दोनों तहसीलों में पेटा काश्त की भूमि आवंटित की ? कितने काश्तकारों को भूमि नहीं मिली ? क्या ऐसे काश्तकारों पर नाजायज कब्जों की कार्यवाही चल रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द) : (1) पेटा काश्त (नदियों, नाडियों, तालाबों) की भूमि आवंटन करने के लिए नियमों में कोई निश्चित समय व महीना निर्धारित नहीं है, लेकिन आवंटन फसल बुवाई के पूर्व प्रायः माह सितम्बर एवं अक्टूबर में आवंटन किया जाता है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(राज्य मंत्री, राजस्व)

(3) तहसील आबू रोड व पिंडवाड़ा में कुल 739 भूमिहीनों को 504.34 एकड़ भूमि आवंटन की गयी है। 179 कृषकों के प्रार्थना-पत्र नियमों के अन्तर्गत भूमिहीनों की परिभाषा में न आने के कारण खारिज किये गये। ऐसे कृषकों को जिन्होंने अनाधिकृत रूप से काश्त की, उनके विरुद्ध तहसील कार्यालयों द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। सूची 'ख' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री भूराराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तहसील पिंडवाड़ा में नदियों और तालाबों की पेटे की भूमि में काश्तकारों द्वारा खेती की गयी और वहां के गिरदावर श्री सूरजप्रकाश और वहां के स्थानीय तहसीलदार पिंडवाड़ा के मिलीभगत से इन काश्तकारों से सौ-सौ रुपया रिश्वत लेकर खेती करवाई गयी और बाद में अलाटमेन्ट नवम्बर, दिसम्बर महीने में करवाया गया और उन काश्तकारों को जिनसे उन्होंने रिश्वत ली और खेती करवाई उनके नाम से भूमि आवंटन नहीं हुई और फिलहाल भी नीलाम करवाई गयी और काश्तकार अभी भी रोते हुए फिर रहे हैं। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : (श्री भूराराम के खड़े रहने पर) आप बैठ जाइये।

श्री विजयसिंह (मांडल) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विचार रखती है कि जिन नदियों और तालाबों के पेटे खेती है उनको अलाट करने की कोई मियाद फिक्स करेगी?

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन साधारणतया सितम्बर के अन्त तक या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक रबी फसल की बुवाई के पूर्व आवंटन हो जाना चाहिए। कानून में ऐसा तो प्रावधान नहीं है लेकिन इस पर विचार किया जायेगा कि आया यह कानून में प्रावधान किया जा सकता है क्या। जहां तक आबू रोड से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां के किसी गिरदावर, जिसका नाम सूरतप्रकाश बताया, और तहसीलदार का भी नाम लिया और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सौ-सौ रुपया रिश्वत लेकर पूर्व में लोगों को काश्त करने की अनुमति दे दी और उसके बाद में अलाटमेन्ट नहीं किया–राज्य सरकार इसको गम्भीर आरोप मानती है और मैं आज ही जिलाधीश के द्वारा इस आरोप की जांच करवाने के आदेश दे रहा हूं।

श्री विजयसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि नदियों के पेटे में खास तौर से पेशेवर काश्तकार बोते हैं, और अगर इनको जमीन नहीं दी जाती है और दूसरे लोगों को देते हैं तो नदियों के पेटे में आने वाली जमीन फालतू पड़ी रहती है। क्या सरकार नियमों में परिवर्तन करना चाहती है, उसमें इस तरह का कर सकती है कि जो लोग पेशेवर खेती कर सकते हैं उन्हीं को जमीन अलाट करने की सरकार सोचेगी?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो अलग से प्रश्न है। राजस्थान बहुत बड़ा भूभाग है एरिया के लिहाज से, और कौन सा पेटा रह गया जिसमें काश्त रह गयी यह सूचना राज्य सरकार के पास में वर्तमान में नहीं है, लेकिन आइन्दा से जो प्राफेशनल हैं किसी काम के अन्दर उन्हीं को दी जाये, दूसरों को नहीं दी जाये, यह प्रश्न ऐसा है जिसका मैं अभी वर्तमान में उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि इसके कई इन्टरप्रिटेशन हो सकते हैं।

प्रश्न सं. 90

श्री अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रासिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्री गुरुदयालसिंह।

पदमपुर तहसील में रसायनिक खाद का वितरण

91. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर में दिसम्बर में रसायनिक खाद कब कब, किस किस को व कितनी 2 दी गई ?

(ख) क्या यह सच है कि कि तहसील पदमपुर में विभाग अधिकारी ने रसायनिक खाद के वितरण में भयंकर पक्षपात किया है ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर):
(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसी कोई जानकारी विभाग को नहीं है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, इस सूची के आधार पर मैं आपको नाम बतलाऊंगा जिससे पता चलेगा कि ये लोग पदमपुर पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर हैं ही नहीं। जैसे नम्बर दो और तीन हैं एफ. एफ. ए. ये दो पदमपुर में हैं। जैसे नम्बर 13 ए. एफ. एफ. ये करणपुर में हैं····

श्री शिवचरण माथुर : आप अलग से बता दीजिए, जानकारी कर लेंगे।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं आपको बता रहा हूं··

श्री अध्यक्ष : यहां पर तो सप्लीमेंट्री बता दें, सम्मी चीज चेम्बर में बता दें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : चालीस पचास नाम ऐसे दिए गए हैं इसी सूची में जो पंचायत समिति पदमपुर के क्षेत्र में नहीं हैं तो उनको किस आधार पर खाद दे दी गई है जो 10-12-73 और 17-12-73 को दी गई है ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, आपने पक्षपात वाली बात कह दी है जो

Page No. 9

(श्री शिवचरण माथुर)
जानकारी में नहीं है। आप अलग से बता दीजिए कि किस मामले में पक्षपात हुआ है। हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आप बता देंगे तो जानकारी कर लेंगे।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, लोगों के गलत नाम लिख कर खाद ब्लेक में बेच दी गई है। जो सूची में नाम दिए हैं ये क्षेत्र के नाम ही नहीं हैं। मैं इसी सूची के आधार पर चालीस, पचास के नाम दे सकता हूं जो पदमपुर तहसील के रहने वाले नहीं हैं, उनके नाम जाली लिखे गये हैं और उनके नाम का खाद ब्लेक में बेचा है और 120 रुपये थैला में बेचा है।

श्री शिवचरण माथुर : आप सूची दे दें।

प्रश्न सं. 92

श्री अध्यक्ष : श्री जगकिशनलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री मीठालाल।

श्री शिवचरण माथुर : पहले मोहर सिंह जी का है।

श्री अध्यक्ष : यस, पहले 93 है। श्री मोहरसिंह।

चूरू जिले में पेय जल की व्यवस्था

93. **श्री मोहरसिंह (चूरू) :** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

चूरू जिले के उत्तरी हिस्से में जहां पीने का पानी भूतल में नहीं है उन गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): चूरू जिले के उत्तरी हिस्से में तहसील तारानगर, राजगढ़ व तहसील नोहर के 239 ग्रामों को राजस्थान नहर से पानी देने की योजना बनाई जा रही है। जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहरसिंह : यह काम कब तक शुरू हो जावेगा?

श्री चन्दनमल बैद : अभी तो योजना बनाई जा रही है, उसके बाद धन की उपलब्धि देखी जायेगी और फिर काम शुरू किया जा सकेगा।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : यह योजना केवल उत्तरी हिस्से के लिए ही है या दूसरे हिस्से के लिए भी है?

श्री चन्दनमल बैद : अभी तो उत्तरी हिस्से की योजना बनाई जा रही है इसके बनने के बाद ही दूसरे हिस्से की योजना बनाने पर विचार किया जा सकता है।

श्री लूणाराम : आपने जो यह उत्तर दिया है कि तारानगर, राजगढ़ व तहसील नोहर के लिए योजना बनाई जा रही है तो यह तो उत्तर-पूर्वी हिस्सा है जब कि हम जानना चाहते थे उत्तरी हिस्से के बारे में, जिसका आपने कोई कोई उत्तर नहीं दिया है। इसलिए कृपया उत्तरी हिस्से के बारे में स्पष्ट उत्तर दें।

श्री दीपंकर : चूरू जिले के बारे में ही एक और प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें...

(श्री दीपंकर और श्री चन्दनमल बैद एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री दीपंकर : चूरू जिले को पानी देने की क्या योजना है ?

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न पूछने की कृपा करें।

अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

चावल व दाल मिलों को विशेष छूट

94. **श्री मीठालाल** (सालसोट): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य की चावल व दाल मिलों को राज्य सरकार ने आवश्यक कच्चा माल 1500 क्विन्टल तक रखने की विशेष छूट दी है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि एक होलर वाली राइस मिल, जिसकी उत्पादन क्षमता दस बोरी प्रति दिन से अधिक नहीं है, उसे भी पन्द्रह सौ क्विन्टल की छूट है तथा वे राइस मिलें, जिनकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन लगभग पांच सौ क्विटल से अधिक है तथा सेला (डेल्ड) राइस मिलें जिनकी केवल पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया के लिए ही लगभग तीस सौ क्विंटल कच्चे माल (धानी डं) की आवश्यकता होती है, उन्हें भी केवल पन्द्रह सौ क्विन्टल कच्चा माल रखने की छूट दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश व जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर ने भी सेला राइस मिलों के लिए तीन हजार क्विंटल से अधिक कच्चे माल रखने की सिफारिश की है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पन्द्रह सौ क्विन्टल की मात्रा निर्धारित करने के उपरान्त गंगापुर सिटी, कोटा व हनुमानगढ़ टाउन सेला राइस मिलों की उत्पादन क्षमता में गिरावट आई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अधिकाधिक उत्पादन वृद्धि वाली नीति को ध्यान में रख कर उक्त सेला राइस मिलों को उक्त निर्धारित मात्रा से छूट देगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां, चावल व दाल मिल के दैनिक कार्य में बाधा उत्पन्न न हो इसलिए उन्हें 1500 क्विन्टल तक कच्चा माल रखने की छूट प्रदान की गई।

(2) मिलों का दैनिक कार्य अवरुद्ध न हो इसलिए अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए समान मात्रा में छूट दी गई। सेला राइस मिल का उत्पादन भी 1500 क्वि. की छूट के पश्चात् अवरुद्ध नहीं होता है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। उत्पादन क्षमता में गिरावट की सूचना प्राप्त नहीं होने के परिणाम स्वरूप उक्त निर्धारित मात्रा से अधिक छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि इसको कोई होर्डिंग एक्ट के तहत न लेकर आप कारखानों का उत्पादन बढ़े उस नीति से इस चीज को सोचें। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में निवेदन किया गया था कि सैला राइस मिलों को 3500 क्विंटल कच्चे माल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, और चौथे प्रश्न के बारे में आपने कहा है कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना तो आपको प्राप्त करनी चाहिए कि उत्पादन बढ़ा है या घटा है। जैसा कि आपने इसमें यह भी फरमाया है कि जिलाधीश और जिला रसद अधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं आपको निवेदन करूं कि जिस समय आप 1500 क्विन्टल की सीमा बांध रहे थे उस समय आपके फूड कमिश्नर ने ऐसी सूचना मांगी है कि सैला राइस मिल वालों को कितना कच्चा माल रखने की छूट होनी चाहिए जिससे उत्पादन में दिक्कत नहीं आए। मैं पक्के माल के लिए नहीं कहता कि आप कितनी सीमा रखें। आप चाहे तो डेढ़ सौ क्विण्टल से भी कम कर दें लेकिन इस सीमा से कुछ मिलों का उत्पादन घटा है और उनके सामने समस्या है। सैला चावल मिल वालों को रोजाना तीन चार हजार क्विन्टल कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कुछ मिलें ऐसी हैं जैसे होलर वाली और कुछ दूसरी जिनके अन्दर 50 क्विन्टल का ही उत्पादन है उनको भी आपने 1500 क्विन्टल कच्चे माल की छूट दे दी है और जिनको तीन हजार क्विन्टल की जरूरत होती है उनके लिए भी आपने पन्द्रह सौ क्विण्टल की छूट रखी है तो यह आपका आदेश अनुचित है। मेरा निवेदन करना है कि आप इस पर पुनर्विचार करके निर्णय लें जिससे चावल मिल वालों को उत्पादन में दिक्कत न हो।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जहां तक यह प्रश्न है कि कच्चे माल की अधिक छूट देनी चाहिए यह सिद्धान्ततः ठीक है कि जितनी बोइल्ड मिल वालों को कच्चे माल की रोजाना आवश्यकता है उतनी उनको छूट होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है जब 150 क्विन्टल की सीमा रखी गई थी तो कुछ राइस मिल वाले मेरे पास आए थे और उन्होंने यही कहा था कि अगर यह सीमा 1500 क्विन्टल की कर दी जाय तो हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद में जिन जिलों में राइस मिलें थीं वहां के जिलाधीश और जिला रसद अधिकारी से भी जानकारी चाही गई थी कि राइस मिलों को प्रोसेस में कितने माल को रखने की छूट देनी चाहिए जिससे कि उनका काम न रुके। हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने भी 1500 क्विन्टल कच्चा माल रखने की छूट देने की बात कही थी और वह दे दी गई। कुल मिला कर अगर उनको अभी भी इसमें दिक्कत है तो इस पर ओपन माइन्ड से विचार करने को तैयार हैं। यह बात सही है कि जितने माल की प्रोसेसिंग में आवश्यकता है वह रहना चाहिए और उसी आधार पर मिल वालों से बात करने के बाद ही 1500 क्विन्टल की सीमा रखी गई और आज भी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस सीमा के बढ़ाने के

(श्री शिवचरण माथुर)

बाद प्रोडक्शन में किसी प्रकार की हानि हुई हो या कोई मिल बन्द हो गई हो, इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है। यदि आपको जानकारी हो तो आप बता दीजिए, और विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर जिले में सारौली की लीजें

95. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम छीतर का पार, जिला बाडमेर के पास स्थित घोलपालिया नाडी के पास वाले एरिया की सारौली की लीज किस प्राईवेट पार्टी को दी गई ?

(2) क्या उक्त एरिया में सारौली के साथ 2 जिप्सम भी निकलता है ? यदि हां, तो किस मात्रा में ?

(3) उक्त एरिये की सर्वे रिपोर्ट एवं लीज देने की सिफारिश किस अधिकारी ने की ?

(4) क्या राज्य सरकार का यह निर्णय लिया हुआ है कि जिप्सम की लीज किसी प्राइवेट पार्टी को न दी जावे ? यदि हां, तो कब से और क्या उक्त निर्णय का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण रहे हैं ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझार सिंह) : (1) जिला बाडमेर स्थिति छीतर का पार ग्राम के पास 485.216 हैक्टर क्षेत्र में सेलेनाइट की लीज सर्वश्री नूतन भारत इण्डस्ट्रीज, बड़ौदा को प्रदान की गई है।

(2) सेलेनाइट के साथ जिप्सम की उपलब्धि की सम्भावना रहती है। मात्रा की जांच विस्तृत सर्वेक्षण व खुदाई के बाद ही बतलाना सम्भव है।

(3) खनिज अभियन्ता, जोधपुर ने प्राथमिक सर्वेक्षण किया है। लीज राज्य सरकार के आदेश से व राज्य सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार एवं भारत सरकार की अनुमति से दिया गया है।

(4) राज्य सरकार का सन् 1963 से यह निर्णय है कि जिप्सम की लीज प्राईवेट पार्टी को न दी जावे। परन्तु सेलेनाइट के लिए अगस्त, 1970 के निर्णय के अनुसार प्राइवेट पार्टी को निम्न दो शर्तों पर लीज दी जा सकती है:—

(1) लीज देने के एक वर्ष के अन्दर इस खनिज पर आधारित उद्योग लगाया जावे।

(2) यह खनिज क्षेत्र केप्टीव माइन्स के रूप में ही काम में लिया जावेगा।

राज्य सरकार के निर्णय का पालन किया जा रहा है। उक्त लीज राज्य की निर्धारित नीति के तहत ही दी गई है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो सेलेनाइट की लीज दी गई है इसमें जिप्सम भी निकलता है। मात्रा के बारे में कहा गया है कि इसकी कोई जांच नहीं कराई गई। जहां तक मुझे जानकारी है इसमें जिप्सम 50 से 75 प्रतिशत तक

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

निकलता है और उस जिप्सम को, गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे रखा है। और नियम भी बनाया है कि जिप्सम को बेचा न जाय, परन्तु पार्टी जिप्सम बेच रही है। इस सम्बन्ध में जांच कराई जावे कि वह जिप्सम बेच रहा है या नहीं, और अगर वह कन्डी–शन तोड़ रहा है तो उनकी लीज रद्द की जानी चाहिए।

श्री जुझारसिंह : इसकी जानकारी की गई है और जानकारी करवा ली जायेगी। उनको जिप्सम बेचने की इजाजत नहीं है। अगर वह उसका बेचान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ इन्क्वायरी कराके कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोटेवाला।

जयपुर में ट्रक स्टेण्ड एवं धान मण्डी निर्माण कार्य

96. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर शहर में नगर विकास न्यास की तरफ से ट्रक स्टेण्ड हेतु कोई प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो अब तक उस पर कितनी राशि खर्च हो चुकी है। और ट्रक स्टेण्ड योजना को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि घाट गेट के बाहर नगर विकास न्यास की ओर से धान मण्डी की योजना बनी थी ? यदि हां, तो इस योजना पर अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है ? तथा इस योजना की क्रियान्विति में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां, ट्रक स्टेण्ड योजना पर विकास कार्यों हेतु जनवरी, 1974 तक रु. 13,80,177.03 की राशि व्यय की जा चुकी है। इस योजना में भूमि के समतल कराने (कब्रिस्तान के निकट की भूमि के अलावा) सड़क निर्माण एवं डिमार्केशन आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा योजना में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था करने का कार्य प्रगति पर है। इस योजना में प्रस्तावित 160 भू-खण्डों में से 100 भू-खण्डों का नीलामी द्वारा विक्रय किया जा चुका है।

(2) जी नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि यह योजना प्रारम्भ किस वर्ष की गई थी ? मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का जो उत्तर 'जी नहीं' दिया गया है, मेरा निवेदन है कि पहले मेरे द्वारा ही इस बारे में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि बातचीत चल रही है। जो अभी उत्तर दिया गया है, यह उत्तर नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : सूरजपोल गेट के बाहर योजना बनाई गई है। घाट गेट के बाहर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : घाटगेट के बाहर तो है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह योजना 7-12-70 को राज्य सरकार को दी गई थी।

Page No. 14

(14)

(श्री रामनारायण चौधरी)
यह मामला राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। निर्णय होने पर ही आगे कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दो का उत्तर चाहिए था। 7-12-70 से विचाराधीन है तो क्या 7-12-74 तक फैसला कर देंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कृषि मन्त्रीजी से बातचीत करके अविलम्ब निपटाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अविलम्ब कब तक? साढ़े 3 वर्ष से नहीं निपटाया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : जल्दी कर दिया जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जल्दी आखिर कब तक?

एक माननीय सदस्य : आप धान मण्डी में इतने इण्टेरेस्टेड हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं सभी में इण्ट्रेस्टेड हूं। मेरा निवेदन है कि जो जमीन पड़ी हुई है, उस पर अन्-अथोराइज्ड कब्जा नहीं हो जाये। कोई उस पर कब्जा नहीं कर ले। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार कब तक कदम उठायेगी?

रामनारायण चौधरी : यह योजना 12-3-69 को स्वीकार की थी। इसमें लोकल सेल्फ सेक्रेटरी और होम डिपार्टमेन्ट से विचार करके ट्रक स्टेण्ड का काम चालू किया जायेगा। ट्रक रास्तों में खड़े रहते हैं। उनकी व्यवस्था की जायेगी। अकेले लोकल सेल्फ से ही काम नहीं हो सकेगा। बातचीत करके इसको जल्दी ही करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कब तक हो जायेगी? 8 वर्ष तक योजना क्रियान्वित नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : Next Question.

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 1965 में आवंटन हुई थी। यह उनको भूमि दी गई है। डेढ़ वर्ष में क्या सड़कों का विकास करने का प्रावधान नहीं किया गया था? उसकी पालना नहीं करें। जिनको जमीन दी गई थी उनको बिना नोटिस दिये ही कैंसिल कर दें। यह क्यों कैंसिल कर दो? इसका उत्तर देंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इम्पोर्टेण्ट प्रश्न है। 8 साल से यह नहीं हुआ है, यह मानता हूं। आप स्वयं की बात कर रहे हैं। मैं जयपुर सिटी से आने वाले माननीय सदस्यों को साथ लेकर, विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर इस प्रश्न पर निर्णय करूंगा। इस पर विभाग द्वारा अविलम्ब कार्यवाही होगी।

श्री मीठालाल : मीटिंग के टाइम का दोनों सदस्यों को भत्ता भी दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : Next question.

Page No. 15

(15)

मनोहरथाना क्षेत्र को प्रोजेक्ट एरिया घोषित करने की योजना

97. **श्री भैरूलाल (अकलेरा)** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र को प्रोजेक्ट एरिया घोषित किये जाने हेतु सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसको अन्तिम रूप दिया जाकर कार्य प्रारम्भ करा दिया जावेगा ?

योजना मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरूलाल : क्या इस पंचायत समिति क्षेत्र के बारे में सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन नहीं है ?

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक ए.आर.सी. का सवाल है, आपको तहसील को सौंपने का काम चल रहा है । प्रोजेक्ट एरिया को सौंपने का काम नहीं है ।

प्रश्न संख्या 98

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री भानुकुमार शास्त्री !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
Next.

सोडाला की आराजी भूमि का बेचान

99. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर)**:— क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदार ठिकाना सामोद तहसील आमेर रावल राजेश्वरसिंह ने सीलिंग कानून के तहत अधिगृहीत शहर जयपुर के नगरपालिका क्षेत्र सोडाला की आराजी को लाखों रुपयों में धामाणी एण्ड कम्पनी को विक्रय कर दी व उक्त आराजी में स्थित श्री वैकुण्ठनाथ सार्वजनिक मन्दिर की सम्पत्ति भी विक्रय कर दी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत एस.डी.ओ. आमेर के निर्णय दिनांक 16-11-69 के अनुसार अब तक उपरोक्त आराजी का कब्जा अधिकारियों ने नहीं लिया व उक्त लाखों रुपयों की आराजी का अवैधानिक विक्रय के नामान्तरकरण कानून के खिलाफवर्जी करके खोल दिये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मन्त्री (श्री मूलचन्द मीणा) : जी हां, यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदार ठिकाना सामोद तहसील आमेर रावल राजेश्वरसिंह ने नगरपालिका क्षेत्र सोडाला की आराजी को बेचा है ।

(1) सीलिंग कानून के अन्तर्गत एस.डी.ओ. का निर्णय 16-11-69 का न होकर 30-10-71 का है । राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने से एस.डी.ओ. आमेर ने कब्जा लेने के आदेश नहीं दिये थे । नियम विरुद्ध नामान्तरकरण खोलने के बारे में जांच की जा रही है नियम विरुद्ध पाये जाने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं। लेकिन मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि क्या वह इस बात को सही मानते हैं? क्या सीलिंग कानून आपने नहीं लागू कर दिया? और यह बेचान उसके बाद में किया गया है। यह जो मनमानी की गई है, उसके बारे में क्या कहना है?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह बात सही है कि सामोद के रावल राजेश्वरसिंह ने बेचान किया। लेकिन रिजम्पशन का फैसला सीलिंग कानून ने नहीं दिया। रिजेक्शन आर्डर दे दिया था। कारण यह है कि हाई कोर्ट में रिट चल रही थी। इसलिए पजेशन का आर्डर दिया गया कि पजेशन नहीं लिया जाये। हाई कोर्ट का फैसला होगा, इसलिए। वह कम्युनिकेट होने के बाद, 31 अक्टूबर, 1973 का वह कण्डीशनल आर्डर है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : अक्टूबर, 1973 के बाद क्या कार्यवाही इस मामले में की है? अक्टूबर, 1973 में हाई कोर्ट का फैसला कम्युनीकेट हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : कण्डीशनल आर्डर था। लेकिन ऐसा आर्डर नहीं हो तो भी सीलिंग कानून के अन्तर्गत जो बेचान किया गया है, इसको कानून रिकाग्नाइज नहीं करता है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : पूछनी है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : हाई कोर्ट का आर्डर होने के बाद पजेशन नहीं लिया, इसके लिये दोषी अधिकारियों पर माननीय मन्त्री महोदय और सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, मेरी यह मांग है। जिन लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया है, जिनमें वर्तमान जयपुर तहसीलदार श्री गेंदालाल भी शामिल हैं, सामोद ठिकाने में इसके बाप कामदार थे, उन्होंने सरकार की तरफ से पैरवी करने के बजाय ठिकाने की तरफ से पैरवी की और वह भी पटवारी की रिपोर्ट के बावजूद कि यह सीलिंग में आई हुई जमीन है, इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए कार्यवाही की जाय। मेरे पास कागज मौजूद हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या मन्त्री महोदय ऐसे अधिकारियों को तुरन्त सस्पेंड करके उनके खिलाफ एक्शन लेंगे?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : स्टे आर्डर हाई कोर्ट से इस बात का था कि कब्जा न लें, लेकिन म्यूटेशन उसके बाद भी खोले गये। तो यह गलत काम आपके अधिकारियों ने किया और 1969 में फैसला हुआ तो चार साल में जांच करके क्या कार्यवाही की? दूसरी बात अक्टूबर 1973 में स्टे वेकेट हो गया, उसके बाद 6–7 महीने गुजर गये, इस अवधि में कोई स्टे नहीं है, कन्डीशनल आर्डर भी वेकेट हो गया, फ्रेश आर्डर पास करना चाहिये, वह पास क्यों नहीं किया गया?

श्री परसराम मदेरणा : एस. डी. ओ. का फैसला 30-10-71 को हुआ है, 1969

(श्री परसराम मदेरणा)
में नहीं। जहां तक म्यूटेशन्स रेग्यूलर हुए हैं इस सम्बन्ध में जांच चल रही है, जांच के आदेश दिये जा चुके हैं, कलक्टर स्वयं इसको देख रहे हैं। गलत हुए हैं तो रेफरेंस करना, म्यूटेशन कैंसिल करवाना, इस तरह की कार्यवाही चालू है। एस.डी.ओ. का जो कन्डीशनल आर्डर था, हाई कोर्ट में स्टे वेकेट हो गया उसके बाद दूसरा आर्डर क्यों नहीं किया, इस बात का परामर्श उन्हें दिया गया है। पहले जिसने आदेश दिया था वह दूसरा व्यक्ति था। मैं समझता हूं कि जल्दी वह इसमें आदेश पास कर देंगे।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : जांच के आदेश आपने कब दिये ?

श्री परसराम मदेरणा : जांच के आदेश जिलाधीश ने दिये, शिकायत आई राज्य सरकार के पास में, राज्य सरकार ने कलक्टर के पास भेजी, कलक्टर ने तथ्य मंगाये और जांच के आदेश दिये।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा बैंकों में जमा कराई गई धनराशि

100. श्री **निरंजन नाथ आचार्य** (मावली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कृषि उद्योग निगम राजस्थान द्वारा 1 अप्रेल 1971 से लेकर अब तक किस किस बैंक में किस किस रूप में कितनी कितनी धनराशि कब कब डिपोजिट कराई गई ? कृपया एक लाख रुपयों से ऊपर की ऐसी धनराशि की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को किस किस बैंक में किस किस रूप में कितना कितना रुपया जमा था ?

(3) बैंकों में रुपया जमा कराने एवं खाता खोलने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अब तक निगम को किस किस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं ? कृपया ऐसे निर्देश की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि जिन बैंकों से निगम द्वारा लेन देन किया जा रहा है, उन बैंकों द्वारा अन्य बैंकों की तुलना में कम ब्याज दिया जाता है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) :
(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा 1 अप्रेल, 1971 से अब तक जिस जिस बैंक में जितना जितना रुपया जब जब जमा कराया गया है, उनमें से एक लाख रुपये से ऊपर की धनराशियों की सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक तिमाही को अंतिम तारीख को जिस जिस बैंक में जितना जितना रुपया जमा था उसकी सूची (परिशिष्ट ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) बैंकों में रुपया जमा कराने एवं खाता खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश निगम को दिए गए हैं उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(श्री शिवचरण माथुर)

(4) जी नहीं। राष्ट्रीयकृत व व्यवसायिक बैंकों की ब्याज दरें साधारणतया बराबर हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

पेन्शन में सुविधा

101. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1973-74 में पेन्शन प्राप्त करने वाले कुल कितने व्यक्ति हैं ?

(2) क्या पेन्शन प्राप्त करने के नियमों की जटिलता के कारण अधिक समय लगता है ? यदि हां, तो इनमें क्या सुधार किये जा रहे हैं ?

(3) क्या पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और संतानों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार बढ़ती हुई मंहगाई के कारण पेंशन राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री चंदनमल बैद) : (1) वांछित सूचना प्राप्त करने में पर्याप्त समय लगेगा।

(2) जी नहीं। पेन्शन के मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन किये जाते रहे हैं।

(3) जी हां। राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क सुविधा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उपलब्ध है। पेन्शनर्स नागरिक हैं और उनकी सन्तानों को शिक्षा सुविधायें वही प्राप्त हैं जो अन्य नागरिकों की सन्तानों को उपलब्ध हैं।

(4) इस विषय में केन्द्रीय सरकार से तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों एवं उन पर लिए गए निर्णयों के बारे में आवश्यक विवरण मांगा गया है। अतः इस प्रश्न पर फिलहाल कुछ भी निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह बड़ा ही सुन्दर प्रश्न है और उन लोगों के संबंध में जो राजकीय सेवा में बरसों तक काम करते रहे हैं और उनको जो सुविधायें दी जाती हैं उनके लिए आपने कहा कि सूची नहीं है, वह तो समझ में आ गया। दूसरी बात आपकी दृष्टि में कोई केसेज हैं जिनकी पेन्शन तय होने में 4–4 साल लग जाते हैं ? वे दर दर ठोकरें खाते हैं लेकिन पेन्शन रकम तय नहीं होती।

दूसरी बात आपने कहा कि जो लोग रिटायर हो गए उन्हें चिकित्सा दी जाती है, यह सही नहीं है। चिकित्सा सुविधा न उनको न उनके परिवार वालों को दी जाती है, न उनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि पेन्शनर्स को अस्पताल में मुफ्त में दवाइयां मिल जाती हैं। मेरा निवेदन है कि मंहगाई उनको भी सताती है। जिन लोगों ने बरसों

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
तक राजकीय सेवा की। मंहगाई बढ़ती जाए तो उनका मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ायेंगे तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। प्रश्न बड़ा मानवीय है, सुन्दर है इसलिए उदारता के साथ इस पर विचार करें। आज बजट पेश होने वाला है, इस सम्बन्ध में घोषणा करके पेन्शनर्स को चिकित्सा सुविधा दें। एक आदमी रिटायर हो गया लड़की की शादी कहां से करेगा, परिवार को कहां से चलायेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने सुन्दर प्रश्न का सुन्दर जवाब दिया था। लेकिन मेरा जवाब यदि सुन लेते तो असुन्दर प्रश्नावली नहीं करते।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसा नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : हमारे आदेश संख्या एफ. 14 (वित्त-नियम) दिनांक 4–5–71 पेन्शनर्स और उनकी पत्नि को चिकित्सा सुविधा करने हेतु जारी किए जा चुके हैं। लेकिन उनको रीएम्बर्समेंट नहीं मिलता। वे चाहें तो अस्पताल के वार्ड में रह सकते हैं और उस वार्ड में रह सकते हैं जिसके वह पेन्शन प्राप्त करने से पहले हकदार थे। अस्पताल में जो दवाई है उनको मिल सकती है, जो उनको विभिन्न टेस्ट कराने के अधिकार थे, वह भी करवा सकते हैं, लेकिन रिइम्बर्समेंट उनको नहीं मिलता। अब आपका यह भ्रम दूर हो गया होगा कि चिकित्सा सुविधा उनको प्राप्त नहीं है।

शिक्षा के बारे में मैंने निवेदन कर दिया है। जहां तक पेन्शन का सवाल है, मैंने निवेदन किया कि तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट जो भारत सरकार के सामने पेश हुई है, उस बारे में भारत सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम कोई निर्णय लेंगे, ऐसा हम विचार करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कहना कि अस्पताल में दवाइयां मिल जाती हैं, यह सही नहीं है। वहां कुछ नहीं मिलता है। आप उनको चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा न दें तो कम से कम जो मंहगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार राजकीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया है, उस प्रकार पेन्शनर्स का महंगाई भत्ता भी बढ़ाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

गंगापुर में न्यास की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य

102. **श्री अजीत सिंह (टोंक) :** क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि महेश टाकीज, गंगापुर के मालिक श्री गुलाबचन्द पल्लीवाल ने अपने सिनेमा के बाहर नगर सुधार न्यास की भूमि पर बिना इजाजत अपने नगर सुधार न्यास के अध्यक्षकाल में एक पक्का चबूतरा बना लिया है ? यदि हां, तो क्या नगर सुधार न्यास गंगापुर ने इसे तोड़ने की आज्ञा दी है ?

(2) इस अवैध निर्माण को नगर सुधार न्यास द्वारा अब तक नहीं तोड़ने का क्या कारण है ?

(श्री अजीत सिंह)

(3) क्या नगर सुधार न्यास के कर्मचारी श्री सुमेरचन्द ने न्यास द्वारा स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध निर्माण किया और सचिव द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट के बावजूद उसके विरुद्ध अब तक ट्रस्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

(4) क्या श्री राधेश्याम वकील गंगापुर को मकान बनाने को प्लाट दिया था मकान का ही नक्शा स्वीकृत हुआ था लेकिन श्री राधेश्याम ने ट्रस्ट की स्वीकृति तथा नक्शे के विरुद्ध व्यापारिक दुकानें बनाली ? इस अवैध निर्माण के विरुद्ध नगर सुधार न्यास, गंगापुर ने क्या कार्यवाही की ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां। इस निर्माण को तोडने की आज्ञा अभी नहीं दी गई है।

(2) मामला विचाराधीन है ।

(2) श्री सुमेरचन्द ने नक्शे के विरुद्ध निर्माण किया। अवैध निर्माण को तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा नियमित कर दिया गया है। श्री सुमेरचन्द के विरुद्ध जांच अभी जारी है ।

(4) जी हां। अवंध निर्माण के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 170 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री अजीत सिंह : सारी व्यवस्था कब तक करवा दी जाएगी ? अवैध निर्माण को कब तक हटाया जायेगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : नगरपालिका अधिनियम की धारा 170 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है और यह नगरपालिका का काम है कि वह कितने समय में करती है फिर भी मैं इस बात की चेष्टा करूंगा कि नियमानुसार मामले को जल्दी निपटाया जाए।

श्री अध्यक्ष श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल : प्रश्न संख्या 103।

राज्य में अनाधिकृत रूप से ले जाते हुये पकडा गया अनाज

103. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राजस्थान में अनाज का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद जो जोन राज्य सरकार ने जिलेवाइज कायम किये थे उनमें से अनाधिकृत रूप में ले जाते हुए कितने ट्रक अनाज के विभाग ने अब तक पकडे और उनमें कितना कितना क्विंटल क्या क्या अनाज था ? इस संबंध में उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अनाज का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद राजस्थान के बाहर भी अनाज ले जाते हुए ट्रक पकडे गये ? यदि हां, तो कितना कितना और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) अब तक अनाज के राष्ट्रीयकरण में पकडे गये मामलों से कितनी आय राज्य सरकार को हुई ? सूची जिलेवार व माहवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो

(श्री शिवचरण माथुर)
प्रश्न पूछा वह बहुत लम्बा है और पूरे राजस्थान से हर जिले की सूचना से संबंधित है, अतः इसका जवाब नहीं आ सका है, इसमें समय लगेगा, अतः इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 103 स्थगित किया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न लम्बा है उससे कोई फर्क नहीं, कोई झगड़ा तो पैदा नहीं करने वाला है ? इसका जवाब आ तो जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब दिया जायेगा पर इसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है ?

एक माननीय सदस्य : क्या इस प्रश्न का जवाब इसी सत्र में आयेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : इसी सत्र में आयेगा इसका जवाब।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान सहाय व्यास।

विराट नगर क्षेत्र का सर्वे

104. **श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) :** क्या भूतल जल मण्डल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सच है कि पंचायत समिति, विराट नगर (बैराठ) जिला जयपुर के ग्रामों में जल स्त्रोत का भूजल मण्डल द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम रहा ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सच है कि इस समिति क्षेत्र के ग्रामों में बारह महीने बहने वाली नदियां साबी, बाणगंगा नदियों में प्रचुर मात्रा में पानी है ? तथा इन नदियों में प्रचुर मात्रा में पानी है ? तथा इन नदियों के अलावा इस क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में छोतोली का बान्ध, बुजा बान्ध, टन्कू बान्ध, नोरंगपुरा बान्ध आदि मौजूद हैं जिनमें काफी पानी है ? यदि हां, तो पृथक् पृथक् गांवों में पानी की प्राप्ति की क्या स्थिति है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : पंचायत समिति विराट नगर (बैराठ) जिला जयपुर का प्रारम्भिक भू-जल सर्वेक्षण जयपुर व स्वाई माधोपुर क्षेत्र के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के सन्दर्भ में किया गया था। इस पंचायत समिति से संबंधित प्रारम्भिक भू-जल सर्वेक्षण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है। अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति विराट नगर का सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया। अतः अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण के परिणाम व रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) जी हां। इस क्षेत्र में साबी, बाणगंगा नदियां एवं विभिन्न बान्ध मौजूद हैं किन्तु अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव में भू-जल उपलब्धि की स्थिति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री हनुमान सहाय व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक उस एरिया का सर्वे हो जायेगा

(श्री हनुमान सहाय व्यास)
क्योंकि सर्वे नहीं होने से कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। उसके पूरा हुए बगैर काफी स्कीमें अधूरी पड़ी हुई हैं। और लोगों को पानी की दिक्कत भी काफी है। तो यह मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह जवाब दें कि इसे इसी साल में पूरा करवा दिया जायेगा क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इस साल के प्रोग्राम में तो यह स्कीम थी नहीं और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके बारे में अगले साल के बजट में जब स्कीम्स के बारे में धन का बंटवारा होगा तो इसको भी ध्यान में रखा जावेगा।

श्री हनुमान सहाय व्यास : तो क्या आप 1974–75 के बजट में सर्वे पूरा करा देंगे ?.

श्री चन्दनमल बैद : इसके बारे में मैं अभी वचनबद्ध नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 105। श्री रामसिंह विश्नोई।

जोधपुर जिले में सैनिक क्षेत्र के लिये दी गई भूमि

105. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर जिलाधीश ने जाम्भीवाल कल्ला की कितना बीघा जमीन सैनिक क्षेत्र बनाने हेतु प्रदान की ? अलग अलग काश्तकारों की सूची व जमीन किस्म तथा बीघों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सच है कि आज दिन तक काश्तकारों को मुआवजा या किराया नहीं दिया गया लेकिन जमीन उनसे ले ली गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस जमीन को सैनिक क्षेत्र घोषित किये जाने से आस-पास के गांवों का तथा हजारों की संख्या में काश्तकार परिवार जो ढानियों में रहते हैं, गांव से संबंध विच्छेद हो गया है और सुमेर तालाब जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा व बारह-मासी तालाब है, मवेशियों का आना जाना भी रुक गया ?

(4) क्या यह सही है कि सैनिक अधिकारियों ने कोई ध्यान कि कितना बीघा जमीन की आवश्यकता है, नहीं दिया व ज्यादा जमीन की मांग बार बार की जा रही है ?

(5) क्या राज्य सरकार इन काश्तकारों की तथा मवेशियों की दिक्कतों को देखते हुए सैनिक क्षेत्र को पुनः हटाया जाने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्या इनका राज्य सरकार व मिलिट्री कमान्डेन्ट के बीच पूरा सेटिलमेन्ट होने तक कार्यवाही रुक सकती है ?

राज्य मंत्री राजस्व (श्री मूलचन्द) : (1) ग्राम जाम्भीवाल कल्ला की कुल 946 बीघा 3 बिस्वा भूमि सैनिक विभाग को दी गई इसमें 786 बीघा 15 बिस्वा निजी खातेदारी तथा 159 बीघा 8 बिस्वा राजकीय भूमि है। प्रभावित खातेदारों के नाम एवं भूमि का बिवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(श्री मूलचन्द)

(2) जी हां, भूमि का कब्जा काश्तकारों से लेकर सैनिक विभाग को दिलाया गया है। भूमि किराया अब तक देय नहीं होने से नहीं मिला है। किराया निर्धारित किया जा चुका है।

(3) जी नहीं, उपरोक्त भूमि के सुरक्षा विभाग को दिये जाने से आसपास के गांवों तथा ढाणियों के हजारों काश्तकारों का गांव से सम्बन्ध विच्छेद होने बाबत कथन सही नहीं है क्योंकि इस अधिग्रहण की गई भूमि के बीच में से जो आम रास्ता है वह सैनिक विभाग को हस्तांतरण नहीं किया गया है।

(4) यह सही है कि सैनिक अधिकारियों ने भूमि की आवश्यकता के बारे में इकजाई मांग का प्लान नहीं दिया है और भूमि की मांग समय समय पर कर रहे हैं।

(5) सैनिक क्षेत्र को यहां से हटाने का प्रश्न विचाराधीन है। अधिग्रहण से शेष रही भूमि व रास्ते की भूमि के अधिग्रहण के लिए अग्रिम कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री महोदय ने मुझे सूची दी वह अधूरी है। इसमें इन्होंने पहले 26 व्यक्तियों की जमीन के बारे में सूची दी है जबकि 60 व्यक्तियों की जमीन जो कि काश्तकारों की थी, वह मिलिट्री वालों ने ली है और उसे मिलिट्री क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह उस वक्त किया गया था जब कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था। इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा जमीन पर तार खींच दिये हैं और इस तरह से जमीन को घेरा है कि सारा रास्ता ही बन्द हो गया है। यह जो रिपोर्ट जिलाधीश द्वारा दी गयी है कि रास्ता बन्द नहीं हुआ है वह गलत दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक ही तालाब है, सुमेर तालाब, और पास में ढाणियां हैं जिसमें हजारों लोग रहते हैं, उन्हें पानी लाने में दिक्कत होती है क्योंकि रास्ते के बन्द हो जाने से उन लोगों को पानी लाने के लिये करीब 6—7 मील का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर जिलाधीश ने अपने मनमाने ढंग से गड़बड़ियां की जिससे काश्तकारों को बहुत ही परेशानी हो रही है, उन्हें उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया तथा काश्तकार आज कई जमीन बगैर हो गये हैं उन्हें अभी तक न तो मुआवजा मिला है और न ही दूसरी जमीन। यह तो राज्य सरकार के सोचने की बात है कि बिना जमीन के काश्तकार व उनके बच्चे क्या खायेंगे। इसलिये जो जिलाधीश ने रिपोर्ट दी है वह वास्तव में झूठी है और उसने सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं। मेरा राज्य सरकार को निवेदन है कि इस जमीन को जिसका कि अधिग्रहण किया गया है, उसको छूटे कर दिया जाय ताकि काश्तकारों को कष्ट न हो।

राजस्व मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी थी वह सिर्फ गांव आभोबाल कल्लां के बारे में ही मांगी थी, अतः उन्हें

(श्री परसराम मदेरणा)

26 व्यक्तियों की सूची दी है। इसमें उन व्यक्तियों के नामों की सूची नहीं है जो इन्होंने नहीं मांगी है। यह राज्य सरकार को जानकारी में है और कलेक्टर ने जो जानकारी दी है वह गलत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वह कानूनी हुआ है। इसके लिये मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि किसी जमीन के अधिग्रहण करने के लिये कलेक्टर कोम्पीटेन्ट होता है, इसमें उसे राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वह रेवेन्यू एक्ट के अनुसार ही खुद ही कोम्पीटेन्ट अथोरिटी है। Under the Requisition and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, which is a Central Act, the Collector is the competent authority.

इसके अनुसार कलेक्टर को पावर्स दिये गये हैं और इसके अनुसार उसको राज्य सरकार से "no objection" सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधीश को स्वयं को अधिकार है कि वह मिलिट्री परपजेज के लिये और दूसरे कामों के लिये जमीन को अधिग्रहण कर सकता है। ऐसे मामलों में भूमि का रिक्वीजीशन किया जाता है और जिन मामलों में यह जमीन ली जाती है उसके लिये जिन लोगों की जमीन ली जाती है उनके लिये उनको रीहेबिलिटेट किया जाता है। इस मामले में जिलाधीश ने जो कुछ भी कार्यवाही की है वह रैवेन्यू एक्ट के तहत की है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जो जिलाधीश की रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं वह गलत रिपोर्ट है। वास्तव में रास्ता रुक गया है। इसमें कुल चार हजार बीघा जमीन एक्वायर की जा चुकी है और बताया यह जा रहा है कि साढ़े ग्यारह सौ बीघा जमीन ही एक्वायर की है। इसमें राज्य सरकार को चाहिये कि वह जिलाधीश को आदेश दे कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण की है उस पर रटे दिया जावे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक मिडिल स्कूल है, रास्ता बन्द हो गया है, बच्चों के पढ़ने लिखने में बाधा आ रही है। जिन लोगों की जमीन एक्वायर की है उसका मुआवजा नहीं दिया गया, करीब एक हजार लोग उस एरिया में ढाणियों में रहते हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है। आखिर उनके बच्चों के खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी? जैसा कि मैंने निवेदन किया, लोगों को पानी के लिए दस मील से चक्कर काट कर उस रास्ते के बन्द हो जाने से पानी लाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, करीब चार हजार बीघा जमीन काश्तकारों की एक्वायर कर ली गई है। जनता वहां काफी परेशान हो रही है, रास्ता बन्द हो है, कलेक्टर ने झूंठी रिपोर्ट दी है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है? जो सूचना आपने मांगी थी वह मिल तो गई है। इसके अलावा आपका भाषण भी हो गया है उस पर।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कृषि भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। चार हजार...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 1700 बीघा जमीन को एक्वायर किया गया है, इसमें काश्तकारों की भूमि है और राज्य की भूमि भी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अभी तो आप साढ़े ग्यारह सौ बीघा जमीन को बात कर रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें इसके अलावा राज्य की भूमि भी तो है। इसमें जो नो आब्जेक्शन की बात कही गई है उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि "नो आब्जेक्शन" को कलेक्टर को राज्य सरकार से प्राप्त करने की आवश्यकता कानून के अन्तर्गत नहीं है। इसके अलावा जो यह प्रश्न उठाया गया कि जो भूमि का अधिग्रहण किया गया वह इर्रेग्यूलर है वह नहीं है। अब सवाल रहा कि उन लोगों को मुआवजा देने की बात है, उसके अन्दर जब जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उसका मुआवजा तय किया जाता है और उसके लिए भी कलेक्टर ही कम्पीटेन्ट होता है। इसके अलावा जहां पर रेन्ट तय करने की बात है वह उसके तय होने के एक साल बाद में पेमेन्ट किया जाता है। पजेशन लेने के एक साल बाद मिलता है। पर चूंकि इसमें 11 महीने ही हुए हैं पजेशन लिए हुए, तो अब थोड़े ही दिन बाद उनको पैसा मिल जाएगा। इस पर रिक्वीजीशन की कार्यवाही होती है और बाद में एक्वीजीशन किया जाता है और उसके बाद जब पजेशन ले लिया जाता है तो कलेक्टर द्वारा कम्पेन्सेशन तय किया जाता है। तो कलेक्टर जोधपुर ने जो जमीन एक्वायर की थी उसमें "नो आब्जेक्शन" की आवश्यकता नहीं थी। और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई "नो ओब्जेक्शन" देने की जरूरत भी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : रेंट की क्या रेट है ?

श्री परसराम मदेरणा : 700 रुपये प्रति बीघा।

श्री अध्यक्ष : मैंने समाप्त कर दिया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। क्या प्रावधान है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : Agree with you.

मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूँ कि प्रश्न काल में यह सबसे पहला मौका है कि ठीक समय पर ही यह समाप्त हुआ है। 17 सवालों के उत्तर आ गये। काफी सवाल जवाब भी हुए। मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूँ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, झुन्झुनू के विरुद्ध जांच

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(1) क्या यह सही है कि 23 नवम्बर, 1973 को श्री सागरमल मिस्त्री, सदस्य नगरपालिका झुन्झुनूं एवं एक अन्य व्यक्ति की शिकायत की दरख्वास्त पर स्वायत्त शासन मंत्री ने झुन्झुनूं नगर के भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष की सन् 1970 से नवम्बर 1973 तक की कार्यवाहियों की जांच किये जाने के आदेश प्रदान किये और 26 नवम्बर, 1973 को प्रात: दस बजे ही उप-संचालक जांच हेतु झुन्झुनूं पहुंच गये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट से पूर्व ही नगरपालिका अध्यक्ष के समस्त अधिकार तारीख 1–12–73 को राज्य सरकार ने छीन लिए ? यदि हां, तो बोर्ड की अवधि कौनसी तारीख तक थी और उक्त अधिकार किन कारणों से तथा कानून एवं नियम की किस धारा के अन्तर्गत ?

(3) क्या यह भी सही है कि उप-संचालक, स्वायत्त शासन ने अपनी जांच के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई ?

(4) क्या यह सही है कि अब राज्य सरकार पुन: इसकी जांच जिलाधीश, झुन्झुनूं से करवा रही है और जांच का दायरा भी विस्तृत कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। शिकायत-पत्र दिनांक 24–11–73 को सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को प्रस्तुत किया गया ? निदेशक के आदेशानुसार दि. 26–11–73 को उप-संचालक जांच हेतु झुन्झुनूं गये।

(2) जी नहीं। जमीन संबंधी विज्ञप्तियों के अधीन नगरपालिका अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार प्रदत्त नहीं हैं इसलिए अध्यक्ष के अधिकार छीनने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। नगरपालिका झुन्झुनूं को केवल ये आदेश दिये गये हैं कि अग्रिम आदेशों तक अनियमित भुगतान रोके जावें व भूमि के पट्टे जारी नही किये जावें क्योंकि भूमि आवंटन में अनियमिततायें आदि प्रारम्भिक जांच से सही पाई गई। बोर्ड की अवधि दि. 11–11–73 थी। जो आदेश प्रसारित किया गया है वह इस विभाग की विज्ञप्ति दि. 22–10–69 के अधीन है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, चूंकि मुकम्मिल जांच आवश्यक थी।

ग्राम फागी में भूमि के नामांकरण का मामला

92. श्री **जयकिशनलाल तोसावडा** (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि गत सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 82:रा.म. दिनांक 9–10–73 के उत्तर के साथ संलग्न सूची में आइटम संख्या 70 पर यह अंकित था कि श्री जगदीश बोहरा ने ग्राम फागी में ख. नं. 3915 में बिना इजाजत लघु उद्योग हेतु मकान बना लिया है तथा नामांकरण नियम विरुद्ध तस्दीक होने के कारण निरस्त करने हेतु राजस्व मंडल, अजमेर को रेफरेंस भेजा गया है ?

(श्री जयकिशनलाल तोसावडा)

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विधान सभा में यह लिखित में उत्तर दिया था कि जिलाधीश, जयपुर को शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही करने को लिखा जा रहा है? यदि हां, तो जिलाधीश को कब लिखा? और नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है?

उत्तर

(1) प्रश्न सं. 82।रा.मं. जो कि दिनांक 9-10-73 को उत्तर दिये जाने हेतु नियत था का जो लिखित उत्तर दिया गया था, उसकी प्रति संलग्न है। परन्तु इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(2) दिनांक 7-3-74 को लिखा गया है। प्रार्थी ने इस मामले में राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील कर रखी है जिसका निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। निर्णय प्राप्त होते ही तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(पूर्व प्रश्न के लिखित उत्तर के लिए कृपया दिनांक 9-10-73 का कार्य विवरण देखें)

बीजों की खरीद में हुई अनियमितताओं की जांच

98. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश के द्वारा बीजों की खरीद में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में तीन उच्चाधिकारियों की एक जांच समिति नियुक्त की गई थी? यदि हां, तो उस समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया और जांच का परिणाम क्या है? कृपया जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 30-7-73 को दिया है। इस समिति के जांच के परिणामस्वरूप बीज की खरीद में अनियमिततायें पायी गयीं। इस सम्बन्ध में जांच समिति ने जिन अधिकारियों को अनियमितताओं के लिए दोषी पाया, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गंगानगर जिले की जल प्रदाय योजनाएं

62. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गंगानगर जिले में कौनसी क्षेत्रीय एवं अन्य जल प्रदाय योजनाएं शुरू की गयी हैं? वर्ष 1974-75 में गंगानगर जिले के खारे पानी के क्षेत्र की नोहर-भादरा-सूरतगढ़ तहसीलों के लिए कौन कौन सी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं एवं जिले के अन्य क्षेत्र के लिए कौन कौनसी अन्य जल प्रदाय योजनाएं शुरू की जा रही हैं?

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में जिला गंगानगर में शुरू की गई जल प्रदाय योजनाओं की सूची संलग्न है। वर्ष 74-75 में नई योजनायें स्वीकृत करने के लिए अभी कोई राशि प्रस्तावित नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

नोखा तहसील की जल प्रदाय योजनाएं

3. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा):** क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिला, तहसील नोखा की ग्राम जयसिंह देसर मगरा व शोभाणा-भादला तथा सादासर की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं को कब सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई और ये योजनाएं कितनी कितनी लागत की हैं ? इन्हें कब तक पूरी करने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थानों का कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कार्य किस स्टेज पर है ?

उत्तर

(1) इस योजना की स्वीकृति निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृति की दिनांक	पूर्ण होने का निर्धारित वर्ष
1	जयसिंह देसर मगरा	6.50	25-10-72	1974-75
2	सोभाना भादला	1.70	4-11-72	1974-75
3	सादासर	3.66	1-11-71	1974-75

(2) जी हां स्वीकृति के उपरान्त यह कार्य शुरू कर दिया गया था व उसकी प्रगति निम्न प्रकार है :—

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जयसिंह देसर मगरा:– इस योजना के लिए वर्ष 72-73 में 2.50 लाख रु. व 73-74 में 50 हजार रु. का प्रावधान किया गया था। अभी तक प्रत्येक गांव में जलाशय, जयसिंह-देसर मगरा में स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस बना लिया गया है व जेनरेटर सेट लगा दिया गया है।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सोभाना भादला:– इस योजना पर मार्च, 73 तक 79 हजार रु. खर्च किया जा चुका है व इस वर्ष एक लाख रु. खर्च करने का प्रावधान है। इस योजना के अनुसार हौज बनाया जा चुका है, पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। जेनरेटर रूम व क्वार्टर बना लिया गया है। जेनरेटर सैट के लिए आदेश दिये जा चुके हैं व योजना के अन्य कार्य करने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सादासर:– इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 73 तक 2.81

(जल प्रदाय मंत्री)

लाख रु. खर्च किया जा चुका है व इस पर 1.15 लाख रु. का प्रावधान रखा गया है। योजना के अन्तर्गत अब तक उच्च जलाशय, ग्राम लालमदेसर बड़ा व छोटा उत्तमदेसर में होज, एन. टाइप क्वार्टर व जेनरेटर रूम बनाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एक नल कूप बनाया जा चुका है व गांव को पाइप लाइन से भी जोड़ा जा चुका है।

जयपुर जिले की जल प्रदाय योजनाएं

64. **श्री मीठालाल** (लालसोट): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की कितनी नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं?

(2) जिन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का जनता द्वारा दिया हुआ अढाई प्रतिशत अनुदान जमा हो चुका है उनमें से कौन कौनसी योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई और बाकी योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जावेगी? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अनुदान जमा होने के उपरान्त भी स्वीकृति नहीं मिलने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि राज्य के अन्य जिलों के अनुपात में जयपुर जिले की योजनाओं को कम राशि आवंटन की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में इस समय 33 जल प्रदाय योजनायें सर्वे कर तैयार की गई हैं व इसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

(2) अब तक जयपुर में कुल 44 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दी गई व इनमें से 6 ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें वर्ष 73–74 में स्वीकृत की गई हैं। वर्ष 73–74 में स्वीकृत की गई जल प्रदाय योजनायें व उनसे प्राप्त जन सहयोग राशि का विवरण सूची में संलग्न है। इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों से जन सहयोग प्राप्त हो गया है किन्तु योजना स्वीकृत नहीं की गई है उनकी सूची भी संलग्न है। इनमें से ग्राम शिवदासपुरा की जल प्रदाय योजना इस वर्ष स्वीकृति के लिये विचाराधीन है। अन्य योजनाओं के लिये स्वीकृति की कार्यवाही राशि की उपलब्धि के अनुसार की जायेगी।

(3) अनुदान जमा होने के उपरान्त भी योजना की तकनीकी उपयुक्तता, ग्रामों को समस्या व धन की उपलब्धि पर ही उसकी स्वीकृति निर्भर है।

(4) जी हां। धन का आवंटन विभिन्न जिलों में उनकी समस्या के अनुसार किया जाता है। मरु स्थलीय क्षेत्रों में समस्या अधिक होने के कारण जिलेवार धन का आवंटन अधिक है। जयपुर जिला अर्द्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है व अन्य अर्द्ध मरुस्थलीय जिलों की अपेक्षा इसमें आवंटन कम नहीं किया गया? आगे भी धन का

Page No. 30

(30)

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
आवंटन जिलेवार उस जिले की समस्या के अनुपात में ही किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास का भवन एवं भूमि का स्वामित्व

65. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा स्थापित भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री का भवन और भूमि जो अभी राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के काम आ रही है विलय के समय राज्य सरकार की थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस समय उपरोक्त सम्पत्ति के स्वामित्व का दावा कोई प्राइवेट पार्टी कर रही है? यदि हां, तो उसका स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में कैसे चला गया ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले में आई.सी.डी. के ट्यूब वैल्स

66. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में आई.सी.डी. के कितने ट्यूब वैल किस किस गांव में खोदे गये ? गांव के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि आई. सी. डी. के जितने ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं वे सब बंद पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इन ट्यूब वैलों को पी. एच. ई. डी. को देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) ये नल कूप केन्द्रीय सरकार की सघन पशु योजना के अन्तर्गत खोदे गये थे। आवश्यकता पड़ने पर इनको पी एच.ई.डी. को भी दिये जाते रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट-5 देखिये)

जयपुर एवं जोधपुर में कोयले का वितरण

67. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

दिनांक 1-10-72 से 31-12-73 तक जयपुर एवं जोधपुर नगरों को घरेलू उपयोग के लिए खनिज कोयले के किस किस किस्म के कितने कितने वेगन क्रमशः आवंटन किए गए, उसमें से कितने प्राप्त हुए और प्राप्त हुए में से किस वितरण प्रणाली से किस भाव जनता में बांटे गए ? कृपया उसकी सूची माहवार सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

आबू रोड एवं पिंडवाडा म भूमि आवंटन के मामले

68. श्री भूराराम (आबू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आबू रोड एवं पिंडवाडा तहसीलों में भूमि के अलाटमेंट व नियमन के कुल कितने कितने केसेज पेन्डिंग है ? सन् 1971 से अब तक दोनों तहसीलों में नियमन के कितने कितने केसेज निपटाये गये हैं और कितने शेष हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

द्वारकाधीश मंदिर झालरापाटन

69. श्री रामप्रसाद वोहरा (झालरापाटन): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालरापाटन नगर में द्वारकाधीश का मंदिर जो देवस्थान विभाग के अधीन है, को सालाना आय कितनी कितनी किस किस मद से होती है ? कुल जायदाद मनकूला कितनी कितनी किस के कब्जे में है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट कीजियेगा।

(2) मंदिर द्वारकाधीश पर कुल कितना खर्चा किस किस मद में होता है ? वेतन कर्मचारियान किन किन को कितना कितना दिया जाता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या इस मंदिर का कोई ट्रस्ट है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) मंदिर की जायदाद की कीमत व होने वाली सालाना आमदनी की सूची दिये जाने का भी कष्ट करें।

उत्तर

(1) आय का विवरण और किराये दरों की सूची संलग्न है।

(2) खर्चे का विवरण तथा कर्मचारियों की सूची वेतन सहित संलग्न है ?

(3) जी नहीं, यह मंदिर राज्य सरकार के अधीनस्थ होकर देवस्थान विभाग के नियन्त्रण में है। इसलिये इनके लिये ट्रस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है।

(4) इस मंदिर तथा इसके साथ की सम्पदा मूल्यांकन 5,13,447 रुपया है। सम्पदा के किराये से होने वाली आय की सूची प्रश्न के भाग 1 के साथ संलग्न की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीलिंग कानून के अन्तर्गत पाली तहसील में विचाराधीन मामले

70. श्री शंकरलाल (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भूमि के सीलिंग सम्बन्धी कानून में आखिरी संशोधन होने के पश्चात् पाली तहसील के किन किन गांवों में राजस्व विभाग द्वारा किन किन आसामियान के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई

62

(श्री शंकर लाल)
और अब मामले किस स्टेज पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

भूमि के सीलिंग सम्बन्धी कानून में आखिरी संशोधन होने के पश्चात् पाली तहसील के जिन जिन गांवों में जिन जिन आसामियान के मामलों में उप-खण्ड अधिकारी पाली द्वारा जो कार्यवाही की गई है व मामले किस स्टेज पर हैं इस बाबत सूची साथ में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई)

रेवदर तहसील में आवंटित भूमि के पट्टे

71. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर तहसील में आवंटित भूमि के कब्जे लम्बे समय से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक दे दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के रेवदर चुनाव क्षेत्र में आने वाली सिरोही तहसील की अठारह पंचायतों में भूमि आवंटन करते समय क्षेत्र के विधायक को नहीं बुलाया गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

(3) रेवदर चुनाव क्षेत्र में व सिरोही तहसील की अठारह पंचायतों में गत दो वर्षों में राज्य अधिकारियों ने किस किस को कितनी कितनी भूमि कब कब आवंटित की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के गांव में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन–जाति के आवास हेतु कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के लिये कोई कार्यवाही फाइनल नहीं की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रेवदर तहसील के केवल अनुसूचित जाति के 4 व्यक्तियों एवं अनुसूचित जन जाति के 9 व्यक्तियों को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका है।

(2) जी हां। यह सही है लेकिन यह केवल उप-खण्डीय अधिकारी, सिरोही द्वारा भूल से हुआ है। अठारह पंचायतें हालांकि रेवदर विधान सभा क्षेत्र की हैं, लेकिन तहसील सिरोही में स्थित होने से सिरोही विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री शांतिलाल कोठारी को बैठक में भाग लेने बाबत आमंत्रित किये गये थे।

(3) विवरण परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(4) कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन के आदेश ग्राम पंचायत की सिफारिश पर किये गये हैं। केवल अनुसूचित जाति अथवा जन जाति के आवास हेतु किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा भूमि की मांग नहीं की गई है। जिन जिन ग्रामों के लिए

(राजस्व मंत्री)
भूमि आबादी में परिवर्तन की गई है, उसकी सूची 'ख' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान नहर व हरीका प्रोजेक्ट में आई भूमि के एवज में भूमि का आवंटन

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने हरीका प्रोजेक्ट व राजस्थान नहर आदि में आने वाली पंजाब की भूमि के एवज में मुआवजे स्वरूप राजस्थान नहर क्षेत्र में कितनी भूमि देने का आश्वासन दे रखा है ?

(2) आज तक उन भूमिहीनों को जिनकी भूमि राजस्थान नहर व हरीका प्रोजेक्ट आदि के अन्दर आई है उन्हें कितनी भूमि किस किस को, कब कब, कहां कहां आवंटित कर दी गई ? और किस किस की दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें तथा बाकी कितनी आसामियां हैं जिन्हें भूमि नहीं दी गई तथा उन्हें अब कब तक भूमि आवंटित कर दी जावेगी और आज तक भूमि का आवंटन न करने का क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) मुआवजे स्वरूप भूमि देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

(2) हरीका प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जिन विस्थापितों की भूमि आई है उनमें से 290 विस्थापितों को 2341 एकड़ भूमि पुर्नस्थापित हेतु दी गई है (सूची संलग्न है)। हरी का प्रोजेक्ट के विस्थापितों का कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

पोंग बांध विस्थापितों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था लेकिन उसके लिये भी राजस्थान नहर के निर्माण हेतु भारत सरकार से पर्याप्त धनराशि न उपलब्ध कराने के कारण पर्याप्त भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड़ जिले में फोरेस्ट व रेवेन्यू में आई भूमि

73. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में सन् 1973-74 में कौन कौन सी जमीनें जो काबिल काश्त थीं फोरेस्ट विभाग से रेवेन्यू में ली गईं ? कृपया सूची मय नम्बर खसरा रकबा ग्राम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या इन रेवेन्यू में आई हुई जमीनों का अलाटमेंट कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब कब किन किन का ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में सन् 1973-74 में जो जमीन काबिल काश्त फोरेस्ट

Page No. 34

(राजस्व मंत्री)

से रेवेन्यू में ली गई उनकी सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) जी हां, जो आवंटन किया है उनकी विवरण सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

जिलाधीश अलवर द्वारा भूमि का अलाटमेंट

74. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिलाधीश अलवर की देखरेख में भूमिहीनों को सन् 1971-72 में भूमि का अलाटमेंट किया गया था ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को अलाटमेंट हुआ तथा मीणा जाति के कितने व्यक्तियों को अलाटमेंट किया गया है ? सम्पूर्ण विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

यह सही नहीं है। दिनांक 1-4-71 से 31-3-72 तक जिलाधीश अलवर की देखरेख में किसी भी ग्राम के भूमिहीनों को कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया गया है। भूमिहीन काश्तकारान को कृषि भूमि का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व : (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के प्रावधानों के अधीन उप जिलाधीश की अध्यक्षता में उप-जिलास्तरीय भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा किया जाता है।

ग्राम पंचायत हरमाड़ा के सरपंच के विरुद्ध मामला

75. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि मदनसिंह बारेठ रिटायर्ड पी. टी. इन्स्ट्रक्टर महाराजा कालेज जयपुर एवं भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हरमाड़ा को वर्तमान सरपंच छगनलाल पुत्र बिजेलाल ग्राम पंचायत हरमाड़ा के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाने की आज्ञा नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सच है कि पंचायत एक्ट की दफा 79 की तहत फौजदारी मुकदमा चलाने की इजाजत की दरख्वास्त केवल मियाद के आधार पर नामन्जूर नहीं की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस संबंध में अपने फैसले पर नजरसानी करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी हां। नियमों एवं मामले के तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुये स्वीकृति नहीं दी गई थी।

(2) किसी सरपंच, पंच अथवा पंचायत के किसी कर्मचारी के खिलाफ किसी फौजदारी मुकदमा के चलाने के लिए पंचायत एक्ट की धारा 78 एवं जाप्ता फौजदारी की धारा 197 के तहत राज्य सरकार की पहले स्वीकृति लेना आवश्यक है।

(पंचायत मंत्री)

फौजदारी मुकदमा चलाने की स्वीकृति देते वक्त मामले के तथ्यों के साथ साथ वाकेयात होने के समय को भी ध्यान में रखा जाता है। नजरसानी पेश होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

संजय साप्ताहिक को विज्ञापन

76. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

संजय साप्ताहिक समाचार-पत्र झालरापाटन, जिला झालावाड़ को 1 जनवरी, 64 से 31 दिसम्बर, 1973 तक निम्न विभागों द्वारा कितनी कितनी राशि का विज्ञापन कब कब दिया गया :–

(1) सहकारी विभाग, राजस्थान, जिला झालावाड़।

(2) केन्द्रीय सहकारी कोआपरेटिव बैंक, जिला झालावाड़।

(3) भूमि विकास बैंक, जिला झालावाड़।

(4) मार्केटिंग सोसाइटीज, जिला झालावाड़ (1) भवानी मंडी, (2) चोमहला। कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

संजय साप्ताहिक समाचार-पत्र झालरापाटन; जिला झालावाड़ को दिये गये विज्ञापनों एवं राशि की सूचना निम्न है :–

(1) कोई विज्ञापन नहीं दिया गया।

	दिनांक	भुगतान राशि
(2)	31–10–64	28.00
	18–8–65	100.00
	8–6–66	1000.00
	11–3–67	800.00
	27–10–67	67.00
	13–12–67	928.00
	10–2–69	250.00
	22–12–69	910.00
	11–2–70	250.00
	16–12–70	40.00
	10–11–70	90.00
	23–12–70	40.00
	10–2–71	250.00
	14–2–72	250.00
	25–3–72	750.00
	31–1–73	1000.00
	18–8–73	64.00
	26–8–73	36.00
	19–12–73	30.00
(3)	4–3–70	62.50
	15–2–71	62.50

(4) कोई विज्ञापन नहीं दिया।

नगर विकास न्यासों द्वारा भूखण्डों का आवंटन

77. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान के विभिन्न नगर विकास न्यासों द्वारा सरकारी चेयरमेन नियुक्त होने के बाद, कहां कहां, किन किन

Page No. 36

(31)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
को कितने कितने भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) आवंटन के संबंध में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं ? नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका क्षेत्र की कच्ची एवं गन्दी बस्तियों का विकास

78. **श्री शंकरलाल** (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राजस्थान के कई नगरों में नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में अथवा सीमा के समीप कई लोग कच्ची बस्ती बना कर अव्यवस्थित एवं गन्दे तरीके से निवास कर रहे हैं ?

ऐसी बस्तियों को व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से बनाने हेतु विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा एवं सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

जी हां।

नगरपालिकाएं ही योजनाएं बनाने के लिए अधिकृत हैं।

सूचना नगरपालिकाओं से प्राप्त करके ही बताई जा सकती है।

चूरू जिले में गृह निर्माण समितियों का रजिस्ट्रेशन

79. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चूरू में कितनी गृह निर्माण समितियों का कब कब रजिस्ट्रेशन हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर गृह निर्माण सहकारी समितियां पिछड़ी जाति के लोगों ने बनाई हैं ? यदि हां, तो किस किस गांव में और कितनी कितनी धनराशि हिस्सा पूंजी इन समितियों द्वारा जमा कराई गई है ?

उत्तर

(1) जिला चूरू में 44 गृह निर्माण समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनके रजिस्ट्रेशन की तारीख संलग्न परिशिष्ट (क) पर है।

(2) जी हां। 40 सहकारी समिति हरिजनों की हैं। सूचना परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आयातित माल पर चुंगी की वसूली

80. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या राज्य की समस्त नगरपालिकाओं द्वारा विभिन्न दरों से उनके क्षेत्र में आया-

(श्री अमृतलाल गहलोत)
तित माल पर जो चुंगी वसूल की जाती है उसे समान करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उपरोक्त प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लेकर उसे लागू कर देगी ?

उत्तर

जी हां। इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

जयपुर जिले के विकास पर व्यय की गई धनराशि

81. **श्री हनुमानसहाय व्यास** (बैराठ): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की आबादी, राजस्थान प्रदेश की जन-संख्या के दसवें हिस्से की है ? यदि हां, तो राजस्थान की कुल आबादी कितनी है और जयपुर जिले की कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1962 से 1972 तक विभिन्न योजनाओं, अकाल राहत कार्यों, अन्य सिचाई, विद्युत, सड़क आदि विभिन्न निर्माण, विकास, रोजगार, न्यूनतम नीड प्रोग्राम आदि योजनाओं के माध्यम से अन्य जिलों में अत्यधिक राशि विकास कार्यक्रमों पर व्यय की गई है और जयपुर जिले में जन-संख्या के अनुपात से नहीं व्यय की गई है ? यदि नहीं, तो सन् 1962 से 1972 तक विभिन्न जिलों में कितनी कितनी राशि व्यय की गई है और किन किन योजनाओं के तहत ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के अनेकों महत्वपूर्ण सिचाई के बांध, सड़क निर्माण आदि कार्यों के सुझाव राज्य सरकार के पास हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से ?

(स्थगित किया गया)

केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल में गन्ने का उत्पादन

82. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिण्डोली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल के लिए गत वर्ष बूंदी जिले में कुल कितनी भूमि में गन्ना उत्पादन किया गया तथा इस वर्ष कितनी भूमि पर गन्ना उत्पादन किया जा रहा है ? कृपया पंचायत समितिवार बताने की कृपा करें।

(2) गत वर्ष केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल ने कुल कितना एकड़ गन्ना क्रश (पेला) किया तथा इस वर्ष कितना गन्ना क्रश करने का विचार रखती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार का निकट भविष्य में हिण्डोली क्षेत्र में हिण्डोली बून्दी और नैनवा के मध्य कोई नया सहकारी शुगर मिल बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कहां और कब तक ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार हिण्डोली क्षेत्र के किसानों को इस बात की गारन्टी देगी कि उनका गन्ना समय पर उठा लिया जावेगा ?

(4) बून्दी जिले में कुल कितनी खण्डसारियां हैं और इसमें कितना गन्ना खपाने

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

की क्षमता है? खण्डसारियां व शुगर मिल में खपने के बाद कुल कितना गन्ना किसानों के पास बचा रहेगा? तथा इसके लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है?

उत्तर

(1) वर्ष 1972-73 में बूंदी जिले में कुल 8479 एकड़ भूमि में गन्ना उत्पादन किया गया था। इस वर्ष 1973-74 में 15534 एकड़ भूमि में गन्ना उत्पादन किया गया है। पंचायत समितिवार सूचना परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी द्वारा वर्ष 72·73 एवं 73-74 में जो गन्ना क्रश किया गया उसकी सूचना निम्न प्रकार है:–

वर्ष	गन्ना जो क्रश किया
1972-73	6,81,775,33 क्विन्टल
1973-74	12,00,000,00 ,,

(3) जी नहीं।

(4) बूंदी जिले में कुल 9 खांडसारी फैक्ट्रियां हैं। जिनकी क्षमता लगभग 3,24,000 क्विन्टल गन्ना क्रश करने की है।

खांडसारियां व मिल द्वारा गन्ना खपाने के बाद कितना गन्ना बचा रहेगा इसका कहना कठिन है। क्योंकि कृषक गुड़ भी बनाते हैं जिसकी मात्रा गुड़ के बाजार भावों पर निर्भर रहती है।

(कृपया परिशिष्ट–7 देखिये)

पंचायत समिति मेड़ता के कनिष्ट लिपिक का वेतन

83. श्री रामसिंह कुडी (जायल): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या संयुक्त विकास आयुक्त, पंचायत एवं विकास विभाग; राजस्थान जयपुर ने पत्रांक पवि/प्रशा./69(7-9) 26971 दिनांक 31-3-72 को श्री हरदीनराम, कनिष्ट लिपिक को तारीख 1-5-70 से तारीख 22-11-70 तक का वेतन पंचायत समिति मेड़ता, जिला नागौर से व तारीख 23-7-70 से तारीख 14-5-71 तक का वेतन पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला कोटा से दिये जाने के आदेश जारी किये?

(2) क्या उपरोक्त आदेश की पालना की जाकर उक्त कर्मचारी को उसका बकाया वेतन-भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? अनुपालना नहीं करने वाले अधिकारी कौन कौन हैं एवं उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही नियमानुसार की जा सकती है?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1-5-70 से 22-11-70 तक पंचायत समिति मेड़ता एवं दिनांक 22-11-70 से 14-5-71 तक का वेतन पंचायत समिति लाडपुरा से दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है।

आदर्श गांवों को सुविधायें

84. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान में हर पंचायत समितिवाइज दो दो ग्राम, आदर्श ग्राम घोषित किये जाने थे और इन गांवों के विकास के लिये विशेष रूप से सुविधायें दिये जाने के लिए कहा गया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये और इन ग्रामों को विशेष सुविधायें जैसे बिजली, सड़क, स्कूल आदि के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

जी हां, राजस्थान में जैसलमेर जिले की तीन पंचायत समितियों में एक 2 ग्राम तथा अन्य जिलों की सभी पंचायत समितियों में दो दो जयन्ती ग्राम चुने गये हैं। यह भी सही है कि इन चयनित गांवों में पानी, सड़क, स्कूल आदि की विशेष सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों एवं पंचायत समितियों को निर्देश दिये गये थे कि राज्य के सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विशेष सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जावें।

जयन्ती वर्ष के दौरान 90 जयन्ती ग्रामों में बिजली पहुंचाई गई, 128 जयन्ती ग्रामों में नये स्कूल भवन (कमरे) बनवाये गये, पीने के पानी के कुओं का निर्माण 72 चयनित ग्रामों में किया गया। इसी तरह 32 चयनित ग्रामों में सड़क निर्माण कराया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा, की ओर से—

(1) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणि नियम, 1963 में किये गये संशोधन से मंडियों में जो खर्चा विक्रेता को सहन करना होता था वह खरीददार को वहन करना होगा, इस विषय में, व

(2) नगर परिषद्, श्री गंगानगर के एक हरिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नौकरी से निकाल देने की धमकी के सम्बन्ध में।

2. श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से—

(1) किशनगढ़ के पावरलूम उद्योग के मालिकों द्वारा पावरलूम की फैक्ट्रियों में की गई तालाबन्दी के विषय में, व

(2) अजमेर स्थित एम. टी. सी. कारखाने को यूनियन के पदाधिकारियों पर किये गये हमलों के विषय में।

Page No. 40

५०

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राशन के गेहूं में इस माह से होने वाली बढ़ोतरी के सम्बन्ध में।

4. सर्व श्री मनोहरलाल, गुमानमल लोढ़ा व भानुकुमार शास्त्री की ओर से—

(1) जयपुर उद्योग लिमिटेड के श्रमिकों क बोनस का भुगतान न करने के सम्बन्ध में।

(2) नगरपालिका कामां व डीग में अनुसूचित जातियों व जनजातियों को भू-खण्डों का वितरण न किये जाने के सम्बन्ध में।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

5. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद्, गंगानगर के करीब 20 हरिजन कर्मचारियों को नौकरी से हटा देने के सम्बन्ध में। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इसे मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

6. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से, जयपुर शहर में दिनांक 11-3-74 तक राशन के वितरण न होने के सम्बन्ध में। राज्य में खाद्यानों के वितरण के प्रश्न पर हाल ही में बहस हो चुकी है और यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंग नहर क्षेत्र में किसानों से वसूल किये जा रहे तावान के सम्बन्ध में। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और माननीय सदस्य बजट की आगामी बहस के समय इसे उठा सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

8. श्री जीथिंग और श्री विट्ठल भाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर व कुशलगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में राजस्व खाते की पुरानी वसूलियां करने के विषय में। पूर्व में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केसरीमल (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि मैंने यह स्थगन प्रस्ताव भेजा है...

श्री अध्यक्ष: थोड़े में ही फरमा दीजिये।

श्री केसरीमल : थोड़े में ही।

किशनगढ़ के पावरलूम उद्योग के मालिकों द्वारा पावरलूम फेक्ट्रियों को बन्द करने के विषय में है। किशनगढ़ के अन्दर मालिकों ने 2।। हजार पावरलूम के कारखानों के तालाबन्दी कर देने से लगभग 3 हजार मजदूर हड़ताल पर हैं और बेकार हो गये हैं। मजदूरों ने यह मांग की थी कि मंहगाई बढ़ गयी है इसलिये हमारी तनख्वाह बढ़ा

(श्री केसरीमल)
जाय। लेकिन कारखानेदारों ने तालाबन्दी कर दी और इस प्रकार 3 हजार मजदूर बेकार हो गये। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है यह मुझे नहीं मालूम। तालाबन्दी होने से झगड़े हो रहे हैं वहां पर....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ही।

श्री केसरीमल : थोड़े में ही।

मजदूरों पर हमले कराये जा रहे हैं। सरकार मजदूरों के हकों के लिये क्या कर रही है? इनकी मांगों को मनवाने के लिये क्या कर रही है? मालिकों ने जो ताला बन्दी की उसको खुलवाने के लिये भी सरकार क्या कर रही है? सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि जिससे उन कारखानों की तालाबन्दी खुले और मजदूरों की तनख्वाह बढ़े। वरना वहां पर शांति भंग होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाये। मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव यह था कि अजमेर में एम. टी. सी. कारखाने की यूनियन के पदाधिकारियों पर हमले किये गये हैं। लोगों के ऊपर प्राणघातक हमले किये गये हैं दूसरी यूनियन के लोगों के द्वारा। इसमें पुलिस का हाथ है और कारखानों के अधिकारियों का हाथ है, और यह हकीकत बन गई है कि प्राणघातक हमले कराये जायं। क्यों नहीं सरकार ऐसे हमले को रोकती है? बहुमत पर चुन कर आयी यूनियन को मान्यता न देकर अल्पमत की यूनियन को मान्यता देकर झगड़े कराये जा रहे हैं। उन लोगों को दबाने और उनका दमन करने के लिये उन पर नाना प्रकार के मुकदमें दर्ज कराये जा रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सरकार के द्वारा तुरन्त एक्शन लिया जाना चाहिये ताकि उन लोगों को 107 आदि धाराओं में परेशान न किया जाय। बहुमत को मान्यता मिले और जिन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों पर हमले किये हैं उनको गिरफ्तार किया जाय और कार्यवाही की जाय। जिन अफसरों के सामने उन लोगों की लाठियों आदि से पिटाई की उन अफसरों को सस्पेण्ड किया जाय जिनको अभी तक भी सस्पेन्ड नहीं किया है। जानबूझ कर इस प्रकार उन लोगों पर हमले कराये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री केसरीमल : इस प्रकार की स्थिति पैदा की जा रही है कि जिससे उन यूनियन को दबाया जाय। इसलिये श्रम मंत्रीजी इस पर बयान देकर बतायें कि इसको किस प्रकार से रोका जा सकेगा।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ही।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : आपने पहले ही कह दिया।

श्री अध्यक्ष : आप जैसे बुद्धिमान को पहले ही कह दिया जाना चाहिए।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : माननीय अध्यक्षजी, गंग नहर में किसानों से ...

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

वसूल किये जा रहे हैं। 15 साल पहले किसी ने शिकायत कर दी तो उसको लेकर किसानों पर बड़े बड़े तावान किये जाते हैं। पैनेल्टी जायद की जाती है। उदाहरण मैं अपना ही दूंगा। मेरे गांव में एक आदमी ने शिकायत की कि रणजीतसिंह का पानी गुरदयालसिंह लगा रहा है लेकिन रणजीतसिंह कहता है कि गुरदयालसिंह नहीं लगा रहा है। इस बेसिस पर सारे गांव पर तावान ठोक दिया। मार्ग पर ईंटें टूट गयी थीं। उससे कोई एक्सेस पानी नहीं निकला।

श्री अध्यक्ष : आप यह पहले भी फरमा चुके हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं अर्ज कर रहा हूं कि उसमें से पानी नहीं निकला, कोई बात नहीं हुई। गांव वाले एस. डी. ओ. के पास गये उसने ईंटें लगा दीं। अब हो क्या रहा है कि गांव वालों से 11 हजार रुपया वसूल किया जा रहा है और 6 हजार रुपये तावान के रूप में वसूल किया जा रहा है।

सन् 1972 के अन्दर इस बात की चर्चा हुई कि किसानों से यह जो कमीशन वसूल किया जाता है वह फसल बेचते समय उन किसानों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए किन्तु खरीददार से ही लेना चाहिए। पिछली रबी के अन्दर वह कमीशन किसानों से वसूल न होकर खरीददार से वसूल हुआ लेकिन इस वर्ष लाखों रुपया किसानों से लिया गया है और मैं यह समझता हूं कि यह जो सरकार को रिट है वह गलत है। उनको चाहिए था कि आर्डिनेन्स पास कराते या सदन से कानून बनवाते जैसा कि इसमें प्रावधान है। अगली फसल आने वाली है, जल्दी से जल्दी इसका आप प्रबन्ध करें।

इसके अलावा एक स्थगन प्रस्ताव मेरा एक हरिजन के सम्बन्ध में है। इसमें सरकार के अफसरों की ज्यादती है, उनके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के हैं और इसलिए हैं कि खाद्य मंत्री ने फरवरी में मिलने पर यह आश्वासन दिया था, और वह आश्वासन समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है, कि राशन की दुकानों से गेहूं आदि वस्तुएं होली से पहले पहले उपलब्ध करा दी जावेंगी। पर वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ। चीनी बड़ी कठिनाई से कहीं कहीं होली के ठीक दिन मिलनी आरम्भ हुई पर वह भी कम मात्रा में मिली। होली का अवसर होते हुए भी एक किलो भी नहीं मिली।

इसके अलावा आज जो गेहूं आप सौ के भाव वाले को 106 में बेचना चाहते हैं वह भी नहीं मिला। फरवरी का कोटा भी नहीं मिला लोगों को बहुत सों को। बोरियां भरी पड़ी हैं। पर वितरण के आदेश के अभाव में वे पड़ी हैं। पिछले माह की 18 तारीख को कुछ लोगों को गेहूं मिला था। कुछ का बाकी रह गया था। तब कहा गया था कि बाकी को मार्च में मिल जावेगा। फरवरी का महीना छोटा था अब स्थिति यह है कि फरवरी का बचा हुआ मिलना तो मुश्किल लगता है, मार्च माह का भी मिलना मुश्किल लगता है। मैं चाहता हूं कि वह कोटा गेहूं,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कंकड़, पत्थर धूल मिला ही दीजिए । लोगों को, गरीबों को किसी तरह से पेट भरना है। आज बाजार में खाद्यान्न के भाव बेहताशा बढ़े हुए हैं। वे उनकी पहुंच के बाहर हैं खरीदना, इसलिये जो भी, जैसा भी, सरकार के पास है वही दे। दें तो सही। इसकी घोषणा आप उदारता से यहां सदन में कर दें। बढ़िया या घटिया जैसा भी गेहूं देना चाहें देने की घोषणा तो करें।

दूसरा मेरा प्रस्ताव लोक महत्व का इसलिए है कि अभी अभी मुझे जानकारी मिली थी कि आगामी माह से सरकार गेहूं के वर्तमान भावों में भी वृद्धि करने जा रही है दस परसेन्ट से लेकर 25 परसेन्ट तक। सरकार ने कहा था कि सौ रुपये वाला जैसा भी गेहूं है वह 106 में मिलेगा। मेरे कहने को आप भले ही राजनीति प्रेरित समझें पर वस्तुस्थिति यह है कि जैसा आपने कहा था कि 106 वाला गेहूं अच्छा बढ़िया क्वालिटी का होगा वैसा कुछ नहीं है, आपने केवल 100 रुपये वाले घटिया किस्म के गेहूं को ही बढ़िया बता कर 106 किया है। मुझे आशंका है कि उसी गेहूं का भाव अब आप 10–20 प्रतिशत बढ़ा कर 115 और 125 करना चाहते हैं।

मैं तो चाहता हूं कि आप मात्रा बढ़ाइये और गेहूं अकेला ही अधिक नहीं देना चाहते तो इसके एवज में थोड़ा बाजरा, जो आपने इकट्ठा कर रखा है वही दे दीजिये। नहीं तो समय बीतने पर वह बाजरा भी पड़ा पड़ा आपके गोदामों में सड़ जायेगा आप ज्वार देना चाहते हैं जो आपने बहुत रद्दी दर्जे की ऊंचे दामों में खरीद ली है। बाजरा भी आप बाद में सड़ जाने पर देंगे। आपकी तो रीति ही उल्टी है। आप गेहूं में भावों में वृद्धि क्यों करना चाहते हैं यह भी स्पष्ट है। इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आपके खाद्य भण्डारों और निगमों की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के कारण गेहूं के व्यापार में आपको भारी घाटा उठाना पड़ा है। वह घाटा आप जनता की जेब पर डाका डाल कर पूरा करना चाहते हैं। होना तो यह चाहिए था कि जिनकी अकर्मण्यता से और भ्रष्ट कारनामों से यह हुआ है उनको ही इसकी सजा दी जाती।

आपकी नीति भी अस्थिर है। या उसके पीछे आपकी स्वार्थ पूर्ति की राजनीति खेली जा रही है। पहले आपने घोषणा की कि व्यापारी पांच क्विण्टल माल रख सकता है, खरीद सकता है और उसे जिला से जिला में भी नहीं ले जा सकता। पर अब जिलाबन्दी तोड़ दी और मात्रा भी पांच क्विन्टल से बढ़ा कर 150 क्विन्टल कर दी। श्रीमन् शरणागत की तरह आप ने आज इन भ्रष्ट मुनाफाखोर जखीरेबाज व्यापारियों के आगे हथियार डाल दिये हैं। राष्ट्रीयकरण की नीति की असफलता को आपने सीधे ही स्वीकार कर लिया है। मोटा अनाज तो आपने सारे देश में खोल दिया है। कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका अनाज का राष्ट्रीयकरण तो फेल हो गया, अपनी अन्तिम सांसें ले रहा है, दम तोड़ चुका। अब तो केवल अपनी टेक रखने के लिए ऊट पटांग चलना चाहें और पब्लिक को परेशान और भूखों ही मारना चाहें तो अलग बात है। नहीं तो राजस्थान की सरकार को गुजरात की घटनाओं से सबक लेकर यह घोषणा कर देनी चाहिये कि राज-

(५५)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

स्थान में भी राष्ट्रीयकरण फेल हो गया है। स्पष्ट स्वीकारोक्ति कर लेनी चाहिए। आज आपने सभी तरह का व्यापार करने की खुली छूट व्यापारियों को दे दी यह शुभ लक्षण है हमने पहले ही कहा था। इन व्यापारियों को आपस में ही खुला कम्पीटीशन में आने दो। व्यापारी को व्यापारी ही ठीक कर सकता है। सरकारी भ्रष्ट तन्त्र नहीं। मुक्त व्यापार में स्थिति यह आ सकती है कि व्यापारी केवल मात्र बोरी दाने में कम्पीटीशन पर उतर कर व्यापार कर सकता है। पर आज तो सरकारी तन्त्र और कांग्रेसी मन्त्री दोनों व्यापारियों से मिल कर अनाप शनाप गरीब जनता की खुली लूट कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण की आड़ में।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि जयपुर में जिनको फरवरी का राशन लोगों को मिलना चाहिए। मार्च का भी इसी माह में मिल जाना चाहिये। गेहूं तीन के बजाय छः किलो मिलना आवश्यक है। बाकी मोटा अनाज आप दस किलो दें।

श्री केदारनाथ : 16 तारीख को कान्फ्रेंस होने वाली है, तब घोषणा करेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय हरिजन कर्मचारियों को आवश्यक रूप से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण छूआछूत की भावना से प्रेरित होकर नौकरी से निकाला गया है जो अत्यन्त अनुचित और एतराज के काबिल काम है। इस बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी। उन अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये और उन 20 कर्मचारियों को तुरन्त वापस नौकरी में लिया जाना चाहिये। यह महत्वपूर्ण मसला है।

मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप छूआछूत करें, चिन्ता नहीं। यह खतरनाक नहीं है जितना उन लोगों को रोजगारी से वंचित करके उनको तथा उनके परिवार वालों को भुखमरी में धकेलना।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के भाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। इतनी सूचना और दे देना चाहता हूं कि दो बजे इसका उत्तर प्रारम्भ होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, किशनपोल बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पिछले वर्ष की कठिनाइयों का और उपलब्धियों का दोनों का उल्लेख किया है। अध्यक्ष महोदय, समस्यायें मनुष्य जीवन में आना अनिवार्य है और एक समस्या को हल किया जावे तो दूसरी का उपस्थित होना भी प्रकृति का नियम है समस्यायें मनुष्य जीवन के साथ लगातार चलती रहती हैं। नहीं तो जड़ता आ जाती है। पर समस्यायें निरन्तर आती रहें और उनका हल भी न निकाला जावे तो उस स्थिति में भी जड़ता आ जाती है। तो

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

समस्याओं का समाधान निकालना और दूसरी समस्या का बहादुरी के साथ प्रतीक्षा करना उसका भी समाधान करते जाना यही प्रगति है। जो समस्याएं पिछले साल थीं उनका उल्लेख इसमें मिलेगा, उनका उल्लेख दो साल पहले वाले में भी मिलेगा और तीन साल पहले वाले में भी मिलेगा। तो यह हमारी जड़ता के लक्षण हैं इस जड़ता को हमें दूर करना है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे अहम समस्या अकाल की है। यह हमारे लिये महामारी बन गई है। इसका स्थायी हल आज दिन तक हम नहीं निकाल पाये। इस भाषण में भी आज कोई संकेत नहीं मिलता कि सरकार इसका क्या स्थायी हल खोजती है।

रेगिस्तान की समस्या वास्तव में हमारे लिये बहुत भीषण है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर हल करना चाहिये। इसके हल में अकाल की समस्या का हल भी निहित है। यहां अकाल और इस रेगिस्तान के निपटने के बारे में काफी लम्बी चौड़ी बहस हो चुकी है।

इस अभिभाषण में कहा गया कि विगत अकाल के दौरान 60 करोड़ रुपयां खर्च किया गया और 13 लाख लोगों को काम दिया गया। ये आंकड़े भुलावे में डालने वाले हैं। यह सभी जानते हैं कि राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां अकाल नहीं था और जो टारगेट सरकार ने फिक्स किये, वे अचीव एक जगह भी नहीं हुए। अकाल में जितने लोगों को रोजगार देना चाहिये था नहीं दिया जा सका। समय पर उनको सहायता नहीं पहुंचाई गई, यह भी कटु सत्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ने और अन्य लोगों ने कोशिश ही नहीं की। इतना होने पर भी किसी अधिकारी को इसके लिये दोषी नहीं ठहराया गया न किसी को दण्डित ही किया गया। किसी स्तर पर किसी भी जिलाधीश से इसके लिये स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया कि समय पर राहत के काम क्यों नहीं चलाये गये।

अध्यक्ष महोदय, आज उसके बाद और सबसे अहम सवाल महंगाई और अभाव का है। आज महंगाई से जन-जीवन इतना प्रभावित है कि कहीं भी चले जाइये, होटल, रेस्टरां में चले जाइये, चाय की छोटी सी दुकान पर चले जाइये, वहां एक मात्र महंगाई और अभाव की चर्चा ही सुनने को मिलेगी। इस महंगाई के समय पर राजस्थान की जनता ने धैर्य से काम लिया इसके लिये तो राजस्थान की जनता बधाई की पात्र है लेकिन हम उससे सन्तोष कर पायें तो कम से कम मैं समझता हूं यह गलत है। आज राजस्थान का आम आदमी इतना ही प्रभावित है जितना गुजरात में। हालात में कुछ अन्तर हो सकता है और हो सकता है अपोजीशन पार्टी ने वहां लोगों को गुमराह किया हो, यह बात अलग है। राजस्थान का जन-जीवन उतना ही परेशान है जितना गुजरात की हालत है।

अध्यक्ष महोदय, आज यह कह कर नहीं चलें कि महंगाई विश्व व्यापी है। यह एक मात्र कारण नहीं हो सकता है कि महंगाई विश्व-व्यापी है, इसलिये मैं समझता हूं राजस्थान की जनता का कोई सन्तोष—

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

अब जवाब यह सरकार नहीं देती है। मैं समझता हूं यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। महंगाई की समस्या के लिये चार लाइन इस भाषण में हैं, मैं समझता हूं थोड़ा विश्लेषण होना चाहिये। आज मैं समझता हूं इस समस्या के सामने राजस्थान में जितनी दूसरी समस्यायें हैं वे सब गौण हो चली हैं। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, महंगाई का सवाल। आखिर यह महंगाई क्यों हुई ? यह हम मान कर चलते हैं कि स्केयरसिटी है और वह स्केयरसिटी कन्ट्रोल रेट पर खरीदने की है, वरना बाजार में कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं मिलती है। सवाल है ब्लेक में मिलने का। ब्लेक में बाजार में हर चीज जितनी मात्रा में चाहो, उतनी मात्रा में मिल जायगी। तो इसका मतलब स्केयरसिटी क्रियेट की गई है और यह स्केयरसिटी इसलिये क्रियेट की गई है कि वह चीज महंगे भावों पर बिकती है। प्रोफिटियर्स एन्करेज करते हैं, ब्लेक-मेलर्स उस चीज को एन्करेज करते हैं। आम आदमी की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह उन चीजों को उन भावों पर खरीद सके। आज तक इसका ठोस कारण, चाहे उधर के लोग हों और चाहे इधर के लोग हों, नहीं दे पाये हैं। कुछ लोगों का यह कह देना कि सभी जगह महंगाई बढ़ गई, उचित नहीं है, और, अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का यह कह देना कि कांग्रेस के राज्य में महंगाई बढ़ गई, वह भी कोई तर्क संगत बात नहीं है, कोई लोजिक नहीं है, और इसी प्रकार हम भी कहें कि विरोधी दल के लोग जनता को गुमराह करते है या जनता को गलत दिशा में डालते हैं तो मैं समझता हूं वह भी कोई समुचित कारण नहीं हो सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस महंगाई के मामले मे सबसे बड़ी बात यही समझते हैं। कुल मिला कर हमारी नीतियां और हमारी नीतियों की क्रियान्विति कुछ हद तक असफल रही है। अगर वह कारण तलब करने लगते हैं तो सबसे पहले यह कहें कि यह राइट रिएक्शनरी पार्टी पब्लिक को गुमराह करती है, इम्पलीमेन्टेशन नहीं होने देती है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जनता में राइट रिएक्शनरी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं और बहुत स्पष्ट हैं। अगर हम केवल नाम लेकर ही यह कहें तो उचित नहीं है, बाकी जनता ने ही उस राइट रिएक्शनरी पार्टी को ठुकरा दिया है, चुनाव में जनता ने बुरी तरह ठुकराया है, यू. पी. में ठुकरा दिया। ये लोग जनता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और कहते हैं अपोजीशन पार्टी ने ऐसा किया। जनता तो स्वतः ही साथ नहीं देती है।

अध्यक्ष महोदय, इम्पलीमेन्टेशन के नाम पर हम एक बहुत पुराना नारा लगा देते हैं, बहुत पुरानी बात लगातार कहते हैं कि हमारा शासन तन्त्र नहीं होने देता है। यह बहुत पुरानी बात है। शासन तन्त्र किसका है? सरकार किसकी है ? सरकार हमारी है और हमारी सरकार होते हुये उस शासन तन्त्र को इतने वर्षों में तब्दील नहीं कर सके, उस शासन तन्त्र मे क्रियान्विति नहीं करा सके और हमारी असफलता को यह कह कर लेना चाहें कि शासन तन्त्र की ढिलाई की बात है, तो यह भी गलत है। कभी किसका नाम लें और कभी किसका नाम लें, यह गलत है।

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की नीतियों के बारे हम घोषणा करते हैं और ऐसी घोषणायें करते हैं जो एक दूसरे की विरोधी हैं और फिर उन नीतियों को बदलते हैं, उन नीतियों में रिलैक्सेशन करते हैं, चाहे अनाज को बाहर भेजने के बारे में बात हो और चाहे लेवी के बारे में बात हो, चाहे किसी भी बारे का प्रश्न हो, उसमें फेर बदल करते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कमजोरी कहीं न कहीं हमारे में है। नीतियां बनाते वक्त हम कितने गंभीर होते हैं, यह उस बात का द्योतक है। अध्यक्ष महोदय, नीतियां बनाने से पहले किसी प्रकार की तैयारी न हो और जल्दीबाजी में कागज पर नीतियां बनावें तो यह कोई औचित्य नहीं लगता है। उन नीतियों का क्रियान्वयन न हो और आगे चलकर हम उन नीतियों पर स्टैन्ड न करें तो मैं समझता हूं यह हमारे लिये उचित नहीं है। राइट रिएक्शनरिज के आगे घुटने टेक दें, व्यापारियों की लिमिट बढ़ा दें, कभी अनाज को निकासी बन्द कर दें तो कभी अनाज की निकासी खोल दें, तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कमजोरी कोई न कोई हमारे साथ है। आज भी, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है–यह राष्ट्रीयकरण और इस राष्ट्रीयकरण की विफलता। यह केवल आज के युग का प्रश्न नहीं है। यह आने वाली जनरेशन का प्रश्न है। अगर राष्ट्रीयकरण से कदम पीछे हटाते हैं तो आगे आने वाली जनरेशन यह कहेगी कि राष्ट्रीयकरण की नीति असफल होती है और राष्ट्रीयकरण से आगे जाकर यह देश अग्रसर नहीं होगा।

. आप आने वाली नस्ल को राष्ट्रीयकरण के लाभ से वंचित रखना चाहते हैं। उस विफलता के पीछे हमारी शासन तन्त्र की कमजोरी हो सकती है पर राष्ट्रीयकरण का प्रश्न मौलिक रूप में कभी भी गलत नहीं हो सकता है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं इसेन्शियल कमोडिटीज का टमलोट टेक ओवर नहीं करेंगे और उसके सामने आने वाली छोटी मोटी दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे तब तक आज की राष्ट्रीयकरण की नीति सफल नहीं होने वाली है। और आज की परिस्थितियों में राष्ट्रीयकरण की नीति का सफल होना नितान्त आवश्यक है। आज के लिये भले ही, अध्यक्ष महोदय, वह न हो लेकिन आने वाली जनरेशन के लिये यह एक निर्देश देना है। राष्ट्रीयकरण को सफल बनाना है और पूरी तरह सफल बनाना है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था अब चीनी का और सीमेन्ट का और वनस्पति के बांटने का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों के माध्यम से ये सब चीजें बांटनी चाहिये। यह सरकार मंजूर करती है और बंटवाती है, लेकिन अनेक उदाहरण हैं, सहकारी समितियों के नाम पर आरोप लगे हुये हैं कि व्यक्तिगत लोगों को यह परमिट मिल रहा है। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। सहकारी समिति के नाम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। आपके सप्लाई डिपार्टमेंट में एक गड़बड़ी है और आप खुद सोचते हैं, आपने 11 डी. एस. ओज को ट्रान्सफर करके यह सिद्ध किया है और आप यह मानते हैं कि कि उनकी एफीसियेन्सी है तो उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन प्रपोज किया ?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

पेट्रोल की खपत का सवाल है । पेट्रोल का संकट आज देश के अन्दर भी है और विश्वव्यापी संकट है और राजस्थान के अन्दर भी है। इस संकट को दूर करने के लिए राजस्थान की सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह कदम इतने हास्यास्पद लगते हैं कि जिसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते एक तो जो लिमिट बांधी है इसका नतीजा यह निकला कि राजस्थान के अन्दर बड़े-बड़े अधिकारियों ने दौरे करना कम कर दिया है। शहर में उनका घूमना, व्यक्तिगत काम से घूमना या उनके बच्चों का घूमना कम हो गया है। मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सीमा बांध दी शहर के लिए और उसकी खूब पब्लिसिटी की गयी । 10 लीटर रोज की सीमा उनके लिए बांधी है और इस बात को हर कोई जानता है कि 10 लीटर का मतलब 80 किलोमीटर रोज। सिविल लाइन्स से असेम्बली 5 किलो मीटर है और इसके अलावा आप दिन भर कहीं गाडी घुमाना चाहते हैं ? कितनी बार सेक्रेटेरिट जाना चाहते हैं ? कितनी बार मीटिंग में जाना चाहते हैं, कितनी बार असेम्बली में जाना चाहते हैं ? और यदि पूरे शहर में गाड़ी घुमाना भी चाहें तो दस लीटर वाली समझ में नहीं आई । आप कहते हैं कि हम मितव्ययता कर रहे हैं और सीलिंग लगा रहे हैं और फिर एक मिनिट की गाड़ी के लिए एक दिन के लिए 10 लीटर यह हास्यास्पद बात ही है ।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इसमें भूमिहीनों को जमीन आवंटन का जिक्र किया गया है। भूमिहीनों को आवंटन का प्रश्न उत्पादन की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। और जब उत्पादन की दृष्टि से जुड़ा हुआ है यह तो यह महंगाई के प्रश्न से भी जुड़ा है। मैं क्योंकि समय कम है, अधिक डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन 9 लाख 50 हजार भूमिहीनों को 61 लाख एकड़ भूमि अलाट की गयी। कितने भूमिहीनों को और कितने दलित वर्ग के लोगों को कब्जा दिया जा चुका है और कितने लोगों को कागजों पर अलाटमेन्ट हुआ है यह भी एक अहम प्रश्न है और इसका भी उत्तर आना चाहिए। और इससे भी अहम प्रश्न और है कि जो राजस्थान के अन्दर बड़े बड़े राजनेताओं के खिलाफ, बड़े बड़े आफिसर्स के खिलाफ प्रभावशाली लोगों के खिलाफ, याने एट आल लेवल्स, जमीन हथियाने के आरोप सही और गलत दोनों किस्म के लगे हुए हैं और उनमें से कई बड़े गम्भीर आरोप हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि और राजस्थान की सरकार एक जांच कमेटी बैठाये पंजाब की तरह से और इसकी जांच कराई जाये सब मामलों की तो मैं समझता हूं कि जनता में आपके लिये आस्था पैदा होगी और यह बड़ा अच्छा काम होगा। और आप जांच नहीं बैठाते हैं, क्योंकि जांच बैठाने से निश्चित बात है कि कई सौम्य मूर्तियां खण्डित हो जायेंगी और यह आशंका बिल्कुल निर्मूल नहीं है तो आपकी नीयत के ऊपर सन्देह होना कोई अनुचित बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, ट्रान्सपोर्ट का 25 परसेन्ट नेशनेलाइजेशन के टारगेट का जिक्र इसमें किया गया गया है ! मैं समझता हूं कि यह एक निस्सन्देह ऐसा कदम है जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। उदयपुर सम्भाग में, जहां किन्हीं कारणों

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)
से आज तक रूट्स नेशनेलाइज नहीं की गयी थीं और जिनको टच नहीं किया गया था, उस सम्भाग के अन्दर अगर नेशनेलाइजेशन हुआ है तो यह स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

इसी तरह से दवाइयों में मिलावट को रोकने का प्रश्न है तो यह भी एक बधाई का कदम मानकर चलता हूं मैं। और इसके दो पार्टनर्स जो कि फर्जी बिलों में है एक तो डाक्टर और दूसरे पेशेन्ट्स उनके ऊपर भी गवर्नमेंन्ट हाथ डालेगी ऐसा मानकर चलता हूं। लेकिन तीन चार रोज जयपुर में हड़ताल रही तो मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान सरकार को जिस सख्ती के साथ दवा विक्रेताओं के साथ पेश आना चाहिए था उस सख्ती से नहीं आई। अध्यक्ष महोदय डी. आई. आर. के तहत कानून बनाकर, आर्डीनेन्स निकालकर उनसे दुकानें खुलवाई जा सकती थी एसेन्शल कमोडिटीज एक्ट के अन्दर लेकिन ऐसा नहीं किया गया और आने वाले वक्त में उनका इस प्रकार का सजेशन है अब तक जो गलतियां हुई उनको माफ किया जाये। तो मैं समझता हूं कि टेक्नीकल गलती है उसको तो माफ करने का प्रश्न अलग हैं उसको अपोज नहीं करना चाहिए, लेकिन फर्जी बिल बनाने की बात है तो यह क्रिमिनल आफेन्स है और इसमें किसी प्रकार की रियायत राजस्थान की सरकार को नहीं देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब महज इत्तफाक है कि माननीय छंगाणी जी नहीं है लेकिन इस सदन के अन्दर बैठकर कई मांगें किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने की है। और मैं समझता हूं कि इस जिम्मेदारी पर पहुंच गये कि प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द करने का ऐसा प्रश्न है और मैं समझता हूं इस संबंध में यह कोई कदम उठायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेन्स कोआपरेटिव सोसाइटी से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को बिना सूद कर्ज दिया जा रहा है। तो यह एक ऐसी इन्सटीट्यूशन है कि इसके नियम बड़े जटिल हैं। इसकी सबसे पहली बात तो यह है कि जो बिना सूद कर्जा देते हैं उनके लिए सबसे पहला प्रावधान यह रखा हुआ है कि एक वकील बनाना अनिवार्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रावधान अवैधानिक है और यह लीगल नहीं कहा जा सकता। तो एक गरीब व्यक्ति के ऊपर यह फाइनेन्स सोसाइटी जबरदस्ती वकील का बोझा लादे और वकील की फीस दिलवाये यह नियम बहुत जटिल हैं। लोगों को बराबर चक्कर लगाने पड़ते हैं और मैं समझता हू कि उनके नियमों का सरलीकरण करना बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही यह ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार ने गुजरात की तरफ देखकर कह दिया। और गुजरात से सामान्य मानें तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था सामान्य रही। लेकिन वह मापदण्ड लेकर नहीं चलते हैं तो राजस्थान के अन्दर स्थिति सामान्य मानकर नहीं चल सकते क्योंकि पिछले तीन

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)
महीनों के अन्दर 6 साम्प्रदायिक दंगे हुए, और खास तौर से उदयपुर के अन्दर दो वर्ग हैं उनमें बराबर दंगे होना, एक ही इश्यू को लेकर, यह साफ बताता है कि जनता के अन्दर टेन्शन है। लाठी चार्ज और सब तरह का वायलेन्स रहा है और इतनी सन्तोषप्रद स्थिति मानकर नहीं चलता हूं, बल्कि यह मानकर चलता हूं कि आज भी जनता में टेन्शन है और यह कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। इसलिए विजिलेन्ट रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, लोक आयुक्त एवं जन अभियोग निराकरण विभाग में 11 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 8 हजार मामले हल किए गए। यह स्पष्ट नहीं है कि 8 हजार में किन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं या नहीं लिये गये हैं। और इसी संदर्भ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां राजस्थान में लोकायुक्त को कायम किया गया है यह अपने आप में एक नोबल इंस्टीट्यूशन कायम करने का श्रेय राजस्थान सरकार ने लिया है लेकिन आज उसकी क्या उपयोगिता है और कहां तक वह उपयोगी सिद्ध हुई है, इस पर विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि लगभग एक वर्ष हो गया जब कि हमने लोकायुक्त नियुक्त करने का फैसला किया और लोकायुक्त का अपाइन्टमेंट किया। साल भर के अन्दर इतना खर्चा करके आपने इस इन्स्टीट्यूशन को डवलप किया तो आखिर उनके पास कितनी शिकायतें आई और उन पर क्या फैसला हुआ? और अगर शिकायतें नहीं आई तो, अध्यक्ष महोदय, हमको यह भी विचार कर लेना चाहिए कि शिकायतें नहीं आने की वजह क्या है? क्या वास्तव में ही शिकायतें नहीं हैं इसलिए शिकायतें नहीं आई हैं या उस एक्ट के अन्दर हमने ज्यादा स्ट्रोंग प्रोविजन रख दिए हैं, hardship with Complainant जिसके बारे में पहले भी काफी चर्चा हुई थी। इस बारे में पुनर्विचार करके निर्णय लेना चाहिए। अगर हम इस इन्स्टीट्यूशन को वाकई उपयोगी बनाना चाहते हैं तो हमको ज्यादा लिबरल बनाना चाहिए जहां तक कम्पलेन्ट का प्रश्न है या फिर इसको समाप्त कर देना चाहिए।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : लोकायुक्त के पास शिकायतें नहीं आ रही हैं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह खुद ही शिकायतें पैदा कर रहा है। एक ने त्याग पत्र दे दिया है और दूसरा दूसरी तरह से व्यस्त है तो इसलिए लोकायुक्त को तो बाहर की शिकायतों की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पहले ही कह चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत चुनावों की इसमें कोई निश्चित घोषणा नहीं है कि चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे। सरकारी घोषणा जरूर है कि पंचायत के चुनाव होंगे और वह घोषणा अपनी जगह रही है, लेकिन आज की स्थिति में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे। तो, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुराना इश्यु हो गया है, बहुत डिबेट हो चुकी है। सदस्यगण भी कहते कहते थक गये हैं और मैं समझता हूं कि सरकार को भी थकान महसूस होनी चाहिए पंचायतों के चुनावों का

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)
कार्यक्रम घोषित करते हुए और फिर पोस्ट-पोन करते हुए। अगर पंचायत इन्स्टीट्यूशन असफल रही है तो हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर चुनाव नहीं कराने हैं तो वैसी घोषणा और अगर आगे चल कर चुनाव कराने हैं तो उसके कार्यक्रम की घोषणा होनी चाहिए। यह तो घोषणा हो गई है कि अभी चुनाव नहीं होंगे किन्तु कब होंगे इसकी घोषणा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक बात में अन्तिम और निवेदन करना चाहूंगा कि एक समस्या लगातार हाई कोर्ट बेंच जयपुर में स्थापित करने की मांग को लेकर के जयपुर की ओर से काफी अर्से से चल रही है। वैसे वर्तमान मंत्रिमण्डल से इस संदर्भ में कुछ अपेक्षा रखना ज्यादा लाभदायक प्रतीत नहीं होता और न विशेष आशा हो की जा सकती है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता था कि क्योंकि कुल मिला कर एक होस्टाईल एटीट्यूड, जयपुर में बेंच की स्थापना का जहां तक प्रश्न है, रहा है अपरेंटली स्पीकिंग। माननीय मोहनलाल छंगाणी और माननीय खेतसिंह दोनों ही पहले ही इस बारे में कह चुके हैं....

श्री निरंजन नाथ आचार्य : एक और को आमंत्रित कर लिया है या नहीं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : कि यहां पर नहीं हो सकती। माननीय मदेरणा साहब हैं वे भी जोधपुर से आए हैं तो वहां के लिए ही कहेंगे कि पूरी हाई कोर्ट जोधपुर में ही रहनी चाहिए। और उसके बाद में माननीय चन्दनमल जी साहब....

श्री अध्यक्ष : Why go on individuals ?

श्री सुरेन्द प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इसलिए करना चाहता था कि कुल मिला कर आज जो गवर्नमेंट का स्वरूप है....

श्री अध्यक्ष : But why go on individuals ?

श्री सुरेन्द प्रसाद व्यास : उसमें रामनारायण चौधरी साहब कितना कर पायेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मांग के बारे में, चूंकि मंत्रिमण्डल में आप सब लोग बैठे हैं, क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके और रीजनल कंसीडरेशन्स को छोड़ कर इन पर आप विचार करें और पूर्वी जनता को न्याय दिला सकें। ऐसी गवर्नमेंट से अगर जयपुर को बैंच मिल गई तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर इमोशनल इन्टीग्रेशन इतना जबरदस्त होगा, कि राजस्थान की भावनात्मक एकता बनाने के लिए इससे ज्यादा कारगर कदम नहीं हो सकता। जिस मंत्रिमण्डल के अन्दर जयपुर रीजन का प्रतिनिधित्व नहीं हो और उस मंत्रिमन्डल से अगर जयपुर को इन्साफ मिल जाय, पूर्वी राजस्थान की जनता को न्याय मिल जाय और जयपुर में बैंच कायम हो जाय तो जबरदस्त भावनात्मक एकता होगी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर जो कुछ भी आज तक हमारी सरकार ने साल भर में किया है वह ऐसी तस्वीर तो नहीं कि बिल्कुल ही निराशाजनक हो, लेकिन फिर भी मैंने आने कुछ सुझाव जरूर रखे हैं और जो आने वाले कार्यक्रम के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)
इंगित किया है उसके लिए हम सब आभारी हैं और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो भाषण हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं।

(12.46 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा हैं मैं उसमें भी अपने सुझाव निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारी देश की अन्न की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है और उसका समाधान करना आवश्यक है। तो इसके बारे में मैं सरकार को आपके द्वारा कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं पहला सुझाव तो यह देना चाहता हूं कि अन्न की स्थिति सुधारने के कृषि विभाग, इर्रीगेशन विभाग और विद्युत् विभाग पर निर्भर करते हैं। हम सब फालतू खर्च को करते हैं उनको कन्ट्रोल करके इस कृषि उत्पादन बढ़ाने में लगना जरूरी है. अन्यथा आज जो हमारी दशा है वह और भी खराब हो जाएगी। हमको सोचना जरूरी है कि आज अन्न के बिना हमारी क्या दशा है और आगे क्या होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि मोटे मोटे नदी और नाले जो कुछ भी राजस्थान में हैं उनका पानी बिना बांधों के जो बाहर जाता है उसको रोका जाय जिसमे लाखों टन अनाज की पैदावार हमारे यहां ज्यादा होगी। हमारे यहां की बनास नदी का पानी भी राजस्थान के बाहर जा रहा है और समुद्र में जाकर गिरता है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस पानी का उपयोग जरूरी है अन्न की स्थिति सुधारने के लिए। हमारे यहां के पानी को रोकना जरूरी है। जैसे मै आपको निवेदन करूं हमारे क्षेत्र के बारे में कि हमारे क्षेत्र में बीसलपुर डैम योजना है और यह सारी योजना मुकम्मिल है लेकिन उस बांध का निर्माण नहीं होने से हम सब हताश हैं। अगर यह बांध बन जाय तो हजारों कुओं में पानी आ सकता है और लाखों एकड़ जमीन में पैदावार हो सकती है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बांध को जल्दी से जल्दी बांधे जिससे लाखों टन अनाज की पैदावार हो सकेगी और जो पानी आज समुद्र में जाता है वह रुक सकेगा। हम नदी के दोनों साइड में पानी देख रहे हैं लेकिन वह पानी रोकने का साधन नहीं होने से बेकार जाता है और हमारी फसल नष्ट होती है आए दिन। वह नदी इतनी जबरदस्त है कि अगर बीसलपुर डेम का निर्माण हो जाय तो लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। आज तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है तो अब तो, जब कि हमारे देश में अन्न का संकट है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस योजना को लागू करने से हमारे राष्ट्र का हित होगा और आम जनता का भी हित होगा।

इसके साथ साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं कि बनास के पास हमारी डाई नदी है जिसके बारे में भी हम बराबर सरकार से बहुत नम्र निवेदन करते

(श्री चतुर्भुज)

रहे हैं। वह डाई नदी का पानी भी बाहर जाता है और इसमें हमारी फसल नष्ट होती है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डाई नदी का बांध सरवाड़ तहसील जिला अजमेर में समलिया गांव के पास बंधवाएं तो इससे बहुत लाभ हो सकता है और 138 गांवों में सिंचाई हो सकती है। यह बांध थोड़े से खर्च से बन जायगा जिससे कम से कम 138 गांवों को लाभ हो सकेगा जिसमें 17 गांव तो देवली तहसील के हैं। तहसील केकड़ी के 27 गांव आते हैं। तहसील टोडारायसिंह में 43 गांव हैं। 13 गांव अराई तथा 28 गांव सरवाड़ के आते हैं। एक अंधेरी नदी पड़ती है। वहां पर नदी का बांध बनाना चाहिए। वह सिंचाई के लिए बहुत लाभदायक होगा। इससे पैदावार ज्यादा होगी। आज की स्थिति में अनाज की पैदावार को बढ़ाना है। अगर अनाज की पैदावार को नहीं बढ़ाया तो मुश्किल समय आने वाला है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारी स्थिति पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सिंचाई के कामों को करना चाहिए। सिंचाई की सुविधा को अगर बढ़ाया गया तो अनाज की उपज बढ़ेगी। स्थानीय जनता को मदद मिलेगी। पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सबसे पहले बांध बनाने की कोशिश की जाये। नदी और नालों का पानी राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सन् 1966-67 एवं 1972–73 के अन्दर जो अकाल पड़ा था, उसके अन्दर जो हर जिले में छोटे छोटे टैंक बनाये हैं। उनसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। अगर वह ठीक होते तो लाखों टन अनाज की उपज होने वाली थी। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। वे बांध न तहसील के अन्दर में, न पंचायत समिति के और न सिंचाई विभाग के हैं। न उनके मोरी है। उनसे पानी की नालियों द्वारा पानी निकालने की व्यवस्था भी नहीं हैं। सरकार का जो लाखों रुपया लगा है, उसका कोई उपयोग नहीं किया गया है। अतः इनको तत्काल सिंचाई विभाग में लेकर उपयोगी बनाया जाय। आज जो बांध हैं, उनकी मरम्मत नहीं करने के कारण सूखा पड़ने पर उनका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। उस लगे हुये धन का कोई उपयोग नहीं है। लाखों रुपया सरकार का लगा हुआ है। यदि उनका सदुपयोग होता तो बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई हो सकती थी। लेकिन आज वह पानी हाथ में नहीं आता है। इससे बड़ा दुख होता है। गरीब आदमी को पानी नहीं मिलता है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है। आज सरकार का कम से कम करोड़ों रुपया लगा हुआ है। फैमिन के अन्दर अगर राज्य सरकार ने सम्भाल लिया तो कम से कम मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 1 लाख टन अनाज पैदा हो सकता है। आये दिन किसान रहट या बरसात पर निर्भर करता है। उस पर भी हम आधा वसूल करना चाहते हैं। एक तरफ हमारा ऐसा इन्तजाम है। अगर जनता को सुविधा मिले तो लाखों टन अनाज बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हम

(श्री चतुर्भुज)

की योजनाओं के अनुसार विचार करना चाहिए। योजना को लेकर लाखों मन अनाज की व्यवस्था की जाये। अन्न की स्थिति को देखते हुये सरकार को इससे लाभ लेना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल सिंह।

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बड़ी निराशा से कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मंहगाई और बढ़ती हुई कीमतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस विषय पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला है। इसलिये मैं केवल इतना ही निवेदन सरकार से करना चाहूंगा कि इसके लिये सरकार व्यापक कदम उठाये जनता को राहत देने के लिये।

लेवी वसूली के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में पटवारियों ने बड़ी भारी मनमानी की है। मनमाने तौर लेवी के आंकड़े रखे है। जिससे हर किसान को परेशानी उठानी पडी है। दूसरे, जो लेवी के बारे में आदेश दिये गये, यह उपयुक्त समय में नहीं दिये गये। यह उस समय हुये जब कि अधिकतर किसान अपनी फसल को, अपने गल्ले को, निकाल चुके।

दूसरी बात लेवी वसूली के बारे में जो सेण्टर कायम किये गये हैं, वह आठ आठ और दस दस मील की दूरी तक कायम किये गये हैं। आठ आठ दस दस दिन तक गल्ला पडा रहा है। उनको दाम नहीं दिये गये हैं। वह वापिस चले गये हैं। इसके अलावा शीत लहर आई, उससे तो किसानों की कमर ही टूट गई। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उसमें अरहर और चने की फसल पूरी नष्ट हो गई है। गेहूं की फसल को 60 प्रतिशत नुकसान पहुंचा है। इन सब बातों को देखते हुये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा सरकार इस क्षेत्र में लगान की छूट की व्यवस्था करे। हरित क्रान्ति के बारे में बहुत कुछ सुनाया गया लेकिन उसका उदाहरण मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। गत सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से मन्त्री महोदय ने बांधों की एक सूची रखी थी जो सन् 1972 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गये थे। ये बांध अभी तक बनवाये नहीं गये हैं जब कि सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उनको बनवा दिया जायेगा। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि उन बांधों को बंधवाने की कृपा करें। मुझसे पूर्ववक्ता ने सवाई माधोपुर जिले में बिजली के भारी अभाव का उल्लेख किया अगर बिजली सवाई माधोपुर जिले में किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो अन्य सहायता देने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। इस बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जो 132 के. वी. लाइन अलवर से करौली व हिन्डोन से और गुरगांव से करौली बिछाने का प्रस्ताव सरकार के

(श्री बृजेन्द्रपाल सिंह)
समक्ष है, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर जल्दी ध्यान देकर इस लाइन को डाला जाए।

शिक्षा के बारे में मुझे निवेदन करना है कि कोटा, भरतपुर के बाद करोली में महाविद्यालय स्तर के छात्रों की संख्या 1009 है। वह तीसरे स्थान पर आता है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष यहां महाविद्यालय के पोस्ट ग्रेजूएट क्लासेज आरंभ की जाए। चिकित्सा के बारे में मुझे निवेदन करना है कि राजकीय चिकित्सालय में एक एक्सरे मशीन 40 वर्ष पहले लगाई गई थी। यह आज इतना रैडियशन निकालती है कि उससे मरीज व डाक्टर दोनों को हानि पहुंचती है, इसके लिये मैंने कई बार सरकार से निवेदन किया कि नई मशीन लगाकर पुरानी मशीन को हटाया जाए।

इसी तरह से इलेक्ट्रिक कारडियोग्राम की करोली के चिकित्सालय में बहुत आवश्यकता है। इस ओर भी ध्यान देकर इस कमी को पूरा किया जाय।

सड़कों के बारे में मुझे निवेदन करना है कि सवाई माधोपुर जिले में विशेषकर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वह जिला एक भारी डाकू ग्रस्त एरिया रहा है और इस बात का ध्यान रखते हुए सड़कों का विकास नितांत आवश्यक है और मैं निवेदन करूंगा कि सड़कों के विकास के लिए बजट में पर्याप्त मात्रा में प्रावधान रखा जाय।

जहां तक ला एण्ड आर्डर का प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों के घर पर डाकुओं का निरंतर आना जाना रहा और उनके साथ सांठगांठ होती रही और पुलिस विभाग निष्क्रियता के साथ बैठा रहा। यह एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी डाकुओं के उन्मूलन अभियान, जैसे पहले चलाया था फिर चलाया जाए एक तहसील ऐसी है जहां जबसे एक नया अधिकारी आया है तब से डकैतियों और चोरियों का तांता बढ़ा है, अभी तक उनको वहां से नहीं हटाया गया जबकि जो एक अच्छा अधिकारी था उनको वहां से हटाकर इनको लगाया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देकर कम से कम जनता को डाकुओं से राहत दिलाने का मौका दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा।

श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अकाल का सरकार ने बड़ी सुदृढ़ता व मुस्तैदी से मुकाबला किया लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शीत लहर के कारण फसल को काफी नुकसान हुआ है और आज लोगों को काम और अनाज की बहुत आवश्यकता हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह राहत कार्यों की व्यवस्था करे। आज ग्रामों में वितरण व्यवस्था से मिल पा रहा है इससे गांवों वालों में तीव्र असन्तोष उभर

(श्री भंवरलाल मदादा)

रहा है। इस उभरते हुए असंतोष को ध्यान में रखते हुए इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि वहां पर भी गेहूं पहुंच सके। इस अवसर पर मुझे इस बात का बड़ा विचार आता है कि जो हमारी गरीबी और बेकारी का निवारण का आर्थिक कार्यक्रम है, और उसको जो लोकतांत्रिक ढंग से पूरा करने का जो माध्यम है सहकारिता उस बारे में गत वर्ष कोई प्रगति होने का इस अभिभाषण में संकेत नहीं है, जिक्र नहीं है और आज तो सहकारिता का कार्यक्रम एक तरह से मरणासन्न अवस्था में है। अगर हम घोषित नीतियों के अनुसार चाहते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से गरीबी का उन्मूलन हो, रोजगार मिले, तो हमें इस सहकारी आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा और इस दिशा में अगले वर्ष राज्य सरकार ध्यान दे और व्यक्त करे कि ये सब कार्य होंगे।

इसके साथ साथ पंचायत विकास कार्यक्रम भी इन वर्षों में नगण्य सा हो गया है और विकास कार्यक्रमों का गतिशील बनाना है तो इस बात की आवश्यकता है कि हमारी जो लोकतांत्रिक पंचायती व्यवस्था है, उसको सफल करें और पिछले 10 वर्ष में चुनाव न होने के फलस्वरुप जो मरणासन्न अवस्था में पंचायती संस्थायें पहुंच गई हैं, और चुनावों की घोषणा करने के बाद भी चुनाव न होने से जनता में एक मायूसी फैल गई है, उससे निकालने के लिए और विकास कार्यक्रमों को गतिशील बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम पंचायती राज के संबंध में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको यथाशीघ्र करें और उसको अधिक सफल बनायें।

इसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग अस्पृश्यता कार्यक्रम को बिलकुल भूल गया। ऐसा माना गया है कि हमारे यहां छूआ-छूत और भेदभाव बिल्कुल समाप्त हो गया है जबकि आज भी गांवों में हरिजनों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, सार्वजनिक कुओं से उनको पानी नहीं भरने दिया जाता है और भी कई प्रकार के उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं जिससे हरिजनों में बड़ा आक्रोश होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अस्पृश्यता निवारण के कार्यक्रम को जिस प्रकार अभी तक ध्यान देते रहे है, अगले वर्षों में भी ध्यान दें और यथाशीघ्र जो कलंक हमारे देश पर लगा हुआ है, उसको मिटाने की कोशिश करें।

आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि गत वर्ष हमने 754 गांवों में बिजली पहुचाने का और 6 हजार कुओं को बिजली देने का अपने अभिभाषण में जिक्र किया था लेकिन यह बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। 1972–73 में हमारे यहां पर 15 हजार से ऊपर कुओं को बिजली दी गई जबकि इस वर्ष 6 हजार कुओं को बिजली दी गई।

इतने होने के बावजूद भी, उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत बहुत खराब है क्योंकि एक तरफ तो हम उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आज जो कुओं के लिये बिजली की आवश्यकता होती है वह हम काश्तकारों को नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारे यहां पर सिंचाई के साधन बहुत ही सीमित हैं और इस तरह से हालत बहुत ही निराशाजनक हो रही है। आज लोगों की बिजली के लिये अकेले चौमू

(श्री भंवरलाल भदादा)

तहसील में काश्तकारों की पांच अर्जियां आयी पड़ी हैं। वैसे और भी जिलों में होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा क्षेत्र के अन्दर भी कुओं के लिये बिजली के हेतु दो हजार लोगों ने आवेदन दे रखे हैं पर आज अभी तक उनके बारे में कोई सुनवायी नहीं हो रही है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा की तरफ आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर लोगों ने जो अर्जिया दे रखी हैं उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है और काश्तकार को राहत देनी है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिये जो मूल आधार हैं बिजली और पानी, वह हमें काश्तकार को उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसके अलावा छोटे मोटे सिंचाई के साधन भी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम उन्हें बिजली और पानी की उपलब्धि नहीं करा पायेंगे तो हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकेंगे और जो गरीबी और बेकारी मिटाने का लक्ष्य हमने बनाया है वह पूरा नहीं हो सकेगा हमारे आगे के कार्यक्रम इससे पूरे नहीं हो सकेंगे। इसलिये सरकार को इस बारे में युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिये जिससे कि हमारे यहां की जनता का आर्थिक विकास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे यहां के प्रोग्राम्स में यह भी है कि हम हरिजनों की बस्तियों को पानी और बिजली की सुविधायें दें। इसके लिये हमारी राज्य सरकार ने 25 लाख रुपया सैंक्शन किया है। इसके लिये मैं आपकी मारफत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह भी निवेदन करूंगा कि इन 25 लाख रुपयों की जो सैंक्शन हुई है वह धनराशि सिर्फ कागजों में ही नहीं रहनी चाहिये। आज राज्य सरकार के बिजली बोर्ड के पास सामान नहीं है और न जल विभाग के पास ही जल प्रदाय की योजना ही पूरी बनी हुई है। अगर इन योजनाओं को अच्छी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह योजनायें सिर्फ कागजी योजनायें ही बन कर रह जायेंगी और जो हम हरिजन लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ देने वाले हैं वह नहीं दे पायेंगे। इसलिये राज्य सरकार को इस ओर ऐसे कदम उठाने चाहियें जिससे कि यह योजनायें पूरी हो जायें और इसका लाभ उन्हें मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी कहा गया कि राज्य डेयरी के विकास का एक बड़ा काम हाथ में लिया गया है और इसमें उदयपुर, भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा और अजमेर में डेयरियां लगायी जायेंगी जो कि 1975–76 तक पूरी तरह से चलेंगी। तो जो भीलवाड़ा में डेयरी विकास के बारे में कहा गया है उसके बारे में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक वहां पर भीलवाड़े में डेयरी के विकास के लिये कोई नींव का पत्थर भी नहीं रखा गया है। तो इतना जल्दी यह काम कैसे पूरा हो सकेगा? इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाये ताकि वहां के काश्तकारों को और वहां की जनता को इसका लाभ मिल सके।

Page No. 58

(58)

(श्री भंवरलाल भदादा)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर स्माल इन्डस्ट्रीज में भी बढ़ोतरी के बारे में कहा गया है। सन् 1973 में 14, 835 स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन किया गया। तो, उपाध्यक्ष महोदय सवाल इस बात का नहीं है कि इतनी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन किया है बल्कि महत्व इस बात का है कि उन इन्डस्ट्रीज को उद्योग विभाग द्वारा कितनी सहुलीयतें दी गई, कितनी इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया गया कितनी इन्डस्ट्रीज कार्य रत हुई। यों तो कई गलत इन्डस्ट्रीज का भी रजिस्ट्रेशन होता है तो इसके लिए हमें सही आंकड़ो का पता लगाने की आवश्यकता है। हमें उन इन्डस्ट्रीज के कार्यान्वित होने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो हमें जो जनता को लाभ पहुंचाना है वह हम लाभ उन्हें नहीं पहुंचा सकेंगे। हमें इन इन्डस्ट्रीज को उद्योग विभाग द्वारा कर्ज दिलाने की भी व्यवस्था करनी चाहिये। उन्हें बिजली भी पूरी तरह से मिलनी चाहिये ताकि इसका पूरा लाभ जनता को मिल सके।

इसके अलावा यहां पर खनिज विकास की कारपोरेशन के बारे में भी कहा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक पहले ही खनिज उद्योग की निगम है। अगर हम सिर्फ कारपोरेशन ही बढ़ाते हैं नाम के लिये, तो मैं समझता हूं कि कोई काम नहीं होने वाला है पहले ही खनिज और उद्योग निगम है, वह स्टेण्ड स्टिल की तरह ही पड़ा हुआ है। और अगर हम और एक कारपोरेशन बढ़ाते हैं तो बेकार ही हम खर्च बढ़ा रहे हैं। वहां पर आप सिर्फ आफिसरों और क्लर्कों की एक फौज तैयार कर रहे है और पब्लिक एक्सचेकर को लूटा जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अच्छा तो यही होगा कि एक ही निगम जो पहले है वही कार्य करती रहे और राज्य सरकार को चाहिये कि उसे ही अधिक सक्रिय करे तथा ऐसी कार्यवाही की जावे कि जिसमे वह निगम, जो अभी विद्यमान है, वह अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यहां पर कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्सिंग सोसाइटी के बारे में भी कहा गया उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में जो कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसे पूरी तरह मदद नहीं मिल पा रही है। आज वहां की हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाईटी का सेकेट्री दो साल से यहां पर चक्कर काट रहा है पर कोई लोन की व्यवस्था नहीं हो पायी है और इसमे लोगों के मन में एक निराशा सी बन गयी है। जिन लोगों ने सिक्योरिटी जमा करा रखी थी वह भी आज वापिस निकालने की चेष्टा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि उन लोगों को तुरन्त राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेन्सिंग स कारपोरेशन से मकान बनाने के लिए लोन दिलाया जाये ताकि वह लोग अपने मकान बना सकें आज हरिजनों ने और पिछड़े वर्ग के लोगों ने दो दो और तीन पर्सेन्ट ब्याज पर रकम लेकर अपने शेयर के पैसे जमा कराये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनको बराबर ब्याज भरना पड़ रहा है और अब स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि वह लोग अपने पैसों की सिक्योरिटी को वापस निकालने की चेष्टा में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा आपके

(श्री भंवरलाल भवादा)

माध्यम से राज्य सरकार को इस बारे में जल्दी कार्यवाही करने के लिए निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि पिछले साल की तरह इस साल भी प्राइमरी एजूकेशन पर जोर दिया गया है। इस बारे में कहा गया है। इस साल करीब 1 हजार नये प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे और करीब 1500 प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड किया जायेगा मीडिल स्कूल के स्तर पर उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा, वह यह है कि स्कूलें तो आपने पिछले साल भी खोलने का प्रस्ताव रखा लेकिन स्कूलों में पिछले साल नवम्बर के माह तक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। तो होना वह चाहिये कि ज्यों ही आप स्कूल खोलें, आप जुलाई के माह में जब पढ़ाई शुरू हो, वहां पर स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हो जानी चाहिये ताकि हम जो लाभ जनता को देना चाहते हैं वह जनता को मिल सके। इसके अलावा जब आप प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करते हैं तो वहां के बच्चे उस स्कूल को पास करके दूसरी जगह पर जावेंगे तो उसके लिए आपको ऐसा प्रावधान भी करना होगा कि जिससे हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स और खोले जायं। ताकि जनता को उसका लाभ भी पहुंचे। सिर्फ स्कूलों को खोलने की घोषणा से ही काम नहीं चलेगा। इसके अलावा कुछ मैं जल प्रदाय के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज उपाध्यक्ष महोदय, केवल कागजी स्कीमस घोषित करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह ऐसी योजना बनावे जो कि स्टेण्ड स्टिल बन कर नहीं रहे, उन योजनाओं की क्रियान्विति सही ढंग से होनी चाहिये, सिर्फ स्कीम का नाम घोषित करके वहां पर सिर्फ स्टाफ बढ़ा कर पब्लिक एक्सचेकर पर खर्चा डालने से क्या फायदा इससे तो भार ही बढ़ता है उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी भी इस सदन में बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो जल प्रदाय व बिजली के लिए स्कीम्स बनाती है उसमें उन्हें पूरा करने के लिए सभी स्टेप लेने चाहिए। पूरी बिजली देनी चाहिये, पूरे उपकरण भी देने चाहिए ताकि वह स्कीम्स स्टेण्ड स्टिल बन कर नहीं रहे। आज आपने बिजली की सेंक्शन तो करदी लेकिन बिजली बोर्ड वाले सामान नहीं होने से बिजली नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा बिजली सप्लाई भी कमी के कारण नहीं दे रहे तो, फिर ऐसी घोषणा में क्या फायदा ? एक बात यह और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो कच्ची बस्तियों में और हरिजनों के कोलोनीज में नल बिजली लगाने की योजना बनायी है उसके लिए मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। वह यह कि वहां पर नल बिजली की व्यवस्था तो तुरन्त करावें ही पर इसके साथ साथ वहां पर पानी इकट्ठा नहीं हो और उससे ज्यादा गन्दगी नहीं फैले उसके लिए वहां पर उस पानी को निकालने के लिए नालियां बनाने की व्यवस्था जरूर कराने की कृपा करें ताकि उस गन्दगी से बीमारियां नहीं फैले और वहां पर सफाई भी रहे। इसके साथ साथ यहां पर राज्य सरकार ने जो इस साल के अन्त तक 25

(श्री भंवरलाल भदादा)

प्रतिशत रूट्स के नेशनलाइज करने की बात की है, जो घोषणा की है, वह बहुत ही उत्तम है। यह बहुत ही बड़ी प्रगतिशील बात है, इसके लिए मैं यह जरूर कहूंगा कि इसको पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि सार्वजनिक जनता को काफी लाभ पहुंचे। अब मैं अन्त में जो प्रस्ताव यहां पर श्री श्रीरामजी गोटेवाला जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखा है उसका समर्थन करता हूं तथा जो हमारी घोषित नीतियां हैं उनसे कि हमारे राजस्थान का आर्थिक और सामाजिक विकास निरन्तर होता रहेगा ऐसी मेरी धारणा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण किया और उसमें हमारे कांग्रेस की नीतियों तथा हमारी सरकार ने पिछले वर्ष क्या कार्य किये व आगे हमारी सरकार क्या क्या कार्य करने जा रही है उसका उल्लेख किया। उपाध्यक्ष महोदय, जैसी की हमारी योजनायें घोषित की गई हैं उनको अगर हमने सही रूप में एक्जीक्यूट कर दिया तो मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इससे आम जनता को राहत जरूर मिलेगी। देखना यह है कि इसी किस्म के प्रोग्राम्स गत वर्ष के अभिभाषण में भी निहित थे, बताये गये थे, बनाये गये थे और साथ ही देखना यह है कि क्या वे सब ही प्रोग्राम्स जिस तरीके से उन अभिभाषण में निहित थे वे एक्जीक्यूट किये गये या उनसे आम जनता को राहत मिली या नहीं। एक्जीक्यूट नहीं किये गये थे तो क्यों नहीं किये गये और न होने के क्या कारण थे उन कारणों को भी देखना पड़ेगा।

मैं इस अभिभाषण को उस नव विवाहिता वधु की संज्ञा दूं तो बुरा नहीं होगा पर वह नव वधु जब डोली में बैठकर डाकुओं के प्रदेश से गुजरती है तो वह किस तरीके से छिन्न भिन्न कर दी जाती है वही हालत वर्ष के अन्त तक इस अभिभाषण की होती है, क्योंकि जो अभिभाषण में प्रोग्राम्स निहित होते हैं वे एक्जीक्यूट नहीं होते हैं।

गत वर्ष भी शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियों में बत्तियां लगाने की बात थी। मैं निवेदन करूंगा कि क्या वे दावे के साथ कहा जा सकता है कि गतवर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे क्या वे पा लिये गये? अजमेर का उदाहरण दूंगा। आज भी वहां पर 25 परसेन्ट तक का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कल भी बात की तो यह हुआ कि अप्रेल तक कुछ होगा और उसके पेटे पैसा ले लेंगे। आज भी चार वर्ष पूर्व लगे हुए खम्भे बत्तियों से रहित हैं, रोशनी तो दूर रही पोइन्टस तक लगे नहीं हैं। खम्भे टूट 2 कर गिर रहे हैं अगर इस तरीके से उन प्रोग्राम्स को चलायेंगे तो जनता को राहत नहीं दे पायेंगे।

गत वर्ष शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियों में पानी देने का प्रोग्राम था, नल लगाने का प्रोग्राम था। नल जरूर लग गये लेकिन पानी

(श्री किशन मोटवानी)
नहीं आ रहा है। तो क्या नल सिर्फ आंसू पूंछने के लिये या देखने के लिये लगाये गये नल लगाये जायें और साथ ही यह भी देखा जाय कि उनमें पानी अवश्य आवे।

अजमेर क्षेत्र में हरिजन बस्तियां, शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियां ऊंचाई पर बसी हुई हैं। पानी की हालत यह है कि नीचे की बस्तियों को ही पानी नहीं मिलता है तो ऊपर बसी हुई बस्तियों को तो पानी आवेगा कहां से? इसलिए सिर्फ उनको खुश करने के लिये नल न लायें और ईमानदारी से सुविधा जुटायें और पानी पहुंचाने की कोशिश करें।

उसी तरीके से पिछले वर्ष शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के आवास हेतु भी प्रोग्राम्स थे जो अभी भी हैं और अगले साल भी थे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि जब अगले साल यह प्रोग्राम आया तो अजमेर में 25–30 संस्थायें रजिस्टर हो गयीं और हर्षोल्लास के साथ कहा गया उनको कि आपको आवास गृह मिल जावेंगे और अब इस प्रकार रेन्ट नहीं देना पड़ेगा। एक ऐसी ही सोसाइटी बनी जिसका मैं भी प्रेसीडेन्ट हूं। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे जैसे व्यक्ति के उस संस्था के प्रेसीडेन्ट होते हुए भी उस हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज को फाइनेन्शियल कारपोरेशन आज तक ऋण न दे तो और किसको दिया जा सकता है। शिड्यूल्ड कास्टस की पूरी की पूरी सोसाइटीज को ऋण नहीं दिया गया। इसलिए नियमों का सरलीकरण कर दिया जाय तब ही ठीक रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से सरलीकरण किया जा सकता है। पहले कहा कि ट्रान्सफर नहीं होती है तब तक ऋण नहीं दिया जा सकता है। फिर वकील को बताया। वह भी रकम जमा हो गई। फिर कहा कि यू.आई.टी. के जो प्लाट्स हैं उन पर जिस प्रकार के मकानात बनेंगे जिस प्रकार उन्होंने कहा है उसी प्रकार बनेंगे। हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी ने कहा कि 3 हजार निर्धारित हाउस बनाने होंगे, हमसे मेप्स पास कराने होंगे, मेप्स भी बना लिये और हमने कहा कि आपकी कन्डीशन्स सब मन्जूर हैं फिर भी कोई न कोई टेक्नीकल पाइन्ट लगाकर, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर पास करके दूर किया जा सकता है, ऋण नहीं दिया गया इस ओर सरकार तवज्जह देगी और टेक्नीकल अड़चने हैं उनको दूर करेगी तो हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसकी प्राप्ति होगी।

अगले साल भी प्राइमरी स्कूल और उनकी पदोन्नति का प्रोग्राम था। महज स्कूलों को सेंक्शन कर देना ही, मेरे ख्याल में, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उनके लिये पर्याप्त टीचिंग व्यवस्था होनी चाहिये, पर्याप्त रीडिंग की व्यवस्था होनी चाहिये, बुक्स वगैरा की बराबर उपलब्ध होनी चाहिये। मैं निवेदन करूं कि कई स्कूल हैं, जिनको हमने सेंक्शन किया अभी तक नहीं खुल पाये हैं। मै निवेदन करूंगा कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, अच्छा लक्ष्य था जिसको ईमानदारी से एक्जीक्यूट करें।

स्लम क्लीयरेन्स का भी इसमें प्रावधान है। पहले भी रखा था। उदाहरण स्वरूप मैं निवेदन करूंगा कि अजमेर में आज से 15-16 साल पहले उस ऐरिया को जिसको 'नरक कुण्ड'

(श्री किशन मोटवानी)

को संज्ञा पूज्य बापूजी ने भी दी उसको एक अच्छी बस्ती में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम था परन्तु आज उस 'नरक कुण्ड' की वही की वही हालत है। मैं यह आशा करूंगा कि इस साल जो अभिभाषण में स्लम क्लीयरैन्स के लिये प्रावधान रखा गया है उसका सही रूप मे एक्जीक्यूशन होगा और 'नरक कुण्ड' को सही रूप से बस्ती बना कर वहां के निवासियों के सही रूप में वहां रहने की व्यवस्था कर दी जावेगी।

आज हमारा देश, हमारा राजस्थान और हर व्यक्ति इस देश का विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। अनाज का अभाव, हर चीज का अभाव। महगाई बढ़ी है उसके लिये लास्ट इयर भी और इस साल भी पब्लिक डिस्टिब्यूशन सिस्टम को स्ट्रोंग बनाने का प्रोग्राम है। मैं कहूंगा कि उस प्रोग्राम को जिस तरीके से अगले साल किया और आज तक उस का क्रियान्वयन नहीं हुआ उस तरह से न करियेगा। इस पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन में सबसे बड़ी बात आती है वह यह बोगस राशन कार्ड्स की आती है। हमारी कोन्स्टिचुएन्सी या शहर में व राशन कार्ड छः सात वर्ष पहले के बने हुए हैं और इस तरीके से बनाये गये कि राशन की दुकान पर बंडल के बंडल बना दिये गये और जो आया उसको दे दिया गया। और वही के वही कार्डस आज तक चल रहे हैं। हमने इस बात को एक साल पहले दोहराया था और इस स्कीम को यहां पर दिया था और डिस्ट्रिक्ट्स में भी दिया था और उसको सही माना गया था परन्तु आज तक उसका क्रियान्वयन, पर्टिकुलरली अजमेर के लिये कह सकता हूं, नहीं हुआ। अब जब इसको उठाया गया तब तब कलेक्टर साहब की ओर से कहा गया कि अभी तो मैं अकाल राहत के कार्यों में व्यस्त हूं मैंने तभी उनसे कहा था कि अकाल राहत के कार्यों की व्यवस्था तो हो सकती है लेकिन आपका सप्लाई डिपार्टमेन्ट तो इसमें व्यस्त नहीं है। यदि आपका सप्लाई डिपार्टमेन्ट ईमनदारी मे काम चलाये तो कार्ड बन सकते हैं और उसमें हमारे वार्ड के मेम्बर्स और हमारे कार्यकर्ता सहयोग देने के लिये तैयार हैं। आज तक भी एक कार्ड नहीं बना है और मस्टर रोल नहीं बने हैं और न ही वितरण व्यवस्था ठीक है। मैं चाहूंगा कि उस स्कीम को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करावें ताकि जनता को दिक्कत न हो।

मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सही तरह से सरकार के प्रोग्राम क्रियान्वित नहीं होते हैं, समय पर नहीं होते है तो इसमें सरकार को गहराई से सोचना पड़ेगा। कौन दोषी है और दोषी है तो दण्ड से क्यों बच रहा है? उसे ऐसा दण्ड दिया जाय कि दूसरों के लिये मिसाल बन जाय।

(1.30 म. प.)

(श्रीमती मदन कौर, सभानेत्री, पदासीन)

मैंने पिछली बार बहुत गहरी अनियमितता का एक केस सदन में भी पेश किया था। इसी पटल पर सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया। उस मामले में सी. ओ. आई. या एन्टी करप्शन से जाच कराई जावेगी परन्तु खेद है कि आज तक

(श्री किशन मोटवानी)
उस मामले में जांच नहीं हुई। अगर हमारे मन्त्रीगण इसी तरह से आश्वासन देते रहे और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तो मैं समझता हूं कि जिस दिशा में हम अपनी प्लान्स को ले जाना चाहते हैं और जिस तरह से उनको क्रियान्वित करना चाहते हैं, नहीं होगी।

अन्त में आशा करता हूं कि सरकार अपने कार्यक्रम को कड़ाई से क्रियान्वित करावेगी जिससे जनता को राहत मिल सके।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। सरकार ने अकाल की समस्या पर नियन्त्रण पाने के लिये जो काम किये उनका मैं स्वागत करता हूं। अगर सरकार सजग नहीं होती तो समस्या के गम्भीर परिणाम हमारे सामने आते।

आज हमारे सामने मुख्य समस्या महंगाई और अभाव की है। मंहगाई अवश्य है, पर जो व्यवस्था इसके लिये हमारे पास है उसे सुचारु रूप से चलाया जावे तो यह इतनी अस्तव्यस्त दिखाई देने वाली मंहगाई की समस्या भी हल की जा सकती है।

संक्षेप में निवेदन करूं कि जहां तक अनाज के वितरण का प्रश्न है उन पर कन्ट्रोल हमने किया है, जो उचित है, ताकि भावों में वृद्धि न होने पावे। अब कन्ट्रोल तो हमने कर लिया है पर फिर भी भावों में तेजी से बढ़ोतरी हो गई तो इसका क्या हल है? मेरा निवेदन है कि इनके लिये हमें विक्रेता पर कन्ट्रोल करना चाहिये।

अभी कुछ दिन पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने एक स्टेटमेन्ट दिया था कि जो राशन अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं उनको वहां से हटा दिया जावेगा। वे हटा भी दिये गये कुछ। यह अच्छा हुआ। पर केवल स्थानान्तरण से समस्या का समाधान नहीं होगा। ट्रान्सफर कोई सजा नहीं है। यदि कोई अधिकारी गलती करता है तो जनता की नजरों में उसे स्पष्ट हो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये। आज जब लोकप्रिय सरकार है तो सरकार को भी चाहिये कि जनहित में जो ठीक काम नहीं करते बल्कि अपने भ्रष्ट कारनामों से सरकार को बदनाम करने के कारण बनते हैं तो उनको हटा ही नहीं दिया जावे बल्कि सख्त सजा भी दी जावे। अगर उनके बाल बच्चों की तरफ देखकर उनके साथ कुछ नरमी बरती जाना आवश्यक हो तो यह किया जा सकता है कि उनको अधिक सजा न देकर केवल नौकरी से रिटायर कर दिया जावे। पर जो भ्रष्टाचारी तरीकों से शोषण करे और अपने उत्तरदायित्वों से हट जावे, ऐसे लोगों का इलाज केवल स्थानान्तरण से नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि ऐसे जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, जो अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में विफल रहे हैं, और व्यापारियों से मिलकर राशन जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण में खुले आम भ्रष्टाचार करते हैं,

(श्री शंकर सिंह रावन)
उनको सख्त सजा मिलनी ही चाहिये। मैं ऐसे अधिकारियों को व्यक्तिशः जानता हूं पर यहां उनके नामों का उल्लेख नहीं करूंगा। पर कुछ कहे विना भी नहीं रहूंगा। अजमेर में रसद अधिकारियों ने खुले आम भ्रष्टाचार किया व्यापारियों से मिल कर। विदाई के समय इन्हीं भ्रष्ट व्यापारियों ने, सुना है, एक कार उस भ्रष्ट अधिकारी को भेंट दी। जब कि हमारे मन्त्री अगर कभी वहां जावें तो उनका वे काले झंडों से स्वागत करते हैं। भ्रष्टाचार करें ये अधिकारी और उसका फल भोगें मिनिस्टर। ऐसी स्थिति में सरकार को भी चाहिये कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसा सबक दिया जाय कि आगे किसी के करने की हिम्मत न होने पावे।

जहां तक लेवी का प्रश्न है, लेनी चाहिये। पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि सरकार को लेवी जिस समय लेनी चाहिये थी उस समय तो सुस्ती बरती गई और आज जब बाजार में भाव अनाप शनाप ऊंचे चले गये हैं तब पुरानी रेट पर लेवी की मांग कर रही है। किसान ने जब मोटा अनाज और बाजरा सत्तर के भाव बेचा उस समय सरकार अगर लेवी लेती या सारा ही अनाज लेने की तैय्यारी करती तो लेवी से भी अधिक संग्रह उस समय हो सकता था और उस समय अगर सरकार अच्छा संग्रह कर लेती तो भ्रष्ट व्यापारियों को भाव बढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ती। आज जब वही सत्तर में खरीद कर व्यापारी 110 और 140 के भाव बेच रहे हैं, सरकार लेवी लेने निकली है। तो कहीं कहीं तो अनाज खरीद कर लेवी चुकाई किसान गरीब ने तो मैं समझता हूं कि यह लेवी समय के विपरीत जाकर हम ले रहे हैं। इससे किसान पर बुरा असर पड़ता है। मुख्य मन्त्री ने संकेत किया था कि लेवी लेते समय किसान के साथ सहानुभूति से बरताव किया जावे, सख्ती नहीं बरती जावे, पर कई जगह कठोरता बरती गई है।

एक तरफ किसान को सुविधा देने की बात हम करते हैं, दूसरी तरफ समय पर हम उसके पास नहीं पहुंचते। आज किसान के उपयोग की चीजों का जहां तक सवाल है, उसे कन्ट्रोल रेट पर नहीं मिलती। किसान को अपने कुए के लिए सीमेन्ट अगर चाहिये तो कन्ट्रोल रेट पर 12–13 रुपये है पर उसे 25–30 के भाव मिलता है। यही हाल सभी चीजों का है। तो सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि किसान को उसकी आवश्यकता की चीजें कन्ट्रोल रेट पर उसे मिल जायें, यह देखे, और तब लेवी अगर लेने के लिये सरकार उनके पास जावेगी तो वे खुशी खुशी देंगे। इस ओर सरकार ध्यान दे।

इसके अलावा जो अनियमितताएं सरकारी अधिकारी बरतते हैं उनको भी कठोरता से रोका जाय। अगर इस दिशा में सख्ती से सरकार ने कदम उठाये तो लेवी में सफलता मिल सकती है।

कई बार अच्छे कदम भी उठाये गये, पर प्रतिशत के हिसाब से देखा जावे तो 25 प्रतिशत समस्याओं पर काबू पाया गया तो पचास प्रतिशत और उठ खड़ी हुई तो आप सख्ती से और कड़ाई से अपने नियमों का पालन करावेंगे तो ये भी हल होती

(श्री शंकर सिंह रावत)
रहेंगे। व्यक्ति भी सजग रहेगा और जनता भी।

इसके अलावा जहां तक विकास का सवाल है, पंचायतों के जरिये पंचायतों के चुनावों से गांवों का जहां तक विकास करना चाहते हैं, कई दफा आश्वासन दिया, अकाल के समय या किसी परिस्थिति के सयय या युद्ध होने की वजह से इन चुनावों को पोस्टपोन करते करते 8–9 साल हो गये। जनता ही नहीं सरपंच भी चाहते हैं चुनाव होने चाहिये। आश्वासनों से कब तक काम होने वाला है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सरपंचों को अब खातेदारी राइट दे देना चाहिये।

श्री शंकरसिंह रावत : यह भी ठीक है ताकि लोगों को स्पष्ट नीति का तो पता लग जायगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : कान में एक एक बाली टांक देनी चाहिये–सरपंचों और पंचों के।

श्री शंकरसिंह रावत : विद्युत का जहां तक सवाल है, सभापति महोदय, बहुत जरूरी है। आज बड़ी बड़ी मिलों में शीघ्र बिजली चली जाय लेकिन किसानों के पास बिजली नहीं पहुंचती है। आज राज्यपाल महोदय ने कह दिया इतने गांवों में बिजली लग गई लेकिन काफी तादाद मे ऐसे गांव हैं जहां बिजली की सख्त आवश्यकता है और बिजली नहीं पहुंची है। आज बिजली के काम में यह हो रहा है जहां पानी है वहां बिजली नहीं देते हैं, और जहां पानी नहीं है वहां बिजली पहुंच जाती है। इसलिये इसका निश्चित प्रोग्राम होना चाहिये ताकि बिजली का सदुपयोग हो सके। आज कृषकों के कुओं पर, सभापति महोदय, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज साधन ऐसे हैं कि थोड़े साधन में ज्यादा पैदावार बढ़ सकती है, अगर विद्युत् हो।

कई गांवों में 10 जोड़ी भी बैल नहीं होगी क्योंकि विद्युत् होने से ये साधन महत्वहीन हो गये हैं। आज गरीब कृषक एक-एक, डेढ़-डेढ़ हजार को बैल की जोड़ी नहीं रख सकता है, उसके लिये यह बहुत मुश्किल है। आज शीत लहर से काफी नुकसान हो गया है। तो इस पर भी अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक शिक्षा का सवाल है ..

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : किसानों को नुकसान हुआ है, व्यापारियों को लाभ हुआ है। 60 रुपये एकदम बढ़ गये।

श्री शंकरसिंह रावत : तो मैं निवेदन कर रहा था, शिक्षा का जहां तक सवाल है, प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल किया गया है और मिडिल स्कूलों को सेकेन्डरी किया गया है। गांव गांव में शिक्षा का प्रसार हुआ है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अजमेर में पहले भी विश्वविद्यालय की बात चली थी। उदयपुर में विश्वविद्यालय है, क्योंकि वहां कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी थे, इसलिये वहां विश्वविद्यालय है, लेकिन अजमेर के तो मुख्य मंत्री जी हैं नहीं। तो मेरा निवेदन है आज अजमेर को विश्वविद्यालय दें, क्योंकि वहां तीर्थ स्थान है,

(श्री शंकरसिंह रावत)

ख्वाजा साहब की दरगाह है । कोई यहां आकर यह पूछे कि विश्वविद्यालय नहीं है तो उन लोगों के लिये यह एक अच्छी बात नहीं होगी। अजमेर का भार तो मुख्य मंत्री जी पर है क्योंकि वहां का कोई प्रतिनिधि केबिनेट में नहीं है । इसलिये आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है । अ, ब, स, के क्रम से भी अलवर, अजमेर को प्राथमिकता देनी चाहिये। मेरा निवेदन है इस वर्ष अजमेर में विश्वविद्यालय रखने की कृपा करेंगे।

जहां तक हरिजन बस्तियों का सवाल है, उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जहां अलाटमेंट का सवाल होता है तो उससे भी उनको वंचित रख दिया जाता है। उनको आगे लाने की सरकार की जिम्मेदारी है। मैं ज्यादा समय न लेकर, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसका हार्दिक स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री नत्था सिह।

श्री नत्था सिंह : (नदबई) : सभापति महोदया, तारीख 4 से आज तक सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। मैं भी कुछ सदन के अन्दर अपने क्षेत्र की ओर राजस्थान की बात कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मिडिल स्कूल और प्राईमरी स्कूल हजारों की तादाद में खुले। मेरे क्षेत्र में 18–19 स्कूल खुले, कुछ प्राईमरी स्कूल भी खुले इसके लिये तो मैं राज्यपाल महोदय ने जो बताया है, स्वागत करता हूं, साथ ही साथ में यह भी बताऊंगा सन् 1952 से लेकर आज तक मेरे क्षेत्र में, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जो रिजर्व क्षेत्र था, उसमें 19 मिडिल स्कूल खुल जाना, प्राईमरी स्कूल खुल जाना बहुत बड़ी बात है। यह जो काम है, वह राजस्थान सरकार का बहुत अच्छा काम है और बहुत ही अच्छा कदम है।

अब मैं बिजली के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि बिजली राजस्थान के कौने कौने में, किसान के हर कुये पर, हर खेत पर और हर घर में होनी चाहिये । मैंने राजस्थान का दौरा किया है, पश्चिमी राजस्थान का दौरा किया है, पूर्वी राजस्थान का दौरा किया है और दौरा करके यह अनुभव किया है कि बिजली जरूर होनी चाहिए। जब मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा की तरफ जाता हूं तो वहां देखता हूं 4–4, 5–5 बीघा के लिये एक कुये के लिए 15–15, 20–20 माइल से बिजली का लट्ठा लेकर बिजली पहुँची है। मैं उसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन एक तरफ भुखमरी बताते हैं, एक तरफ अकाल बताते हैं और कहते हैं कि राजस्थान सरकार की कोई योजना नहीं है। 10–10 15–15 बीघे के लिए 15–15, 20 20 माइल से बिजली खींचकर और काफी पैसा खर्च कर लगाई है लेकिन दूसरी तरफ जहां जमीन अच्छी है, पानी भी ज्यादा है, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर जहां पानी भी नजदीक है, वहां बिजली नहीं पहुंचाई है। हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं लेकिन वहां बिजली के दर्शन ही नहीं है। जहां उत्पादन बढ़ सकता है, वहां सबसे ज्यादा बिजली देनी चाहिये और उस क्षेत्र में बिजली का विस्तार करना चाहिए।

(श्री नत्था सिंह)

भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर में हर कुये पर बिजली होनी चाहिए। तो बिजली के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है, मैंने, सभापति महोदय, यह बात उसके बारे में बताई।

अब सड़कों के बारे में, पी. डबल्यू. डी. के बारे में बताना चाहता हूं। जो काम हो रहा है, मैंने दौरा किया है और देखा है, लेकिन भरतपुर राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भरतपुर जिले की कुछ तहसीलों की सड़क का तो बाढ में बिल्कुल सफाया हो गया है, तहस नहस हो गई हैं। साढ़े बाईस फीट पानी आया था। उन सड़कों को मरम्मत के लिए पैसा दिया, तकरीबन 42 लाख रुपया दिया, वह रुपया उन सड़कों पर नहीं लगाया गया। मैंने गत बार भी सदन में चर्चा की। मैंने पी. डबल्यू. डी. के मंत्री महोदय से निवेदन किया। आज मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं। कई दफा मैंने कहा 42 लाख, जो सड़कों की मरम्मत के लिये दिया गया है वह लगाया नहीं गया है। आज भरतपुर से रूपवास जाना मुश्किल है, आज भरतपुर से बयाना नहीं जा सकते हैं। जितनी सड़कें बाढ़ में वह गई वहां उन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। मैंने कई दफा लिखकर दिया, कई दफा चीफ इन्जीनियर साहब से मिला, मौका दिखाया। 2 तारीख को माननीय बिजली मंत्री बिजली का उद्घाटन करने रूपवास गये थे। और तब उनकी कार, जीप गई तो सदन में लिस्ट दी है कि सड़कें बन गई। हमने उनको दिखाया ये हमारी सड़कें हैं। मेरे पास लिस्ट है। तो ये पी. डबल्यू. डी. के अधिकारी गड़बड़ी करते हैं। सरकार सड़कें बनाना चाहती है और अधिकारी काम नहीं करते हैं, गड़बड़ी करते है। माननीय मंत्री जी जांच करवा लें। मैं यह कहूँगा चीफ इन्जीनियर बैठ जांय, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठ जायं, 42 लाख रुपयों में से 10 लाख रुपया भी लग गया हो तो मैं विधान सभा से स्तीफा दे दूंगा। ओ राज्य के कर्मचारी हैं, वे सरकार को डुबो देंगे . . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बहुत सुन्दर शब्दों में राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री नत्थासिंह : अब थोडी सी बातें और बताऊंगा और यह बताऊंगा कि वनों का राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया। आदिवासी लोग, जो जगलों में रहते हैं और जिनका पालन पोषण जंगलों के सिवाय और किसी से नहीं है, उनको इससे काफी परेशानी हो जायेगी। सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में तेंदु के पत्तों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बताया। करीब पन्द्रह हजार आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग इन जंगलों पर आश्रित हैं। पन्द्रह साल पहले माननीय माणिक्य लाल जी वर्मा ने वनों की समितियां बनाई, वन श्रमिक सोसाइटीज के नाम से। उनको बदस्तूर काम मिलता आया। सभापति महोदया, सन् 1965 में 130 सोसाइटीज थीं। उसमें से 20 सोसाइटीज भंग करदीं और 46 सोसाइटीज को काम मिला, 1966–67 में 48 को, काम मिला, 1967–68 में 105 सोसाइटीज को काम मिला, 1968–69 में 27 सोसाइटीज को काम मिला, 1969–70 में 39 सोसाइटीज को काम मिला . . .

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अब तो ठेकेदार हलवा खा रहे हैं । सोसाइटीज को भूल जाओ ।

श्री नत्थासिंह : 1970-71 में 54 सोसाइटीज को काम मिला, 1971-72 में 51 सोसाइटीज को काम मिला और 1972-73 में 48 सोसाइटीज को काम मिला । सोसाइटीज में जो आदिवासी हैं उनके बच्चे आज भूखों मर रहे हैं । मैं कहता हूं कि उनके लिये कोई रोजगार नहीं है और वह जंगलों में ही काम करते हैं कोयलों का, लकड़ियों का, कत्थे और तेन्दू के पत्तों का उनके जो बच्चे पेट भर कर रोटी खाते थे आज बेचारे भूखों मर रहे हैं और यहां तक हाल है कि पशु काट कर अपना पेट पालन कर रहे हैं । हम यह नहीं कहते कि आप राष्ट्रीयकरण नहीं करें । आपने राष्ट्रीयकरण तेन्दु के पत्तों का जरूर किया है लेकिन आप के द्वारा सहकारिता के माध्यम से काम दिया जाय तो ठीक है । राष्ट्रीयकरण कर दिया लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हमारी समिति के जरिये ही जंगलों को कटवाया जाता ताकि उनको काम भी मिलता और जब आदिवासी और गरीब लोग उनमें काम करते हैं उनको जीवन का निर्वाह मिल जाता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गरीब ठेकेदार कहां जाते ?

श्री नत्थासिंह : डिपार्टमेंटली आप काम करा रहे हैं वह कैसे होता है । कटाई छटाई सब ठेकेदारों के जरिये से होती है और बड़े बड़े चट्टे लगा जाते है और ठेकेदार मिल-कर नीलाम करवाते है । 8 रुपये 9 रुपये और 10 रुपये क्विन्टल के हिसाब से वह नीलाम करवा लेते हैं और 20 रुपये 22 रुपये और 25 रुपये क्विन्टल के हिसाब से आज वह लकड़ी मिल रही है जब कि जो समितियों की डिपो खुली हुई थी उसमें सरकार का आदमी बैठता था फोरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी बैठता था और समिति का आदमी भी बैठता था, और लकडी 9 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये क्विन्टल के हिसाब से बेचते थे । याने 12 रुपये से ज्यादा कभी भाव नहीं गए । लेकिन व्यापार मण्डल के हाथ में जब फोरेस्ट का काम आया तो बड़े बड़े ठेकेदारों ने 8 रुपये, 9 रुपये और 10 रुपये में चट्टे नीलाम कराये और जब यह लकड़ी उनके गोदामों में आ गयी तो वह लकड़ी 25 रुपये और 30 रुपये क्विन्टल के भाव से दी जा रही है और वह भी मिलती नहीं है । यही कोयले का हाल है । पहले 35 रुपये का भाव था और आज वही कोयला 60 रुपये, 50 रुपये और 45 रुपये के भाव से भी नहीं मिलता । तो जो वन विभाग ने राष्ट्रीयकरण किया है उससे बडी भारी लूटमार हो रही है ।

सभापति महोदया, मैं तो यही कहूंगा कि व्यापार मण्डल ठीक काम कर रहा है । लेकिन एक आदमी है भरतसिंह, जो कि कन्जरवेटर है, वह लूट कबड्डी कर रहा है । मैंने पिछले सदन में भी भरतसिंह, के लिए कहा लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे भरतपुर से उत्तरप्रदेश की सीमा लगी हुई है और उत्तर प्रदेश में धोक का एक भी पेड़ नहीं है, और राजस्थान से काटकर बाड़ी बसेड़ी और बयाना रेन्ज

(श्री नत्थासिंह)

से काट काट कर लकड़ी आगरा और आगरा जिले के जो नजदीक बोर्डर के एरिया हैं, वहां यह लकड़ी जाती है। आज भरतसिंह यहां पर बैठा हुआ है और उनका छोटा भाई लक्ष्मणसिंह भरतपुर में डी. एफ. ओ. है वह तमाम जंगल को रेगिस्तान बनाकर उत्तर प्रदेश में भेज रहा है।

सभापति महोदया, मैं ज्यादा और नहीं कह कर; क्योंकि समय नहीं रहा यह कहूंगा कि भूमिहीन किसानों का जिक्र किया गया। ठीक है लाखों परिवारों को जमीन मिली लेकिन जो जमीन मिलती है वह एक दो बीघा ही मिलती है क्योंकि जमींदार लोग अपील कर देते हैं और मुकदमा कर देते हैं। एस. डी. एम, ए. डी. एम. और कलेक्टर के पास और फिर अपीलेट अथोरिटी के पास। एक किसान अपनी पत्नि के जेवरों को बेचकर दो रुपया और तीन रुपया सैंकडा के ब्याज पर पैसा लेकर मुकदमों में जुटा हुआ है।

तो ठीक है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भूमिहीनों को जमीन मिली लेकिन 50 परसेन्ट लोगों को कर्जा मिला है और बाकी 50 परसेन्ट बचे लोगों को कर्जा नहीं मिला है और बेचारे मुकदमों में उलझे हुए हैं। आज भरतपुर जिले में 60—65 हजार बीघा गांधी शताब्दी में लोगों को अलाट हुई है लेकिन उसमें से 50 परसेन्ट लोगों को आज तक कब्जा नहीं मिला है और भूमिहीन किसान पानी लाकर जमीन को तैयार कर देते हैं तो जो जमींदार हैं जिनके पास दो सौ, चार सौ बीघा जमीन है वह खेत को कटवा देते हैं। सैकड़ों केसेज हैं। तो जो भूमिहीन किसानों की बात है मैं इसके लिए अनुरोध करूंगा कि पट्टे से पहले ऐसा कानून बना दें कि भूमिहीनों को जो पट्टा दिया जाता है उसमें अपील किसी कोर्ट में नहीं हो। तब तो भूमिहीनों के लिए फायदा है लेकिन भूमिहीन किसानों के साथ जो झगड़ेबाजी और मुकदमेबाजी चल रही है उससे मेरी आत्मा को तसल्ली नहीं है।

सभापति महोदया, हमारे यहां बयाना में 53 आदमियों की हाउसिंग सोसाइटी है। उस सोसाइटी को तीन साल में दो किश्तें मिल गयी और किश्त मिलते ही लोगों ने अपने घर को तोड़ फोड़ डाला। लेकिन तीसरी किश्त नहीं मिली। तो मैं इन बातों की चर्चा करने के लिए राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा और साथ ही साथ, यह भी कहूंगा कि जो कुछ भी हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी में हो रहा है वह ऐसा हो रहा है कि जिससे छोटे आदमियों को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता है। मकान बनाने के लिए कर्ज लेने वाला मजबूरी में आ जाता है तो हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी में धांधलीबाजी हो रही है, यह धांधलीबाजी ऐसी हो रही है कि अनपढ़ आदमी लुट जाता है और मेरे यहां की सोसाइटी, जो 53 आदमियों की बनी हुई है, पूरी सर्दी और शीत लहर में लोग पड़े हुए हैं और उनको आज तक आधी किश्त नहीं मिली है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हुए उनके घर भेज दीजिए।

श्री नत्थासिंह : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान में पुलिस का भ्रष्टाचार

(श्री नत्थासिंह)

इतना बढ़ रहा है कि हद से ज्यादा। पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यही नहीं, कई कई मामलों में तो ऐसा भी होता है कि सौ दो सौ रुपया लेकर उल्टा केस बिगाड़ दिया जाता है। तो सभापति महोदया, इस तरह से राजस्थान में पुलिस का भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।

अब एक बात और निवेदन कर दूं कि यहां पर एक कैम्प लगा हुआ है रिपब्लिक पार्टी का जिनकी छोटी छोटी मांगें हैं और उनमें एक मांग 28 परसेंट भर्ती की भी है। हम भी झालावाड़, कोटा, अजमेर वगैरा तीन चार जिलों में गए और 28 प्रतिशत भर्ती के बारे में पूछा।

(समय 2.02 बजे म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

तो हमें यह बताया गया कि···

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

लाल झण्डी ही बताई गई। कलेक्टर, कोटा ने और कलेक्टर, झालावाड़ ने तो यह भी कहा कि भाई क्या करें, अल्लोकेशन ही नहीं आती शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों की।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

हम क्या करें? इसलिए मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का अभिभाषण है उसको धन्यवाद देता हूं·····

(समय समाप्ति सूचक निरन्तर घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के लिए सदन में चर्चा हुई है और उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कइयों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त ही आभारी हूं कि उन्होंने आम तौर पर आज की जो हालात हैं उन हालत में राज्यपाल महोदय ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनका अनुमोदन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमारा देश एक भीषण क्राईसिस में से गुजर रहा है। जो हालात हैं वे निश्चय ही हम सब कि चिन्ता के विषय हैं। इन हालात में कोई भी गवर्नमेंट यह कह करके नहीं चल सकती कि जो भी स्थितियां हैं उनसे हमें संतोष है। और मैं भी यह नहीं कहना चाहता कि जो हालात हैं उनसे राज्य सरकार संतोष व्यक्त करती है।

माननीय सदस्यों ने राज्य की वित्तीय स्थिति, राज्य का ओवर ड्राफ्ट आज की चीजों के बढ़ते हुए मूल्य और चीजों के अभाव के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। आम तौर पर उनकी उन भावनाओं से और चिन्ता से मेरी सहमति है। अब इन स्थितियों पर मैं कुछ कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, तो मेरा कहीं भी यह तात्पर्य नहीं है कि आज जो सरकार है वह सरकार अथवा व्यक्तिशः मैं पिछली सरकार अथवा उसके पहले वाली सरकार के कामों की ओर निर्णयों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, मैं और यह गवर्नमेंट अगर

(श्री हरिदेव जोशी)

कोई सफलता रही है, उनकी भी अगर कोई विफलता रही है तो उनकी भी समान रूप से भागीदार है और जिम्मेदार है। अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उन्हें हम दूर करना चाहते हैं। जो कठिनाईयां है उनको हम हल करना चाहते हैं। एक चीज और में निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो आर्थिक संकट इस देश में है वह आर्थिक संकट केवल एक पार्टी अथवा एक गवर्नमेंट के किए हुए दूर हो जाय ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। उसके लिए सामूहिक चिंतन की आवश्यकता है, उसके लिये सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है और उसके लिए एक नेशनल करैक्टर और नेशनल कन्डक्ट की आवश्यकता है। और मैं इस सदन से चाहे वह मायनीय सदस्य इधर बैठते हों अथवा उधर बैठते हों, यह अपेक्षा करके चलता हूं कि इस संकट के समय में उनका मार्ग दर्शन, उनकी सलाह सरकार को निरन्तर मिलती रहेगी। अपनी ओर से, सरकार की ओर से, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थितियां चाहें कितनी भी विषम हों, कितनी ही कठिनाईयां क्यों न हों, हम दृढ़तापूर्वक उन सारे कामों का और समस्याओं का समाधान करने के लिए कृत संकल्प है जिनका कि आज हम मुकाबला कर रहे हैं। चाहे वह बढे हुए भावों का मुकाबला करना हो, चाहे अनाज की कमी का सुधार करना हो।

इन पिछले वर्षों में, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इस राज्य के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्न किए हैं। आज राजस्थान में जो हालात हैं वे हालात अगर हम स्थितियों पर दृष्टिपात करें तो ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से हैं।

(2.8 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष पदासीन)

जो इतिहास हमें विरासत में मिला है वह हमारे पिछड़ेपन का कारण है. इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम उस इतिहास को आंखों से ओझल करके चलेंगे तो किन्हीं भी स्थितियों में हम आज जो हालात हैं उनके सही नतीजे पर नहीं पहुच सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से भौगोलिक स्थितियां भी हमारे इस पिछड़ेपन के लिए हमारा इन कठिनाईयों के लिये, आधारभूत कारण हैं और जब तक इन भौगोलिक स्थितियों पर विजय नहीं पाई जाती है तब तक राजस्थान आगे बढ़े हुए राज्यों में से एक हो सके, इसमें मुझे शक है।

अध्यक्ष महोदय, इन पिछले दिनों में मूल रूप में चर्चाएं हुई हैं अनाज के अभाव की और मूल्यों की बढ़ोतरी के बारे में। हम यह कह सकते हैं कि अमुक पक्ष पूरा नहीं हुआ है। हम यह कह सकते हैं कि हमारी सारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हों किन्तु उदाहरण के तौर पर ले लिया जाये अनाज के उत्पादन को। अनाज का उत्पादन आज जितना है, उसके मुकाबले में पहले कितना था? अनाज का उत्पादन बढ़ाने में क्या कोई प्रयास किया गया था या नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सिलसिले में आंकड़े देने की कोशिश की है। 1951–52 से 1973–74 तक 4 योजनाओं में लगभग कुल मिला कर 720 करोड़ रुपया खर्च किया है स्टेट प्लान में। इस स्टेट प्लान का लगभग 7 प्र. रुपया सिंचाई और बिजली पर खर्च हुआ है। यह क्या बतलाता है? यह बतलाता

(श्री हरिदेव जोशी)

है कि इन 4 योजनाओं में राज्य सरकार ने निश्चित रूप से सिंचाई और बिजली को प्राथमिकता दी है। और राजस्थान तो उद्योग प्रधान प्रान्त है नहीं। राजस्थान कृषि प्रधान है। तब आज जो भी बिजली मिली है, उसका अधिकांशतया उपयोग राजस्थान में खेतो के विकास के लिए हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय राजस्थान बना था, उस समय राजस्थान की सारी इकाइयां मिलाकर केवल 8 मेगावाट पावर राजस्थान में थी। आज की तारीख में 8 से बढ़ कर 400 मेगावाट हुई है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में हम यह कल्पना करके चलते हैं कि चार पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमने 400 मेगावाट प्राप्त की है, वह केवल एक पंचवर्षीय योजना में हम 400 मेगावाट पावर अपनी और बढ़ा लेंगे इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज हम 4 योजनाओं पर डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम पांचवीं के अन्त में कर रहे होंगे उस समय 800 मेगावाट पावर होगी।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय राजस्थान बना था, उस समय के जो आंकड़े हमारे पास हैं, वह सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। मगर किसी भी कुवे पर, एक भी कुवे पर बिजली नहीं थी, यह कहा जाता है। किन्तु आज जब कि 4 पंचवर्षीय योजनायें पूर्ण हो रही हैं, राजस्थान के अन्दर 73 हजार कुओं पर बिजली दी जा चुकी है। और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, अकेली पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हम यह योजना बनाकर चल रहे हैं कि जो 4 पंचवर्षीय योजनाओं में 73 हजार कुओं पर बिजली दी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में 75 हजार कुओं पर बिजली देंगे। अकेली पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देंगे। हमने जो 20 वर्षों में पाया है, उससे ज्यादा काम अकेले 5 वर्षों में करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अन्न के उत्पादन के अन्दर दूसरा मेजर फैक्टर होता है, इर्रीगेशन। राजस्थान के बनने के पहले केवल एक कैनाल गंग कैनाल थी जिससे इर्रीगेशन सिस्टम था। कुवें से, तालाबों से, गंग कैनाल से, राजस्थान बनने से पहले लगभग 25 लाख एकड़ सिंचाई होती थी। आज 4 पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में सिंचाई का क्षेत्र राजस्थान में 65 लाख एकड है। इसके मायने, अध्यक्ष महोदय, यह है कि इस दिशा में काम तो किया गया है किन्तु यह सही है कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ी हैं अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में माही के अन्दर एक आबू दर्रा है। उसके बारे में मेरे इलाके में ऐसा कहा जाता है कि वह इतना गहरा है कि अगर 12 खाटों की रस्सी उसके पेंदे में डाला जाये तो भी उसका पेंदा नहीं मालूम पड़ता है मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि 12 खाटों के बजाय 13 और 15 खाटों की भी रस्सी डाली जाये तो भी शायद ही उस पेंदे को थाह मिले, राजस्थान की जो गरीबी और अभाव है, उसकी थाह भी नहीं मिल सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो अन्धकार पूर्ण चित्र है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। अधिक संघर्ष करना होगा। अध्यक्ष महोदय, भौगोलिक दृष्टि से

(श्री हरिदेव जोशी)
राजस्थान के पश्चिमी हिस्से हैं जिसे हम रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं, दूसरा पहाड़ी हिस्सा है जो आदिवासी क्षेत्र है, आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। जब तक कन्सोलीडेटेड एफर्ट्स इन दोनों को ठीक करने के नहीं किये जाते हैं, तब तक राजस्थान ऊंचा उठे यह नामुमकिन बात है और, इसीलिए हमने इस बार अपनी योजना को एक विशेष प्रकार का स्वरूप दिया है । हमने स्पेशल प्रोजेक्ट लिए हैं । राजस्थान का डेजर्ट एरिया, और हिल एरिया इनका डेवलपमेंट करने के लिए यह एक शुरूआत है। मैं ऐसा मानता हूँ। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि राजस्थान कैनाल कम्पलीशन के बाद दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में, जालोर और बाड़मेर के हिस्सों में माही और नर्मदा का पानी आ जाये तो इन स्थितियों में फर्क आ जाएगा कुछ प्रिलिमिनरी सर्वे शुरू किया गया है। राजस्थान कैनाल की बीकानेर और बाड़मेर के अधिक हिस्से में कोई लिफ्ट कैनाल आ सकती है क्या, उसको देखना। इस प्रकार से हम यह सोचते हैं, एक तरफ राजस्थान कैनाल और उसकी लिफ्ट कैनाल दूसरी तरफ माही और नर्मदा का पानी। इसके बाद में आज जो अकाल के कारण लोगों को अपने पशुओं को लेकर इधर उधर जाना पड़ता है, वह बन्द हो जायेगा। हम यह सोचते हैं कि डेजर्ट स्टेब्लाइजेशन और डेजर्ट पाश्चर लैण्ड का डेवलपमेन्ट और डेजर्ट एरिया के अन्दर एनीमल हस्बेन्डरी के डेवलपमेंट को साइमल्टेनियसली हाथ में लिया जाना चाहिए, ताकि वहां की इकोनोमी डेवलप हो सके।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम डेयरी डेवलपमेंट का हाथ में लिया गया है। मैं कह सकता हूं कि एक एम्बीशस प्रोग्राम है। अध्यक्ष महोदय, 9 को-आपरेटिव डेयरीज का काम बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और जयपुर के अन्दर हाथ में लिया जा रहा है। इसके ऊपर लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च होगा और हम चाहते हैं कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्दर पशुओं के सम्वर्धन पर दूध के मार्केटिंग का, दूध के प्रापर प्रोसेसिंग का काम स्टेबीलाइज हो जाए ताकि वहां की इकानामी को बल मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से राजस्थान एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पहाड़ी अथवा आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, चित्तौडगढ़ का प्रतापगढ़ क्षेत्र, सिरोही आदि का क्षेत्र जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं और जहां पर अनुपजाउ भूमि में अपना जीवन यापन उनको करना पड़ता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद डूंगरपुर ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर इकानामिक होल्डिंग राजस्थान में सबसे कम है और वहां पर आबादी भी इस प्रकार है कि जो शैक्षणिक दृष्टि से इतना विकसित नहीं है। इसलिए डेजर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ हमने हिल्ली एरियाज के डेवलपमेंट का काम भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में लिया है और उसके चौमुखी विकास के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। उसमें सिंचाई की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, सड़कों को शैक्षणिक कार्यों और सामाजिक कार्यों को और आर्थिक कार्यक्रम को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। सबसे पहले उस क्षेत्र

(श्री हरिदेव जोशी)
के लोगों की ऋण मुक्ति, कर्जे से मुक्ति कैसे हो, दूसरे प्रकार के अनावश्यक खर्चे कैसे कम हों, इन चीजों को भी हम विशेष लेजिस्लेशन के जरिए हाथ में लेना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एन.डी.सी. की पिछली मीटिंग के बाद में मेरी केन्द्रीय योजना मंत्री जी से चर्चा हुई थी। आज अन्न की कमी की इस प्रकार की हालत के अन्दर हम राजस्थान के झुन्झुनू, सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर जिलों के इन्टेंसिव इलेक्ट्रीफिकेशन के प्रोग्राम को प्राथमिकता देकर चलना चाहते हैं। मेरी योजना मंत्री से बात हुई है, उसके अनुसार जिन क्षेत्रों में आज ज्यादा क्लस्टर डीजल सेट्स लगे हुए हैं जैसे जालोर इलाके में, भरतपुर और दूसरे क्षेत्रों में, विद्युतीकरण के प्रोग्राम को वहां पर हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। और जो डीजल सेट्स हैं उनके बदले इलेक्ट्रिक मोटर्स हम लगाना चाहते हैं। आने वाले वर्ष में इस प्रोग्राम को हम प्राथमिकता देंगे। मैंने अपने साथियों से चर्चा की है और मैं इस राय का हूं कि राजस्थान केनाल, जहां पर उत्पादन के लिहाज से क्षेत्र उपयोगी है, वहां पर राजस्थान के इन 6 जिलों में अगर हमें बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण करना पड़ता है तो हमारी अनाज की समस्या का भी समाधान होगा और आर्थिक विकास को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। थोड़े दिन पहले नेशनलाइज्ड बैंक से इस सिलसिले में हमारी चर्चा हुई है। दो एक चेयरमैन इस विधान सभा की बैठक के दरमियान जयपुर में विजट करने वाले हैं और उस स्कीम को हम अन्तिम रूप देना चाहते हैं।

इस दृष्टि से पांचवी पंचवर्षीय योजना को हम एक नये प्रकार से मोड़ देकर राजस्थान के विकास का आधार बनाना है। आज कुछ ऐसी स्थिति है कि अभी मैं बोल रहा हूं और शाम को वित्त मंत्रीजी अपना भाषण देंगे, मैं इस रिपिटीशन से बचना चाहता हूं कि मैं भी बोलूं और वह भी बातें यहां कहें क्योंकि आम तौर पर वित्त मंत्री प्लान का एप्रेजल करता है और उसकी चर्चा करता है...

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : तब तो लीकेज हो जाएगा।

श्री हरिदेव जोशी : तो आप कान पकड़ लीजिएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वित्त मंत्री प्लान की चर्चा करते हैं, उससे मैं बचना चाहता हूं। फिर भी थोड़ी बात कहना चाहता हूं। हमें माननीय सदस्यों का इस बात में सहयोग चाहिए। कि राजस्थान की जनता की जो आकांक्षाएं है उनके अनुसार हम प्लान बना सकें। माननीय सदस्यों ने मांग की है बिजली की, शिकायत की है, खराब सड़कों की, सिंचाई की कमी की। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्राईमरी और मिडिल स्कूल तो खोलते ही चले जा रहे हैं, सेकेण्डरी स्कूल्स नहीं खोल रहे हैं। माननीय सदस्यों पर अपने इलेक्टोरेट का जो प्रेशर है उसको मैं समझ सकता हूं। आप पर उनका प्रेशर है, और आपका हमारे पर प्रेशर इसको मीट करना होगा। वह तभी हो सकता है जब साहसपूर्वक आगे बढ़े। चौथी योजना 812 करोड़ की थी। जो ड्राफ्ट प्लान हमने दिया है वह लगभग 675 करोड़ का है।

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, जैसा कि मैंने निवेदन किया, कहीं कहीं ज्योग्राफिकल ढंग से पिछड़ा हुआ रहा है वह हिस्टोरिकल रीजन्स से भी पिछड़ा हुआ है। छोटी छोटी इकाइयों, अलग अलग इकाइयां होने के कारण औद्योगीकरण की तरफ हम बढ़े हुए नहीं थे। इसलिए औद्योगीकरण के लिए जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिये वह इन्फ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में नहीं था। अब हम यह कह सकते हैं कि वह इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है।

राजस्थान के अन्दर पावर की कोई शोर्टेज नहीं है और मैं यह कह सकता हूं कि सिवाय इक्वीटी और पार्टीसिपेशन के हम सारी सुविधाएं उनको देना चाहते हैं। जो सुविधाएं दूसरे प्रान्त आफर करते हैं औद्योगीकरण के लिए वह भी हम देना चाहते हैं। इस दृष्टि से हम ध्यान देना चाहते हैं राजस्थान के औद्योगीकरण के लिये। आम तौर पर उद्योगपति वहां उद्योग लगाते हैं जहां कि उन्हें सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं और यदि उनके ऊपर छोड़ते हैं तो वे सब से पहले बम्बई मे उद्योग स्थापित करना चाहेंगे चाहे बम्बई सरकार उनको बम्बई से निकाल दें उनके बाद बंगलोर, फिर मद्रास और फिर कलकत्ता में उद्योग लगाना चाहेंगे। और अगर वहां पर लाइसेन्स नहीं मिले तो वे दिल्ली और आस पास, चाहे वह हरियाणा ही हो, वह लगाना चाहेंगे। इस दृष्टि से हमने भारत सरकार से निवेदन किया था और पहले उन्होंने दो जिले स्वीकार किये थे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में, अलवर और जोधपुर। अब वे 6 जिले हो गये हैं, डूंगरपुर उनमें नहीं है। नागौर और चूरू भी इसके अन्दर है। इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर हमने इन जिलों को चुनने की कोशिश की है। जहां पर दरअसल वे इन्वेस्टमेन्ट करना चाहते हैं। तो इन 6 जिलों के अन्दर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया 15 परसेन्ट सबसिडी देगी। टोटल इनवेस्टमेन्ट शायद एक करोड़ होगा दूसरे जो 16 जिले है उसमें लगभग पूरा राजस्थान आ जाता है जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़ कर के। इनके अन्दर यह जो जिले है उसमें गवर्नमेन्ट कम इन्टरेस्ट के ऊपर लोन देती है, सुविधाएं देती है। हमने यह कोशिश की है औद्योगीकरण की दृष्टि से राजस्थान में जहां पोटेन्शिलिटी है उनका सर्वे करके आम लोगों के समक्ष रक्खा जावे। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने राक फास्फेट और पायराइट्स के ऊपर बेस्ड फरटीलाइजर फैक्टरी के ऊपर एडवान्स एक्शन लेने के लिए प्रावधान कर दिया है और कोटा में जो फरटीलाइजर फैक्टरी है, अभी उसकी एक्जिस्टिंग केपेसिटी को डबल करने के लिए 312 करोड़ के प्लान के लिए स्टेट गवनमेन्ट को 50 करोड़ रुपये के रिसोर्सेज मोबीलाइज करने पड़े थे अथवा कहा गया था। 675 करोड़ के प्लान के लिए भारत सरकार हमसे चाहती है कि हम 100 करोड़ के रिसोर्सेज मोबीलाइज करें। हमने, सौ करोड़ रुपये मोबीलाइज कर सकेंगे, यह तो नहीं कहा, हमने यह कहा कि हम 75 करोड़ रुपये कर सकेंगे। 75 करोड़ का एक प्रकार से हमारा कमिटमेन्ट है। इस कमिटमेन्ट को तभी पूरा किया जा सकता है जब कि आप सब का सहयोग हो। आप सहयोग देंगे तो प्लान बड़ा होगा। आप

(श्री हरिदेव जोशी)
सहयोग नहीं देंगे तो प्लान छोटा होगा। सहयोग देंगे बिजली ज्यादा होगी। आप सहयोग नहीं देंगे, बिजली ज्यादा नहीं दे सकेंगे। आप सहयोग देंगे तो सड़कें ज्यादा बनेंगी, आप सहयोग नहीं देंगे तो सड़कें ज्यादा नहीं बनेंगी। आप सहयोग देंगे तो सिंचाई ज्यादा होगी, नहीं तो कम होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप हैवी डोज टैक्सेशन का वातावरण बना रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह चन्द्र महल आपको दिखने लगा है। सब कुछ हो जाएगा।

श्री हरिदेव जोशी : जहां आप कहेंगे वहीं लगा देंगे।

सवाल यह है कि एक बार निश्चित रूप से राजस्थान को अपनी गरीबी को मिटाने के लिए आगे बढ़ना होगा। एक वायदा मैं आपसे कर सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजा महाराजाओं के हीरे जवाहरात लेने पड़ेंगे, जमीनें लेनी पड़ेंगी।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मेहरबानी करके सुन लें तो अच्छा होगा।

मेरा निवेदन यह है कि एक बार हमें साहसपूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो मैं चाहता हूं वह यह है कि राज्य सरकार का जो फालतू खर्चा होता है उसे कम किया जाये, उसमें एटमोस्ट इकोनोमी की जाये। इस दिशा में हमें सावधान होना है और मैं यह कह सकता हूं कि अभी भी और आगे आने वाले समय में भी हमारी निगाह इसके ऊपर रहेगी। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का सोलूशन मुझे डर करके चलने में नहीं दिखाता, साहसपूर्वक नदी में कूदना भी पड़े तो कूदना चाहिये, मैं तो इस मन का हूं। इसलिए, महीने के आखिर में एन. डी. सी. की मीटिंग होगी, उसमें मैं यह बात रखूंगा कि राजस्थान की विधान सभा राजस्थान के लिए बड़े प्लान के हक में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्लान पर डिसकस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इजाजत दे दी है। इसके सिवाय एक नये फर्टीलाइजर कम्पलेक्स के लिए भारत सरकार ने स्वीकृति दी है कोटा के अन्दर। शायद यह कम्पलेक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा कम्पलेक्स होगा जो कोटा के अन्दर लगेगा। हम यह आशा कर के चलते हैं कि यह नया लगने वाला कम्पलेक्स अगले तीन वर्षों के अन्दर प्रोडक्शन के अन्दर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, टायर ट्यूब प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके ऊपर 20 करोड़ का खर्चा होगा, कास्टिक सोड़ा का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 12 करोड़ का खर्चा होगा, सीमेन्ट फैक्ट्री, सिरोही, उसके ऊपर 18 करोड़ का खर्चा होगा, सीमेन्ट फैक्ट्री सादड़ी (पाली) इसके ऊपर भी 18 करोड़ का खर्चा होगा। सीमेन्ट फैक्ट्री, नीमकाथाना, उसके ऊपर 18 करोड़ का खर्चा होगा। इनकी कुछ की सेंक्सन मिल गयी है और यह आशा कर के चलते हैं कि दूसरी को सेंक्शन भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं बराबर यह कहता

Page No. 77

(श्री हरिदेव जोशी)

आया हूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर लाईम स्टोन के ह्यूज डिपोजिट्स हैं। ज्योंही हमें भारत सरकार से स्वीकृति मिली तो हम जल्दी ही पूरे नोर्दन इन्डिया में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में सीमेन्ट के उत्पादन करने में सबसे बड़े प्रान्त हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय आज भी स्थिति ऐसी है, कि हम मेरे ख्याल से नार्दन इन्डिया में सीमेन्ट ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले प्रान्तों में से एक हैं। अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि हमें प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने के लिए दो बातों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि उत्पादन के मुख्य आधार हैं। इसमें पहला आधार तो है कृषि का उत्पादन बढ़ाना। हमें आज जरूरत है ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन बढ़ाने की ओर दूसरा आधार है औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की।

इसके बाद में आती है खनिज का उत्पादन बढ़ाने की बात। इसके लिये कोपर की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जिन्क स्मेल्टर की केपेसिटी को दुगुना किया जा रहा है। इसके अलावा मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि राजस्थान में हम मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज को लगायेंगे। सदन में जो माननीय सदस्यो ने चिन्ता व्यक्त की, उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक सवाल इकोनोमिक क्राइसेस का है, उसके लिये हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। जब तक हम उत्पादन नहीं बढ़ा पायेंगे तब तक हम, इस इकोनोमिक क्राइसेस पर काबू नहीं पा सकेंगे।

हमें चाहिये कि राजस्थान के अन्दर अनुशासन की स्थापना करें। अनुशासन की स्थापना किये बिना हम उत्पादन बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आज एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि इकोनोमिक क्राईसेज है दूसरी तरफ आज हड़तालें हो रही हैं जिससे उत्पादन घटता है इसके अलावा कहीं पर "काम रोको" कार्यक्रम चल रहा है, कहीं पर आप बन्ध आर्गेनाइज कर रहे हैं और कहीं पर आप घेराव कर रहे हैं। तो इससे आप किस प्रकार उत्पादन बढ़ा सकेंगे? तो, अध्यक्ष महोदय, यह दो कान्ट्रेडिक्टरी चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं?

इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर आज हड़तालों व बन्द के आयोजनों की जरूरत नहीं है। आज हमें राजस्थान का उत्पादन बढ़ाना है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को बहुत ही नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो इन चीजों का आह्वान कर रहे हैं वह हकीकत में देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि वह देश को पीछे धकेल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी दो तारीख के दिन कुछ पार्टियों ने राजस्थान बन्ध का आह्वान किया था इसमें एक पार्टी ऐसी भी थी जो यह कह रही थी कि लेवी का विरोध किया जावे। लेवी जमा नहीं करायी जावे।

अध्यक्ष महोदय, कितने दुःख की बात है कि एक तरफ तो राष्ट्रीयकरण की सफलता की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसानों को कह रहे हैं कि लेवी मत दो। तो, अध्यक्ष महोदय, उसी दिन कुछ लोग मेरे पास यहां पर विधान सभा में आये और उन्होंने आकर मुझे मैमोरेन्डम दिया। उनके मैमोरेन्डम में था कि अनाज की मात्रा बढ़ाई जाय।

अध्यक्ष महोदय, उन माननीय सदस्यों को ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग इतना तो

(श्री हरिदेव जोशी)

कम से कम करो कि मेहरबानी करके आप अपनी पार्टी के लोगों को लेवी देने के लिये कहो और लेवी नहीं देने के आन्दोलन की बात छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यहां पर यह कहा जाता है कि महंगाई कमर तोड़ बढ़ रही है और दूसरी तरफ महंगाई के कम करने के लिये जो कदम हमें उठाने चाहिये उनका विरोध इन ही भोले लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यवाही उनकी कहां तक उचित है?

अध्यक्ष महोदय, हमारी नीतियों में कुछ खामियां हो सकती हैं, हालांकि मुझे तो दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि हमारी जो नीतियां होती हैं वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बनायी जाती हैं। और मैं समझता हूं कि अभी उन नीतियों में किसी तरह से रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री महोदय से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अहमदाबाद में जो आपने रिलेक्सेशन दिया है वह आपकी राष्ट्रीयकरण की नीति को आगे ले जा रही है या पीछे धकेल रही है? यह आपकी पौलिसी में चेन्ज नहीं है?

श्री हरिदेव जोशी : There is no Constitutional change but that is the implementation of the policy only, हम जो भी करते हैं वह हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो नीतियां निर्धारित करती है उन्हें कार्यान्वित करते हैं। आप माफ कीजियेगा आपके और हमारे विचारों में हमेशा फर्क रहेगा क्योंकि आप सी.पी.आई. हैं...

श्री चन्दनमल बैद : वैसे आप हमारे दोस्त जरूर हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपके और हमारे विचार एक नहीं हो सकते क्योंकि हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो गाइड लाइन होती है उसके अनुसार काम करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी जो आपने रिलेक्सेशन दिया है यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की गाइड लाइन से किया है या मिनिस्ट्री आफ फूड एग्रीकल्चर के आदेश से?

श्री हरिदेव जोशी : मिनिस्ट्री आफ फूड एन्ड एग्रीकल्चर जो है उसको, हमारा केन्द्रीय कांग्रेस पार्लियामेन्ट्री बोर्ड है वह ही कन्ट्रोल करता है। और अगर कोई मिनिस्टर इसके विपरीत कार्य करता है तो पार्लियामेन्ट्री बोर्ड उसको वहां से हिटाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो भी पोलिसीज हैं उसमें हमें किसी प्रकार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप हमें सहयोग दें, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको क्या सहयोग दें? आप तो अपनी पोलीसीज को छोड़ रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप की पोलीसीज चाहे कैसी हों, लेकिन आपकी गवर्नमेन्ट की

(श्री लक्ष्मण सिंह)
कार्यान्वित करने की प्रणाली खराब है, इसमें चेन्ज करने की आवश्यकता है।

श्री हरिदेव जोशी : तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अब हमारे सामने अपनी पोलिसीज को रिवाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब सवाल आता है कि अभाव को दूर करने के लिये हमें कारण ढूंढना चाहिये। तो तीन मुख्य फैक्टर्स हो सकते हैं। उन्हें हमें भली प्रकार से समझना चाहिये। पहली बात जो कि मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा वह है कि क्या हम अपनी पोलिसी को चेंज करें? तो मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं दिखायी देती है कि जिससे हम इसमें चेन्ज करें या हमारी गाड़ी को रिवर्स घुमावें।

श्री गुमानमल लोढा : फिर भी आपको पोलिसी का इम्पलीमेन्टेशन नहीं होने से आपकी पोलिसी में चेंज करने की आवश्यकता है। नहीं तो यह सिर्फ कागजी पोलिसीज रह जायेंगी।

श्री हरिदेव जोशी : यह आप सोचते रहें। अब रहा सवाल कि ऐसे कौनसे फैक्टर्स हैं जो कि अभाव को कान्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनको कम करें। दूसरी बात जो अभाव पैदा करती है वह इनहेरेन्ट अभाव भी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस वर्ष से पहले की हालत को देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारे यहां अनाज के उत्पादन में और दूसरे उत्पादन में निरन्तर गिरावट आयी है। इसका कारण क्या है? यह महंगाई क्यों है इसको थोड़ा सा समझने और सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में माननीय सदस्यों का ध्यान 15–8–1947 की तरफ ले जाना चाहूंगा। आज आजादी के 25 सालों में हमें थोड़े से समय के लिए फूड की स्ट्रॉंग स्ट्रीम मिली लेकिन बाद में हमारे सामने तो हमेशा अनाज और महंगाई की समस्याएं रहीं। अनाज की कमी रही, इसका माइना क्या है? इसके माइने यह हैं कि हमारे देश में अनाज की कमी रही और हम हमेशा अनाज के लिये विदेशों पर निर्भर रहे जिसका हमारे इन्डिया के सोशियल और इकोनोमिकल कन्डीशन्स पर बहुत प्रभाव पड़ा...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा तो फिर आपका यह ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो आप जानते हैं आप ही पढ़ते हैं ज्यादा इसे। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा देश विदेशों के अनाज पर ज्यादा निर्भर करता था।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : तो फिर यह व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : तो अध्यक्ष महोदय, हमारी देश की जनता, न केवल राजस्थान की ही बल्कि आज तो दुनियां के कई देशों की स्थिति अनाज के बारे में खराब है। हमारे देश में अनाज के बारे में....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप तो विदेशों की बातों को भूल जाइये। आप तो हमे 12

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिलादें तो ठीक रहेगा। दुनियां की बात छोड़ दें।

श्री हरिदेव जोशी : तो, अध्यक्ष महोदय, आज अनाज के भावों में जो वृद्धि हुई है वह वृद्धि ज्यादा हुई है। हालत यह है कि जो अनाज हम नवम्बर, 72 में इम्पोर्ट करते थे उसका कास्ट landed on the port was Rs. 60 per quintal and the cost of wheat landed on the port in April, 1973 is Rs. 120 per quintal और नवम्बर 1973 के अन्दर 185.50 हुआ और आज वह स्वत: क्रास करके 200 तक पहुंच गया है। क्या दुनियां के फूड गोडाउन्स के स्टाक्स पर ये सारी चीजें निर्भर नहीं करती हैं? क्या ये सब चीजें हिन्दुस्तान की स्थितियों को रिफलेक्ट नहीं करेंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके आंकड़े हैं। सन् 1955-56 में 5 लाख टन फूडग्रेन्स का प्राडक्शन था और उस समय झगड़ा पैदा हो गया था कि दुनियां की कीमतें ऊंची हैं····

श्री अध्यक्ष : Please don't interrupt when the Leader of the House is speaking.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और आज 10 लाख टन का प्रोडक्शन होता है और कन्जम्प्शन 7 लाख टन है।

श्री हरिदेव जोशी : आप इतनी मुझ पर महरबानी कर लें कि आप मेरी बात को पहले सुन लें। मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे आप ऐसा पोजिशन पैदा कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वह ही सही है, You are posting certain facts which are wrong; इसलिये हमको चैलेन्ज करना पड़ता है।

श्री मीठालाल : फिर··

श्री गुमानमल लोढ़ा : किसान को 76 रुपये क्यों देना चाहते हैं जब कि 200 रुपये के भाव में इम्पोर्टेड व्हीट आता है?

श्री हरिदेव जोशी : जब आप इम्पोर्टेड व्हीट पर निर्भर करते हैं तब दुनियां के अन्दर जो आज कीमतें हैं वह कीमतें यहां पर भी रिफलेक्ट करेंगी। या तो कीमतें उतनी नहीं दें अथवा देश में ज्यादा पैदा करें अथवा जितना मार्केटेबल सरप्लस है उसको मोप अप कर लें in a democracy like yours. मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत ज्यादा फोर्स को यूज़ करके भारत में अनाज इकट्ठा नहीं कर सकेंगे यह मेरा फर्म कन्विक्शन है। मुझे इसके लिये कोई प्रोग्रेसिव मान लें अथवा मुझे रिएक्शनरी कह लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाईपोथिसिस यह मानलें कि हिन्दुस्तान को इम्पोर्ट करना लाजमी है। इससे हम यह समझते हैं कि इम्पोर्ट के लिये आप बेस बनाते हैं। जमाखोरों पर भी आप सख्ती नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी के यह कन्सेप्शन्स हैं और यही कन्सेप्शन्स हैं तो रिजल्ट्स तो सबके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सामने आ रहे हैं। वे कह नहीं सकते हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपके भाषण से हम यह उम्मीद करते थे कि भाव घटे किन्तु आप भाषण ऐसा दे रहे हैं कि दो रुपया बढ़वा देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शीत लहर से 60 रुपये बढ़वा दिये और आज के भाषण के बाद 10 रुपये और बढ़वा देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस राय का हूं कि पिछले वर्ष गेहूं पर जो प्रोक्योरमेन्ट की प्राइस रखी गयी थी आज के कन्टेक्स्ट में वह अनरियलिस्टिक है और इसलिये मैं इस राय का हूं कि प्रोक्योरमेन्ट की कीमत लागत इस तरीके से बढ़ायी जानी चाहिये कि मार्केट और उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क न रहे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह चाहते हैं कि प्रोक्योरमेंट की प्राइस बढ़े, तो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, उसमें रखियेगा।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी इस बात पर ही गौर किया जाता रहेगा तो मेरा भाषण तो होगा नहीं और आपकी बात का ही जवाब मात्र होता चला जावेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : प्रोक्योरमेन्ट रेट को निर्धारित करने की घोषणा कर देते।

श्री हरिदेव जोशी : 16 तारीख को हो जावेगी। मेरे अकेले घोषणा से होगा नहीं।

दूसरी चीज, मैं ऐसा समझता हूं कि दुनिया की अर्थ व्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित किसी ने किया है तो वह आइल ने किया है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज की पोलिटिक्स से डेवलपिंग कन्ट्रीज जिनको हम कहते हैं काफी प्रभावित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज चीजों के अभाव की बात कही जाती है, खास कर केरोसिन की और दूसरी चीजों की, वह सही है। कोई गवर्नमेन्ट नहीं चाहती है उसको देखना। कोई गवर्नमेन्ट पसन्द नहीं करेगी कि एक एक लीटर आइल के लिये क्यू में खड़ा रहना पड़े और गवर्नमेन्ट एम्बरेस होवे। पर उसके लिये स्थितियों को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं।

नवम्बर 1973 में क्रूड आइल की कीमत 3.58 डालर्स थी, उसके मुकाबले में 1 जनवरी, 1974 को वह रिवाइज करके 8.48 कर दी गयी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में और भी बढ़ी है। और आज स्थिति यह है कि...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसके पहले क्यों नहीं लगते थे और बाद में क्यों वह लग सकते थे? आपके भाषण से फिर मौका दे रहे हैं स्टाकिस्टों को कि वे ज्यादा से ज्यादा स्टोर करें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य के समझने के लिये उन्हीं पर छोड़ देता हूं। इनके लिये ही यह कारण हो गये हैं कि ऐसा हो जायगा, वैसा हो जायगा।

श्री गुमानमल लोढा : इसका राजस्थान से क्या सम्बन्ध है?

श्री खेतसिंह : सम्बन्ध है अवश्य।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि जो केरोसीन की कीमत है जो इम्पोर्टेड कीमत हैं वह...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको कौनसे आसमान में झंडा लगाना है ?

श्री अध्यक्ष : Order please, order please.

श्री हरिदेव जोशी : आप क्यों इर्रिलेवेन्ट चीजों पर जा रहे हैं ? केरोसीन की जो लेन्डेड कीमत है उससे सस्ता भारत सरकार और राजस्थान सरकार बेच रही है। मैं ठीक से तो नहीं कह सकता, परन्तु 1.50 रुपया पर लीटर उसकी कीमत है और 1 रु. 4 पैसे के करीब हम बेच रहे हैं। अर्थात् उसके मुकाबले में सस्ता बेच रहे हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारने से आम स्थितियों में सुधार हो सकता है तो निश्चित रूप से हम वह सब चीजें सुधारना चाहते हैं। सिविल सप्लाईज की मशीनरी को टाइट करना चाहते हैं। जाली राशन कार्ड जो बने हुए हैं उनको ठीक करना चाहते हैं। परन्तु हमारी मुश्किल यह है कि बाज मर्तबा भाई लोग गर्म भी पीते हैं और ठंडा भी पीते हैं।

कई माननीय सदस्य : भाई लोग कौन?

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक बार एक आदमी और उसका लड़का किसी गांव में से गुजर रहे थे। उनके पास अपना घोड़ा था बाप घोड़े पर बैठा था और लड़का साथ साथ चल रहा था। तो देखने वालों ने कहा कि देखो, कैसा बाप है ? लड़का तो पैदल चल रहा है और बाप घोड़े पर मजे से चल रहा है। बाप ने सुना यह तो वह घोड़े से उतर गया और अपने लड़के को बिठा दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गधा होगा, घोड़ा नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : आपने देखा था ? आप खुद ही थे शायद उस पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 25 साल पहले की कहानी सुना रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अब बाप पैदल चला। लोगों ने देखा तो कहने लगे कि क्या नामुराद लड़का है। जवान है पर घोड़े पर बैठा है और बूढा बाप पैदल चल रहा है। लड़के ने सुना वह नीचे उतर गया। बाप बेटों ने सोचा कि चलो अब दोनों ही घोड़े पर बैठ जायें तो ठीक रहेगा। दोनों बैठ गये।

श्री केदारनाथ : आपने तो इसे प्राइमरी क्लास बना दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : लोगों ने देखा तो कहा ये कैसे बेदर्द लोग हैं। एक कमजोर बेजुबान घोड़े पर दोनों सवार हो गये हैं। तो यह स्थिति आज हमारे सामने है। अगर दवा विक्रेता झूठे बिल बनावें, नकली दवाइयां बेचें और इन मामलों में सरकार कोई एक्शन लेना प्रारम्भ करे तो व्यापारी हड़ताल कर दें।

श्री गुमानमल लोढा : और डेपूटेशन लेकर गोटेवालाजी आपके पास पहुंच जावें

श्री हरिदेव जोशी : ऐसे लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति हो जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी की सहानुभूति ऐसे लोगों के प्रति नहीं है। सारे सदन ने कहा था कि टैकनिकल ग्राउण्डस पर आप सख्ती न बरतें, बाकी सारे मामलों में सख्ती से पेश आवें। सजा दें और कड़ी से कड़ी दें। सारे हाउस ने यह कहा था आपसे।

श्री गुमानमल लोढा : गोटेवालाजी डेपूटेशन लेकर गये थे उनकी बात ये कह रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसे मामलों में एसोसियेशन प्रस्ताव पास करने लग जावे।

श्री रामकिशन : आप तो कुछ करो ही मत। आपसे कुछ होगा नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका मैडिकल और हैल्थ का सेक्रेटरी दस हजार के बिल बना ले और आपका डाइरेक्टर हैल्थ और मैडिसन का 10 फर्मों में हिस्से रक्खे और आपके ड्रग इन्सपेक्टरों का हिस्सा हो तो उनको तो आप चेक नहीं करें और इन निहित स्वार्थ वालों के कहने में आकर ऊटपटांग करें यह उचित नहीं हो सकता। इसका आप उत्तर दें।

श्री हरिदेव जोशी : हांडाजी की इन्फोर्मेशन चेन्ज होती रहती है। इसलिये मैं उनको ज्यादा नहीं कहना चाहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चैलेन्ज के तरीके से बातें कही जाती हैं।

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेन्ट डिटरमिन्ड है इस प्रकार की बातों को ठीक करने के लिये और शीघ्र एक्शन लेने के लिये। अभी सरकार ने एडल्टरेशन के सिलसिले में एक नये प्रकार का संशोधन कानून में किया है और मैं आशा करके चलता हूं कि एकाध सप्ताह में इस एडल्टरेशन के सिलसिले में भी ड्राइव शुरू किया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और भी कई चीजें कही हैं, जिनमें राज कर्मचारियों के बारे में भी काफी चर्चा रही। जहां तक राज्य कर्मचारियों का सवाल है, सरकार उनके प्रति हमेशा सहानुभूति पूर्वक देखती रही है और जो भी हमारी वित्तीय स्थिति है और सीमाएं हैं और उनके अन्दर हम उन्हे राहत देते आए हैं और आइन्दा भी हम यह कहना चाहते हैं कि हम कभी भी अनरीजनेबल नहीं रहेंगे। यह विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। जो भी लोग इस सिलसिले में मुझ से मिलें हैं मैंने उनको यही विश्वास दिलाया है कि मैं उनको हर बात पर सिम्पेथेटिकली सोचूंगा और उनकी बातें गलत नहीं होती हैं यह मानकर चलूंगा और अपनी सीमाओं में उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मेरी इस बारे में एक ही कण्डीशन है और वह यह है कि गवर्नमेंट इम्पलोयीज और सरकार के बीच में थ्रेट का और इनटिमिडेशन का एटमोस्फीयर नहीं रहना चाहिये। मुझे यह कहते हुए दुख है कि कतिपय कारणों से आज राज्य कर्मचारियों में अनुशासनहीनता एक हद तक बढ़ गई है। वह समाप्त होनी चाहिये और दोनों के बीच एक जो रिलेशनशिप होनी चाहिये उसको मेन्टेन किया जाना चाहिये। इसलिये मैंने तथा पिछली सरकार ने भी एक ट्रिब्यूनल का सुझाव दिया था। उसे सरकार फिर रिइटरेट करती है। सरकार जल्दी से

(श्री हरिदेव जोशी)

जल्दी कानून के रूप में इसे परिवर्तित करेगी यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इसी प्रकार से सम सोर्ट आफ कम्पलसरी आरबिट्रेशन हो, इस में मैं विश्वास करता हूं जो एम्पलोयीज पर भी बाइण्डिग हो और स्टेट गवर्नमेंट पर भी बाइण्डिग हो। मैं फिर इस चीज को दोहराना चाहता हूं कि कर्मचारियों का कोई ग्रुप अथवा संस्था धमकियों के आधार पर ही काम करना चाहे तो गवर्नमेंट उसे हमेशा नापसन्द करेगी।

इस सिलसिले में मुझ से राज्य कर्मचारियों पर चल रहे मुकदमों के बारे में भी कहा गया। मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि मेरे पास में जो चीजें लाई जावेंगी मैं परसनली उन्हें देखूंगा उनका स्क्रीनिंग कराऊंगा और फैसला करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से निकल कर मैंने उस आदेश को डिक्टेट करवाया था और लगभग एक डेड महीने के भीतर भीतर उन सारे केसेज को जिनको मैं अनुचित समझता था विथड्रा कर लिये गये हैं।

कुछ केस रह गये थे मेरे पास में लोग आये मैंने उनसे कहा कि यह अनरीजनेबल है रीजनेबल हो तो मुझे समझाईये। कोई मुझ से इस बारे में कहता नहीं। दूसरी दूसरी बातें करते हैं पर उन मुकदमों के बारे में कुछ कहते नहीं। मगर फिर भी मेरे मन में यह होता है कि राज्य कर्मचारियों के मन कहीं भी कोई दरार रह गई हो -उस दरार को भी खत्म किया जाना चाहिये। सरकार ने आगे बढ़कर सद्भावना का हाथ बढ़ाया और इस दृष्टि से जहां तीन तरह के मुकदमें रहे आरसन लूट पात के, इनटिमिडेशन के पिछली स्ट्राइक के सिलसिले में तो उन सारे मुकदमों को भी वापिस ले लिया जावेगा यह सरकार ने फैसला किया है।

अध्यक्ष महोदय, मगर मैं फिर यह आशा करके चलता हूं कि सरकार अपनी ओर से अब यह विश्वास लेकर चलती है कि राज्य कर्मचारी इस प्रकार की स्पिरिट को रैसीप्रोकेट करेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : विद्यार्थियों के बारे में भी बता दीजिये। उनके केस भी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस हड़ताल में कुछ पोलिटिकल वर्कर और ट्रेड यूनियम वर्कर जोइन्टली या अलग अलग पकड़े गये हैं। उनके बारे में भी क्या आपने कोई निर्णय लिया ?

श्री हरिदेव जोशी : इन मामलो में कोई स्नेप डिसीजन तो हो नहीं सकता है। अगर ऐसे केस मेरे समक्ष लाये जावेंगे तो उनको देखकर फैसला करने की मैं कोशिश करूंगा।

एक प्रकार के केस और चल रहे हैं। नशाबन्दी आन्दोलन के सिलसिले में सत्याग्रह हुआ था और अजमेर में चार मुकदमें चल रहे हैं ऐसे उनको भी विथड्रा करने का फैसला सरकार ने कर लिया है।

श्री केदारनाथ : आन्दोलन वापिस ले लिया क्या उन्होंने ?

एक सदस्य : आन्दोलन तो चलेगा ही।

श्री हरिदेव जोशी : क्यों, आपको ऐतराज है ? जोधपुर के विद्यार्थी आये थे मेरे पास। मैंने उनसे कहा कि आप मुझ से मिल लीजिये बाद में। मैं बात करूंगा आपसे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उदयपुर का भी मामला है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास आया नहीं है। हां, उदयपुर युनिवर्सिटी के सवाल में कुछ रगड़ा-झगड़ा है। उनके केसेज को विथड्रा करने का गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है....

मैं एक चीज को साफ कर दूं, किसी भी प्रकार के इश्यूज के बारे में हमारा कोई सख्त कदम नहीं होगा....

श्री पी. के. चौधरी : गवर्नमेंट कालेज जोबनेर का....

श्री हरिदेव जोशी : आपकी कान्सीट्यूऐन्सी का सवाल है ?

श्री पी. के. चौधरी : जी।

श्री हरिदेव जोशी : सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

एक माननीय सदस्य : किशनगढ़ के छात्रों के बारे में...

श्री हरिदेव जोशी : जिन केसेज को देखा ही नहीं है, समझा नहीं है क्या है, मैं जानता नहीं, मगर एक चीज कहना चाहता हूं। किसी पर मुकदमा चलाकर रेवेन्ज की भावना सरकार की कतई नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं किन्हीं भी केसेज की जानकारी है, गवर्नमेंट को दे दीजिये हम स्पष्ट कह देंगे कि विथड़ा कर लेंगे अन्यथा कह देंगे नहीं करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पालिटिकल पार्टीज के बारे में...

श्री हरिदेव जोशी : पालिटिकल पार्टीज को भी हम उसी तरह से मीट करेंगे। और इन सारी चीजों के बारे में हमारा अप्रोच तो यही है। इस दृष्टि से मैं भी स्पष्ट कर दूं कि चाहे ट्रेड यूनियन के सवाल का कोई मूवमेंट हो, चाहे स्कूल में कहीं कुछ हुआ हो, मेहरबानी करके प्रापर वे में गवर्नमेंट के पास भेज दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन, उसकी रिकमन्डेशन्स और इन सारी चीजों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं ये सारी बातें वित्त मन्त्री जी के लिए छोड़ देना चाहता हूं। वे इन सारी चीजों पर प्रकाश डालेंगे। किन्तु मैं सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के प्रति आभार प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। अगर सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन हमारी मदद के लिये नहीं आता तो अगले एक अप्रेल से भी हमारी हालत वही होती जो पिछले दिनों हमारी रही है...

(कई माननीय सदस्यों के व्यवधान करने पर, अश्रव्य).

पहले से शुरू हो गई थी...

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या ज्यादा गम्भीर हो गई थी उससे पहले...

श्री हरिदेव जोशी : उससे ज्यादा तारीख याद हैं लेकिन कहना नहीं चाहता। हम ऐसा मानकर चलते हैं, हार्ड फैक्ट है। तो अध्यक्ष महोदय, मिनस्थ फाइनेन्स कमीशन के रियेलिस्टक व्यू के लिये मैं आभार प्रगट करता हूं। हमारे साथ न्याय किया, मैं यह आशा लेकर चलता हूं फाइनेन्स कमीशन एन. डी. सी. भी अवहेलना करके चलेगी, कि स्टेट के साथ में क्वान्टम आफ असिसटेन्स और गाईडेन्स आफ असिस्टेन्स कैसी होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों को, जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में भावनाएं व्यक्त की हैं उनको और उन सब माननीय सदस्यों को जिन्होंने सुझाव दिया है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि अनाज की कमी, इसेन्शियल कमोडिटीज की कमी केवल सरकार का ही सरदर्द नहीं होना चाहिये, पूरे प्रान्त और पूरे राजनैतिक लोगों का सिर दर्द होना चाहिये और मैं वह विश्वास चाहता हूं, मैं उन सबसे कन्सलटेशन करना चाहता हूं, गाईडेन्स लेना चाहता हूं इस इम्पलीमेन्टेशन के अन्दर और अपने व्यवहार के लिये भी कि कैसे काम करें और मुझे पूरा विश्वास है माननीय सदस्यों का सहयोग बराबर मिलता रहेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पंचायत चुनाव के बारे में आपने बताया नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : सब चीजें कहने की जरूरत नहीं होती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मगर खाद्य मन्त्रीजी के स्टेटमेंट के बाद हम यह उम्मीद करते थे कि तीन किलो से कम अनाज नहीं मिलेगा। कई स्थानों पर ऐसा हुआ है तीन किलो से कम कर दिया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने बताया था मैंने चेक-अप करने की कोशिश की है।

श्री रामकिशन : कहीं भी नहीं देंगे? भरतपुर शामिल है न? वहां मना कर आये थे...

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

Sorry प्रश्न यह है कि

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव, जो माननीय श्री गोटेवाला ने मूव किया है, उसको पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही आज चार बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 3-17 म. प. पर दिनांक 11-3-74 के सायं 4-00 बजे तक लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची)

ग्राम जाजीवाल कलां की अधिग्रहण की गई भूमि का विवरण

क्र.सं.	नाम भूमिधारी	खसरा नं.	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा	किस्म भूमि
1	2	3	4		5
1.	श्री रामदास पुत्र मुकनदास	132	49	1	बी-IV
2.	श्री कालु गिरधारी घोथा, गोकल पि. पूसाराम	133/1 133/2	20	0	बी-IV
3.	बैना पुत्र पोकर	138	26	2	बी-I
4.	नैना, गोपा पुत्र जयरूप चूनी	137	38	18	बी-I
	पत्नी देवा रामरख पुत्र लूणा	118	21	16	बी-II
5.	भोमदास पुत्र मुरलीदास	136	30	2	बी-II
6.	शिवनाथ पुत्र कालू	128	14	17	बी-II
7.	चुन्नीलाल पुत्र सुखराम	130, 135	21	0	बी-II
8.	शैतान पुत्र कालूराम	124	10	3	बी-IV
9.	श्रीराम करण पुत्र लूणां	121	13	1	बी-II
10.	घेवरराम पुत्र मोतीराम	126	16	7	बी-II
		154	9	0	बी-I
11.	नाथूराम पुत्र शिवनाथ	127	12	12	बी-II
12.	घेवर पुत्र भागीरथ	92	4	5	बी-II
13.	रूपा पुत्र जेठा, मोहन, भोमा, घेवर पुत्र अर्जुन	94	10	5	बी-II
14.	नाथू पुत्र बादर	149	29	8	बी-I
		151	5	5	बी-I
15.	गोपाराम पुत्र रूपा	150	23	10	बी-I
16.	गोकल, कालु माबू पुत्र बादा, शैतान पुत्र कालु	153	18	4	बी-I
17.	दौला पुत्र प्रभू	155	25	18	बी-I
18.	भंवरलाल पुत्र भानाराम	156	39	10	
19.	बालकंवर पत्नी भारतसिंह	158	52	16	बी-I

Page No. 88

(88)

1	2	3	4		5
20.	भंवरकंवर पत्नी भारतसिंह	158।2	24	00	बी–I
21.	डोली मन्दिर श्री रघुनाथजी पुजारी रामदास	157	6	19	बी–I
22.	बालदास, घमण्डीदास बंशीलाल पुत्र किशनदास	167	40	15	बी–I
23.	करनाराम पुत्र मूलाराम	166	14	13	बी–I
24.	लिछा, जीवा पुत्र रामाराम	168	53	5	बी–I
25.	बस्तीराम पुत्र नाथूराम	173	12	00	बी–I
26.	शंकरलाल पुत्र रामनारायण	172	35	00	बी–I
27.	पाबू शायर उमाराम कानाराम पुत्र गोकुलराम	175	85	77	बी–I
	कुल योग	45	786	15	

राजकीय भूमि

खसरा नम्बर		क्षेत्रफल		किस्म
		बीघा	बिस्वा	
139		54	75	बी–I
135		34	16	बी–IV
114		4[illegible]	13	बी–IV
129		9	70	बी–V
152		12	14	बी–I
5	योग	159	78	

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र में पशु चिकित्सा की व्यवस्था

106. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):** क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचोर में अभी तक पशु चिकित्सा को राज्य सरकार द्वारा बहुत कम व्यवस्था की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो किस प्रकार को व्यवस्था की गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र में चीतलवाना ग्राम एवं सूराचंद या भवातड़ा ग्रामों में पशु चिकित्सालय निकट भविष्य में खोलना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र में प्रसिद्ध पशु नस्ल कांकरेज के विकास के लिए सरकारी पशु प्रजनन फार्म नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त क्षेत्र में इस नस्ल का पशु प्रजनन फार्म कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

सांचोर में एक पशु चिकित्सालय, एक चल पशु चिकित्सा इकाई एवं माता उन्मूलन योजना चौकी की व्यवस्था की गई है।

(2) जी नहीं।

धनाभाव के कारण निकट भविष्य में यह सम्भव नहीं है।

(3) जी हां।

अभी निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है।

पंचायत समिति, सुमेरपुर के प्रधान द्वारा यात्रा भत्ते के रूप में उठाई गई राशि

107. **श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री बंशी लाल बाजदिया, प्रधान, पंचायत समिति सुमेरपुर प्रति वर्ष 3000/-रुपया यात्रा भत्ता लिया करते हैं ? अगर हां, तो यह यात्रायें कहां और किस प्रयोजना से करते हैं ? अगर नहीं, तो कितनी रकम जब से यह प्रधान चुने गये हैं तब से आज तक किस वर्ष में कितनी यात्रा भत्ते के रूप में उठा चुके है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि श्री बंशीलाल को भुगतान की गई रकम का आडिट ऐतराज हुआ और वसूली के लिए निर्देश हुये ? अगर हां तो एतराज किस किस वर्ष में कितनी रकम का है और क्या यह रकम

(श्री सज्जन सिंह)
उनसे वसूल की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि श्री बंशी लाल बालदिया तखतगढ़ के निवासी हैं और तखतगढ़ व पंचायत समिति सुमेरपुर के मुख्यालय सुमेरपुर के बीच दिन में दस यात्री बसें उपलब्ध होते हुए भी पंचायत समिति का वाहन तखतगढ़ मंगवाते हैं जो उन्हें सुमेरपुर ले जाकर पुनः तखतगढ़ पहुंचाने जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री बंशीलाल बालदिया ने प्रधान बनने के बाद ताशकंद की यात्रा की जिसका पूर्ण व्यय पंचायत समिति सुमेरपुर के कोष से किया गया ? यदि हां, तो कुल धनराशि कितनी खर्च की गई और पंचायत समिति के बजट में उक्त यात्रार्थ क्या कोई प्रावधान था ?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री बंशीलाल बालदिया के प्रधान बनने से आज तक निम्न प्रकार यात्रा भत्ते की राशि उठाई गई है :—

वर्ष	भुगतान की राशि
1965–66	1906.55
1966–67	1031.05
1967–68	1135.26
1968–69	2118.86
1969–70	1759.06
1970–71	961.75
1971–72	—
1972–73	1102.05
1973–74	917.23

(2) जी हां। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निम्न वर्षों के यात्रा भत्ता बिलों में निम्न प्रकार से ऐतराज किया गया है :—

वर्ष	ऐतराज की गई रकम
1968–69	1791.19
1969–70	390.42
1970–71	187.04

वर्ष 1968–69 में प्रधान द्वारा निजी कार से यात्रा किये जाने का 135.36 पैसे का जो अधिक बिल उठाया गया था, उसका आडिट द्वारा ऐतराज किये जाने पर प्रधान द्वारा ऐतराज किये जाने पर प्रधान द्वारा उक्त राशि दिनांक 15–7–71 को जमा करा दी गई है। बाकी रकम के सम्बन्ध में आक्षेपों को निरस्त किये जाने हेतु प्रधान द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को निवेदन किया गया है।

(3) श्री बंशीलाल बालदिया प्रधान तखतगढ़ के रहने वाले हैं परन्तु प्रधान द्वारा पंचायत समिति का वाहन निजी कार्य के लिये तखतगढ़ कभी नहीं मंगाया गया।

(4) यह सही है कि श्री बंशीलाल ने प्रधान बनने के बाद ताशकंद की यात्रा की। परन्तु यह सत्य नहीं है कि उन की उक्त यात्रा का सारा व्यय पंचायत समिति द्वारा वहन किया गया। पंचायत समिति कोष से केवल 900 रु. ही चुकाये गये हैं।

वाटर सप्लाई स्कीम ग्राम सादासर

108. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करें।

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सादासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर को वाटर सप्लाई स्कीम मन्जूर की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस स्कीम से किस किस गांव को पीने का पानी दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा स्कीम को अभी तक चालू नहीं किया गया ? यदि हां, तो कब तक चालू किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सादासर, लालमदेसर बडा व छोटा एवं उत्तम देसर को पानी देने का प्रावधान है।

(2) जी हां। आंशिक रूप से यह योजना इन गर्मियों में चालू की जा सकेगी।

दौसा उपखण्ड के मामले

109. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दौसा उपखण्ड के कितने मुकदमे राजस्व अपील अधिकारी व राजस्व मण्डल में है ? तथा जिलाधीश जयपुर के विचाराधीन कुल मुकदमें कितने हैं और उनमें से कितने दौसा उपखण्ड के हैं ? किस्मवार बताने का कष्ट करें।

(2) दौसा-उपखण्ड में कुल कितनी आराजी कृषि योग्य भूमि है ? कृपया किस्मवार बताने का कष्ट करें और ऐसे जिलो की आराजी कृषि योग्य भूमि की सूची सदन की मेज पर रखें जिनमें छः या इससे कम तहसील है ?

(3) राजस्थान के छः या इससे कम तहसील वाले जिलों की जनसंख्या दर्शाते हुए कृपया यह बताने का कष्ट करें कि दौसा उपखण्ड में सम्मिलित तहसीलों की जनसंख्या के समान उक्त जिलों में से किस तहसीलों की जनसंख्या है ?

(4) क्या यह सही है कि दौसा कस्बे में विद्युत, पानी, सड़क और रेल आदि की व्यवस्था है ?

(5) क्या राज्य सरकार दौसा उपखण्ड के मुकदमों की संख्या, आराजी कृषि योग्य भूमि व जनसंख्या के आधार पर कृषकों की सुविधा और उनके श्रम, समय पैसे की बचत की दृष्टि से इसे जिला मुख्यालय बनाना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लेगी ?

उत्तर

(1) ब्योरा परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(2) उपखण्ड दौसा में 241888 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। छः या इससे कम तहसीलों वाले जिलों की कृषि योग्य भूमि का ब्योरा परिशिष्ट 'ख' में अंकित है।

(3) ब्योरा परिशिष्ट 'ख' में अंकित है।

(4) जी हां।

(5) इस समय यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

92

परिशिष्ट 'क'

दौसा उप-खण्ड के मुकदमों की संख्या जो भिन्न भिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है वह निम्न प्रकार है:—

(1) राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर — सूचना एकत्रित की जा रही है।
(2) राजस्व मण्डल — ,, ,,
(3) जिलाधीश, जयपुर — 12 (राजस्व)
6 (फौजदारी)
(4) अतिरिक्त जिलाधीश, जयपुर — 14? (राजस्व)
46 (फौजदारी)

किस्मवार ब्योरा

किस्म मुकदमात न्यायालय जिलाधीश, जयपुर दिनांक 31-1-74 जो उपखण्ड दौसा के हैं :-

क्र. सं.	किस्म मुकदमात	दौसा	बसवा	लालसोट	सिकराय	योग
1.	राजस्व अपील	–	–	1	1	2
2.	म्युनिसिपल अपील	–	–	–	–	–
3.	निगरानी पंचायत	–	–	–	–	–
4.	मुतफर्रिक	6	3	1	–	10
	योग:-	6	3	2	1	12
	फौजदारी					
	मुतफर्रिक	1	5	–	–	6

किस्म मुकदमात न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) जयपुर दिनांक 31-1-74 जो उपखण्ड दौसा के हैं :-

क्र. सं.	किस्म मुकदमात	दौसा	बसवा	लालसोट	सिकराय	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व अपील	19	21	13	8	51
2.	म्युनिसिपल अपील	11	6	–	–	17
3.	निगरानी पंचायत	1	10	13	3	27
4.	मुतफर्रिक	13	14	17	4	48
	योग	44	41	43	15	143

फौजदारी

1	2	3	4	5	6	7
1.	नम्बरी मुकदमात	3	5	4	2	14
2.	अपील	2	1	–	–	3
3.	निगरानी	5	5	13	6	29
4.	मुतफर्रिक	–	–	–	–	–
	योग:—	10	11	17	8	46

परिशिष्ट ख

सूची जिले जिनमें 0 या इससे कम तहसीलें हैं। उनमें कृषि योग्य भूमि व जनसंख्या निम्न प्रकार है:—

जिले का नाम	तहसीलों की संख्या	जनसंख्या 1971 (प्रोवीजनल)	कृषि योग्य भूमि (1971-72) क्षेत्रफल हेक्टर में
टोंक	6	62549	630143
झालावाड़	6	621673	461950
सीकर	6	1039603	681959
अजमेर	5	1145927	832810
बांसवाड़ा	5	654922	506721
बाड़मेर	5	776336	2817158
बीकानेर	4	572237	2738342
झुन्झुनू	4	921637	592761
बून्दी	4	448370	557481
डूंगरपुर	3	529016	378140
जैसलमेर	2	166386	3883427
जालोर	4	667639	1056431
जोधपुर	5	1143455	2264437
सिरोही	5	423254	517930
दौसा उपखण्ड में सम्मिलित तहसीलों की जनसंख्या		488633	2,41,888

चन्द्रभागा मेले से आय

110. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालरापाटन में (जिला-झालावाड़) 1973 के चन्द्रभागा के मेले में दुकान टैक्स, मवेशी टैक्स, सिनेमा टैक्स, सर्कस की जमीन टैक्स आदि से कितनी कितनी आय हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कमला सर्कस से इकट्ठी रकम टैक्स की ली गई ? यदि हां, तो कितनी ? कमला सर्कस ने कुल कितनी लम्बी चौड़ी जमीन ली थी ?

(3) मेले में अस्थाई तौर पर कितने व्यक्ति नौकरी पर रखे गये ? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम व ग्राम तथा दी गई राशि दर्शाते हुए पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मेले में कुल खर्चा किस किस तरह कितना कितना हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची "क", सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां।
800) रुपये।
11,310 स्क्वायर फीट।

(3) सूची 'ख', सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची "ग", सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति शाहपुरा के लेखों की जांच

111. **श्री विजयसिंह राठौर** (मांडल): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे——

(1) क्या यह सही है कि शाहपुरा पंचायत समिति जिला भीलवाड़ा के दि. 2-11-70 से दि. 7-4-71 तक के पेटा काश्त एवं कृषि फार्मों के लेखों की विशेष जांच स्थानीय निधि अंकेक्षण राजस्थान द्वारा की गई थी ?

(2) क्या उक्त जांच की रिपोर्ट में तत्कालीन विकास अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र अग्रवाल के विरुद्ध तकनीकी अनियमितताएं, गबन, नियमों के विपरीत एवं कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करने, रेकार्ड में काटफास, खरीद फरोख्त में गड़बड़ी, अनियमित नियुक्तियां, अनियंत्रित व्यय, आय के संदेहास्पद अंकन आदि के गंभीर आरोप लगाए गए थे ?

(3) क्या उक्त रिपोर्ट में सहायक परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण ने पंचायत समिति शाहपुरा को हुई निम्न धनराशि की हानि के लिए तत्कालीन विकास अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र अग्रवाल मूल रूप से उत्तरदायी ठहराया था :-

पेटा काश्त	16,72,307 रुपए
कने हुए कला कृषि फार्म	23,676 रुपए
पौधशाला	41,531 रुपए
कुल योग	17,37,514 रुपए

(श्री विजय सिंह राठौड़)

(4) क्या अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी भीलवाड़ा ने अपने पत्र संख्या 44689 दि. 5-11-71 जो सहायक परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण को लिखा था, में उपरोक्त सभी आरोपों की पुष्टि की थी ? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए क्या कार्यवाही की है ?

(5) क्या तत्कालीन जिलाधीश भीलवाड़ा की टिप्पणियों में श्री अग्रवाल के विरुद्ध सभी प्रकार के आदेश, निर्देश और सुझावों को नहीं मान, मनमाने ढंग से काम करने के आरोप हैं ?

(6) क्या सरकार ने प्रश्न के उपरोक्त खण्ड 2 में वर्णित विशेष जांच की रिपोर्ट पर श्री अग्रवाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? और नहीं तो क्यों ?

(7) क्या सरकार ने प्रश्न के खण्ड 3 में वर्णित पंचायत समिति शाहपुरा को हुई 17,37,514 रु. की हानि की पूर्ति तत्कालीन विकास अधिकारी श्री अग्रवाल से पूरी करने हेतु कार्यवाही की है ? यदि हां, तो अब तक कितनी पूर्ति हो चुकी है ? और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह तथ्य आंशिक रूप से सही है। श्री जगदीश चन्द्र अग्रवाल पर रिपोर्ट में कहीं भी गबन का आरोप नहीं लगाया गया है।

(3) मुख्य रूप से उत्तरदायी माना है, व्यक्तिगत रूप से नहीं।

(4) जी हां। नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां।

(6) श्री अग्रवाल के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(7) क्षतिपूर्ति का अभी प्रश्न ही नहीं उठता। अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण होकर उत्तरदायित्व निश्चित होने पर ही हानि की वसूली किया जाना सम्भव होगा।

लूणकरणसर क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था

112. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभिन्न कार्यक्रमों यथा डी. पी. ए. पी. अकाल सहायक, योजना मदों एवं अन्य मदों से मरूस्थलीय जिलों में कुल कितनी कितनी राशि 31 मार्च, 74 तक खर्च की जायेगी तथा उससे प्रत्येक जिले में कितने गांव एवं जनसंख्या लाभान्वित होगी ?

(2) क्या यह सही है कि लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के गांवों की पेय जल की गंभीर समस्या को देखते हुए वहां अब तक अपेक्षाकृत बहुत कम राशि खर्च की गई है ?

(श्री भीमसेन)

(3) पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में एवं बाकी चार वर्षों में पेय जल समस्या के समाधान हेतु कुल कितनी राशि निर्धारित है तथा उसमें से लूणकरणसर क्षेत्र के समस्त गांवों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 31 मार्च, 74 तक मरुस्थलीय जिलों में कुल लगभग 20.39 करोड़ रु. खर्च किया जा चुका। जिलेवार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की संख्या व जनसंख्या संलग्न है।

(2) जी हां। इस क्षेत्र में जल की उपलब्धी को देखते हुए खर्च ठीक हुआ है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल 58 करोड़ रु. खर्च करना प्रस्तावित है जिसमें से 50 करोड़ रु. जल प्रदाय योजनाओं पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है। पंचम पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में जल प्रदाय योजनाओं पर 5.70 करोड़ रु. खर्च किया जाना प्रस्तावित है। लूणकरणसर तहसील के समस्त गांवों की समस्या के समाधान करने हेतु लगभग 3.30 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी।

प्रश्न एक की सूची

मरुस्थलीय क्षेत्रों में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक जल प्रदाय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की जिलेवार संख्या

क्र.सं	जिला	लाभान्वित होने वाले कुल गांव	जनसंख्या	पूर्ण योजनायें गांव	जनसंख्या	निर्माणाधीन योजनायें गांव	जनसंख्या
1.	बीकानेर	155	93,584	82	48,267	73	45,317
2.	बाड़मेर	198	2,73,348	106	1,57,561	92	1,15,787
3.	चूरू	184	1,56,902	75	68,463	109	88,439
4.	जालोर	171	2,42,248	74	1,22,687	97	1,19,561
5.	जोधपुर	200	2,82,112	98	1,64,811	102	1,17,301
6.	जैसलमेर	114	64,578	43	35,921	71	28,597
7.	पाली	162	3,24,143	46	2,66,842	116	1,17,301
8.	नागौर	288	3,83,571	168	2,68,853	120	1,14,718
		1472	18,20,426	692	10,47,845	780	7,72,581

नसीराबाद में उप-तहसील

113. श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नसीराबाद नगर में उप-तहसील की स्थापना के लिये जिलाधीश अजमेर द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उप तहसील की स्थापना कब तक करदी जावेगी ? और अब तक स्थापित नहीं करने का क्या कारण हैं ?

उत्तर

नसीराबाद नगर के नागरिकों ने नसीराबाद में उप तहसील स्थापित कराने की जिलाधीश, अजमेर को इच्छा व्यक्त की है, जो उनके विचाराधीन है ।

नसीराबाद नगर में उप तहसील स्थापित करने का प्रश्न इस समय राज्य के विचाराधीन नहीं है ।

सहकारी भूमि विकास बैंक कोटा के सेवा नियम.

114. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी भूमि विकास बैंक कोटा में राज्य सरकार के व बैंक के स्वयं के बनाए गये, दोनों प्रकार के सेवा नियम लागू किये गये हैं ?

(2) क्या बिना किसी एप्रूवल के बैंक अपने बनाए नियम लागू कर सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बैंक ने कोई ग्रेड न होते हुए भी अपरेन्टिस अलग अलग राशि में नियुक्त किये हैं ।

(4) क्या अपरेन्टिस कर्मचारियों ने हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी दर्ज कर रखी है ? और बैंक ने फर्जी सर्विस ब्रेक कर उन्हें 4-5 दिन बाद पुनः नियुक्ति दी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या उचित कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सहकारी भूमि विकास बैंक कोटा के कर्मचारियों पर 1-7-72 से पूर्व राज्य सरकार के सेवा नियम लागू थे । इसके पश्चात् बैंक ने अपने बनाये सेवा नियम लागू किये हैं ।

(2) बैंक के उपनियमों के अनुसार संचालक मंडल बैंक का कार्य चलाने के लिए वैतनिक अथवा अवैतनिक कर्मचारी नियुक्त कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में उसके द्वारा बनाये गये व पंजीयक द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार उनके कर्त्तव्य निश्चित करता है ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां, । बैंक ने सर्विस ब्रेक की है । बैंक पर स्थाई भार नहीं पड़े और बढ़ते हुए कार्य में बाधा न हो बैंक द्वारा पुनः अस्थाई नियुक्तियां की गई हैं । यह बैंक का आन्तरिक प्रशासनिक मामला हैं जिस पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

श्रीमाधोपुर एवं लक्ष्मणगढ़ तहसील में हरिजनों के विचाराधीन मामले

115. श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले की श्रीमाधोपुर व लक्ष्मणगढ़ तहसील में काफी ऐसे केसेज हरिजनों व अन्य व्यक्तियों के विचाराधीन पड़े हैं जिनका नियमन सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों के मुताबिक हो जाना चाहिये था? यदि हां, तो उन व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) नियमानुसार नियमन नहीं करना क्या सरकारी आदेशों की अवज्ञा नहीं है? यदि हां, तो नियमन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया जावेगा ?

(3) क्या श्रीमाधोपुर तहसील के झाड़ली व लक्ष्मणगढ़ तहसील के मीरण ग्राम के काफी केसेज हरिजनों के विचाराधीन नियमन हेतु पड़े हैं? यदि हां, तो उनका उचित नियमन कब तक कर दिया जावेगा तथा जो देर की गयी उसके लिए क्या एक्शन लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सीकर जिले की श्रीमाधोपुर व लक्ष्मणगढ़ तहसीलों में हरिजनों व अन्य व्यक्तियों के कोई भी मामले नियमन हेतु विचाधीन नहीं है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं।

राजस्थान लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स से आय

116. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1973–74 में राजस्थान लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स के अन्तर्गत कितना कर वसूल होने का है और इस वसूली के प्रशासन के लिए कितना व्यय होने का अनुमान है ?

(2) वित्तीय वर्ष 1974–75 में उपरोक्त प्रशासन के लिए कितना व्यय होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1973–74 में राजस्थान लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स एक्ट के अन्तर्गत 20 लाख रुपये कर वसूल होने का अनुमान है व इस वसूली के प्रशासन के लिये लगभग 8 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

(2) वित्तीय वर्ष 1974–75 में उपरोक्त प्रशासन के लिए चोबीस लाख इकतालिस हजार रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

प्रतापगढ़ में सिनेमा भूमि की नीलामी

117. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ नगरपालिका तहसील प्रतापगढ़

(श्री हरलाल मीणा)
एरिया में मौजूदा बस स्टेण्ड की जमीन पर सिनेमा हाउस बनवाने के लिए लीज पर जमीन देने हेतु प्रशासक नगरपालिका ने नीलामी की तारीख 16-2-74 से 18-2-74 रखी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्टे देने का क्या कारण था ? स्टे किसने दिया और किसने करवाया ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका ने अपने एरिया में गांधी चौराहे के पास सीमेन्ट का बस स्टेण्ड नगरपालिका की धनराशि से पक्का बनाया हुआ है। यदि हां, तो बिना जानकारी किये स्टे देने का क्या कारण था ?

(3) क्या यह भी सही है कि मौजूदा सिनेमा हाउस पुराने अनाज भरने के गोदाम के भवन में चल रहा है जहां कोई सुव्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो प्रतापगढ़ सब डिवीजन क्षेत्र और शहर की जनसंख्या को देखते हुए क्या यहां सिनेमा हाउस बनाना जरूरी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) प्रशासक ने मौजूदा बस स्टेण्ड की भूमि पर सिनेमा हाउस बनाने के लिए भूमि को लीज पर देने हेतु नीलामी की तिथि 16-2-74 से 18-2-74 रखी थी। श्री समीरमल करारिया प्रोप्राइटर प्रताप टाकीज के प्रार्थना पर स्टे राज्य सरकार ने प्रशासनिक कारणों से दिया है।

(2) जी नहीं।

(3) मौजूदा सिनेमा हाउस भूतपूर्व प्रतापगढ़ स्टेट के समय से ही इसी भवन में चल रहा है। नगरपालिका के कथनानुसार इसमें आधुनिक सुविधायें नहीं हैं। मामले में निर्णय लिया जा रहा है।

(100)

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गंगानगर जिले की निम्न जल प्रदाय योजनायें शुरू की गई हैं:—

क्र. सं.	नाम	गांवों की सं.	लागत	वर्ष में स्वीकृति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	गेड़ावाली गोरिकियान	2	2.38	1970–71	योजना चालू है।
2	बोलावाली	1	2.81	"	कार्य प्रगति पर है।
3	धावन	1	2.04	"	"
4	नगराना	1	1.42	"	"
5	साबीवाला खुर्द	1	1.55	"	"
6	डाबलीमोलीवाला	1	5.77	"	"
7	मंडावाली	1	1.83	"	"
8	नीनान	1	0.73	1973–74	"
9	लालगढ़ जाटान	1	3.16	1972–73	"
10	फंफेना	1	3.74	1972–73	"
11	सालीवाला	1	1.53	1973–74	"
12	नीयराना	1	3.17	"	"
13	लीलावाजी	1	1.79	"	"
14	डाबलीकलां	1	0.91	1970–71	जन सहयोग की राशि जमा न होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न सं. 64 की सूची)

वर्ष 1973—74 में जिला जयपुर में स्वीकृत की गई जल प्रदाय योजनाओं की सूची:—

क्र. सं.	नाम	लागत	प्राप्त जन सहयोग	
1	राजनीता	2.51	6275/—	
2	फागी	3.50	8250/—	1-3-73
3	जम्वाराम गढ़	2.25	2500/—	
4	सिकन्द्रा	2.13	5075/—	
5	पदमपुरा गोनेर	5.58	—	
6	चितवारी	1.32	3300/—	

जयपुर जिले के ग्रामों की सूची जिनसे जन सहयोग प्राप्त किया जा चुका है किन्तु योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

क्र. सं. 1	नाम 2	प्राप्त राशि 3	विशेष विवरण 4
1	शिवदासपुरा	2500/—	वर्ष 73-74 में स्वीकृति हेतु विचाराधीन
2	हनवपुरा	2500/—	—
3	करैरी	3100/—	—
4	मन्डावरी	2920/—	—
5	कोटखावदा	2500/—	—
6	खवारानीजी	2500/—	—
7	हरसोली	2500/—	—
8	सॅथल	2500/—	—
9	सखुन	4500/—	—
10	कूदस	2500/—	—
11	वाहिका	4600/—	—
12	दूदू	8337.50	—
13	रायसर	2500/—	—

1	2	3	4
14	धौली	2500/–	–
15	रामगढ़ पचवाड़ा	2500/–	–
16	जाहोता	2500/–	–
17	हस्तेड़ा	2500/–	–
18	दान्तल	2500/–	–
19	सामोद	2500/–	–
20	डीडवाना	4500/–	–

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 66 की सूची)

बीकानेर जिले में आई. सी. डी. के ट्यूब वैल निम्न गांवों में खोदे गये:—

1. हिम्मतसर।
2. लाखूसर।
3. कुम्भाना।
4. सियाना।
5. खम्बाना।
6. बम्दाला।
7. बादनू।
8. सरेरा।
9. साधूना।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्नोत्तर 73 की सूची)

'सूची'

जिला झालावाड़ में सन् 73–74 में काबिल काश्त भूमि वन विभाग से रेवेन्यू विभाग में ली गई है उसका विवरण, नाम ग्राम, खसरा नम्बर व रकबा निम्न प्रकार है:—

क्र.सं. 1	नाम ग्राम 2	खसरा नम्बर 3	रकबा बीघा–बिस्वा 4	
1.	घनवास	(1) 48	20–11	
		(2) 49	6–11	
		(3) 50	1–09	
		(4) 51	1–11	
		(5) 52	3–18	
			योग: 34–00	
2.	नाखा	(1) 25	36–11	
3.	चोकड़ी	(1) 29	15–00	
4.	फोजलपुरा	(1) 50	40–00	
5.	पगारिया	(1) 666	8–00	योग: 138–00
		(2) 668	130–00	बीघा
			योग: 229.11	
6.	मानपुरा	(1) 2	20–00	
		(2) 6	35–00	
		(3) 173	33–00	
		(4) 185	12–10	
		(5) 171	5–09	
		(6) 8	53–09	
		(7) 4	52–00	
		(8) 172	42–09	
		(9) 55	10–00	
		(10) 54	37–00	
		(11) 30	50–00	
			योग: 350–17	

105

1	2	3	4
7.	बन्या	(1) 383	22.17
		(2) 384	60.00
			योग: 82.17

सूची 'ख'

सूची में दर्शाई गई भूमियां राजस्व में आई हैं उनमें से निम्नांकित का उनके सामने अंकित दिनांक को आवंटन किया जा चुका है।

नाम ग्राम	एलाटमेंट की तिथि	रकबा
ग्राम धनवास	12-7-73	34.00 बीघा
नाला	12-7-73	36.11 ,,
पगारिया	3-8-73	138.00 ,,

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 82 की सूची)

बून्दी जिले में गन्ना उत्पादन की पंचायत समितिवार तालिका

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	पंचायत समिति	गन्ने का क्षेत्रफल एकड़ में वर्ष 72–73	गन्ने का क्षेत्रफल एकड़ में वर्ष 73–74
1.	के. पाटन	1035	3528
2.	तालेड़ा	2129	3867
3.	हिण्डोली	3898	6119
4.	नेनवा	1417	3020
	योग:—	8479	15534

107

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 1974

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
35	नीचे से 1	तुशीघ्रता	शीघ्रता
37	नीचे से 14	पेन्शनस	पेन्शनर्स
41	ऊपर से 9	आर्याथ	आचार्य
43	ऊपर से 9	बद	बेद
44	ऊपर से 15	की	---
55	शीर्ष	अनुपस्थित सदस्यों के	---
55	शीर्ष	तारांकित	अतारांकित
58	ऊपर से 4	इसकी	इनकी
62	ऊपर से 5	किराये	किराये की
62	ऊपर से 11	उनके	इसके
64	नीचे से 10	को	---
86	ऊपर से 2	में	के
93	नीचे से 4	रष्ट्रीयकरण	राष्ट्रीयकरण
96	नीचे से 4	गया	---
113	ऊपर से 13	महोदयक्ष	महोदय,
117	ऊपर से 6	एजूकेश्शन	एजूकेशन
129	„ 8	सयय	समय
162	शीर्ष	अग्रंतर	अग्रेतर
163	नीचे से 10	ने	बने
164	नीचे से 15	बंटों	बेटे
166	ऊपर से 13	और	---
167	नीचे से 11	अनुसूचित	अनुचित
168	ऊपर से 3	पात	पाट
„	„ 10	स्पिरिट	स्प्रिट
„	नीचे से 6	ऐसे	---
176	ऊपर से 13, 14	प्रधान द्वारा ऐतराज किए जाने पर	---
185	ऊपर से 3	बनबाने	बनवाने
190	नीचे से 16	योग	---

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम विधान सभा के पंचम सत्र का 10 वां दिवस [संख्या 6

सोमवार,

दिनांक 11 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 4.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष. पदासीन)

1974-75 के आय-व्ययक अनुमान

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्रीजी।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने मार्लीद. विधान सभा चुनाव के समय जनता को यह कहा था कि····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बजाय तालियां बजाने के पेट बजाना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप श्री गिरधारी लालजी व्यास को जिता कर भेजिए, खजाने की चाबियां सुपुर्द कर दूंगा। यह सदन की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर आघात किया है और माननीय वित्त मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अत: मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री को इस सदन के अन्दर बजट प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है···

कई माननीय सदस्य : विराजिए, विराजिए।

मैं निवेदन करूंगा कि यह जनता के साथ···

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक मिनट सुन लीजिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : धोखा है। मैं चाहूंगा कि···

(शोरगुल-अव्यवस्था)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : श्रीमन् !

मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1973-74 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 1974-75 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

आर्थिक स्थिति

2. गत दो वर्षों से हम एक नाजुक आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं तथा इस समय देश की समूची अर्थ व्यवस्था में जिस प्रकार मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ गया है, वह हम सबके लिए एक गहन चिन्ता का विषय है। बंगला देश मुक्ति युद्ध के कारण जो आर्थिक भार पड़ा, वर्ष 1971 एवं 1972 में पड़े जबरदस्त सूखे के कारण अन्न उत्पादन में जो कमी आई, विद्युत् उत्पादन में जो कमी हुई एवं उसके कारण औद्योगिक उत्पादन में जो गिरावट हुई, विश्व में तेल मूल्यों में बार बार जो असाधारण वृद्धि हुई तथा आयात मूल्यों में जो बढ़ोतरी हुई, इन सबका कुल मिला कर हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव व असर पड़ा है। ऐसी

(श्री चन्दनमल बैद)

नाजुक हालत को प्रकारण की जाने वाली हड़तालों, तालाबंदियों, कुछ धनी व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी आदि स्थितियों ने और भी बदतर बना दिया। हमारे लिये सबसे अधिक चिन्ता का विषय है, खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में बहुत तेज रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी। मूल्यों को नियन्त्रण में रखने हेतु सम्भावित उपाय करना इस समय सबसे अधिक आवश्यक है, किन्तु इसके लिए हम सबको एक साथ मिल कर सुनियोजित रूप से एवं रचनात्मक ढंग से कार्य करना होगा। इस विकट समस्या के समाधान का कुल मिला कर यदि कोई स्थायी उपाय हो सकता है तो वह एक ही है, उत्पादन में वृद्धि, विशेष कर कृषि उत्पादन में। इसके साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी इस प्रकार प्रभावशाली बनाना होगा जिससे लोगों को विशेष कर समाज के दुर्बल एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को खाद्यान्न एवं अन्य अनिवार्य वस्तुएं उचित मूल्य पर सही तरीके से मिल सकें। यह भी स्पष्ट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भी सन्तोषजनक परिणाम तभी प्राप्त हो सकते हैं जब उसके लिए पर्याप्त मात्रा में बफर स्टाक मौजूद हो। सरकार ने जो लेवी प्रणाली प्रारम्भ की है, वह इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर की गई है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली में अपनी ओर से पूरा सहयोग देने की कृपा करें।

3. सौभाग्य से वर्ष 1973 में वर्षा की स्थिति सन्तोषप्रद रही, हालांकि कई स्थानों पर फसलें अतिवृष्टि या बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थीं। हम रबी की फसल के बहुत अच्छे होने की आशा कर रहे थे लेकिन हाल ही के शीत लहर के प्रकोप तथा जाड़े की मावठ न होने के कारण इसमें काफी कमी हुई है। फिर भी, वर्तमान अनुमानों के आधार पर, चालू कृषि वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन 71 लाख टन होने की संभावना है।

4. वर्ष 1972 में अनावृष्टि के कारण पड़े सूखे पर किये गये अधिकांश व्यय का भार चालू वित्तीय वर्ष 1973-74 में पड़ा है। इसके अलावा, हमें बाढ़ राहत कार्यों पर भी पर्याप्त व्यय करना पड़ा है। मैं हर्ष के साथ कह सकता हूं कि सीमित साधनों के बावजूद भी राहत कार्य पर्याप्त शीघ्रता एवं कुशलता के साथ संचालित किये गये तथा सूखा और बाढ़ पीड़ितों को ठीक समय पर सही तरह से राहत मुहैय्या की गई। कुल मिला कर बाढ़ तथा सूखे से निबटने के लिए 69.32 करोड़ रुपये व्यय किए गए जिसमें से वित्तीय वर्ष 1973-74 में 56.44 करोड़ रुपये का खर्च पड़ा। हम ड्राउट प्रूफिंग के इस प्रकार के कार्यक्रम भी चला रहे हैं जिनसे आने वाले वर्षों में इस प्रकार के सूखे से पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके।

चतुर्थ योजना का पुनरावलोकन

5. वर्ष 1973-74 के साथ ही चतुर्थ योजना अबाध समाप्त हो रही है। इस अवधि में, राज्य योजना के अधीन विकास कार्यक्रमों पर 312.00 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा केन्द्रीय क्षेत्र

Page No. 110

(३)

(श्री चन्दनमल बैद)

(सेन्ट्रल सेक्टर) के, तथा केन्द्र संचालित स्कीमों एवं सांस्थानिक वित्तीय एजेन्सियों से सहायता प्राप्त स्कीमों के माध्यम से लगभग 300.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का और विनियोजन किया गया है। इसके परिणाम कोई कम महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। चतुर्थ योजना अवधि की समाप्ति तक, सात मध्यम सिंचाई योजनाएं अर्थात् पारबती, मेजा, मोरैल, बेड़च (बड़गांव), बेड़च (वल्लभ नगर), घोराई एवं खारी फीडर मुकम्मिल हो जायेंगी एवं कृषि पुनर्वित्त निगम के ऋणों एवं स्टेट प्लान फण्डस् की वित्तीय सहायता से 30 लघु सिंचाई योजनाएं भी कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। ऐसी आठ लघु सिंचाई योजनाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं। सिंचित क्षेत्र में भी वृद्धि होगी तथा 1968-69 में जो सिंचित क्षेत्र 21.18 लाख हेक्टेयर था वह 1973-74 में बढ़ कर 25.67 लाख हैक्टेयर हो जायेगा। चतुर्थ योजना अवधि में राजस्थान नहर क्षेत्र में बहुत तेज रफ्तार से प्रगति हुई है तथा नहर निर्माण कार्य पर 47.00 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इस प्रकार राजस्थान नहर परियोजना पर कुल व्यय 104.00 करोड़ रुपये हो चुका है। जहां वर्ष 1968-69 में इसकी सिंचाई क्षमता 1.64 लाख हैक्टेयर ही थी वह चालू वर्ष में बढ़कर 2.80 लाख हैक्टेयर हो गई है।

6. विद्युत् उत्पादन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जवाहर सागर परियोजना एवं राणा प्रताप सागर अणु विद्युत् शक्ति प्लान्ट की यूनिट एक का काम पूरा हो जाने से स्थाई विद्युत उत्पादन जो वर्ष 1968-69 में 174 मेगावाट था वह अब बढ़ कर वर्ष 1973-74 में 400 मेगावाट तक हो गया है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति के पीछे खर्च होने वाली बिजली के आंकड़े 26 किलोवाट प्रति व्यक्ति से बढ़ कर 60 किलोवाट तक हो गये हैं। विद्युतीकरण का काफी लाभ हमारे ग्रामीण अंचल के निवासी भाईयों तक भी पहुंचाया गया है। वर्ष 1968-69 तक केवल 2247 ग्रामीण बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया था किन्तु अब उनकी संख्या बढ़ कर 5850 हो जाएगी तथा इसी प्रकार विद्युतीकरण किए गए कुओं की संख्या 18795 से बढ़ कर 73000 हो जाएगी। इस प्रकार चतुर्थ योजना अवधि में 54000 से भी अधिक कुओं को बिजली दी गई है।

7. उन्नत कृषि प्रणाली, अधिक उत्पादन वाली फसलों के क्षेत्र में विस्तार तथा उनमें बीज आदि की समुचित व्यवस्था के परिणामस्वरूप चालू कृषि वर्ष में 71 लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न होने का अनुमान है जबकि चतुर्थ योजना अवधि के प्रारम्भ में उत्पादन क्षमता का आधार स्तर 63 लाख टन था। सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोतरी एवं कृषि प्रणालियों में सुधार होने से चतुर्थ योजना अवधि में तिलहनों एवं गन्ने के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। डेयरी विकास पर एवं पशुधन की संभाल पर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण एवं इसके मार्केटिंग की सुनियोजित व्यवस्था करने से, चतुर्थ योजना अवधि में दुग्ध उत्पादन 22.70 लाख टन से बढ़ कर 23.70 लाख टन तक हो गया है।

8. औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। चतुर्थ योजना अवधि में, वनस्पति

(श्री चन्दनमल बैद)

तेल, सीमेन्ट, पावर केबिल्स, सूती धागे, मशीन टूल्स, शूगर एवं नाइलान के धागे आदि के उत्पादन हेतु बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए हैं। बिजली की कमी आदि अनेक बाधाओं के बावजूद भी कुछ वस्तुओं के उत्पादन में तो बहुत सन्तोषप्रद वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ वर्ष 1973 के अन्त तक वनस्पति तैलों एवं उर्वरकों के उत्पादन में वर्ष 1969 के उत्पादन की अपेक्षा क्रमश: 480% एवं 96% वृद्धि हुई है। नाइलान के धागों सीमेंट माइका, इंस्यूलिशन ब्रिक्स एवं बाल बियरिंग के उत्पादन में भी वर्ष 1968 के उत्पादन की तुलना मे क्रमश: 28%, 15%, 65% एवं 18% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए राज्य वित्त निगम द्वारा दी गई ऋण सहायता के आंकड़ों से भी यह अन्दाजा हो सकता है कि इस दिशा में प्रगति के प्रयत्न किस प्रकार किये गये। 1964-65 से 1968-69 तक की पांच वर्ष की अवधि मे राजस्थान वित्त निगम ने 156 औद्योगिक इकाइयों को 4.50 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता प्रदान की थी। उम्मीद है कि चतुर्थ योजना अवधि में 1065 इकाइयों को 15.36 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की जा सकेगी। चतुर्थ योजना अवधि में राज्य सरकार ने आधारभूत सुविधाएं देने की प्रणाली जारी रखी है तथा उम्मीद है कि इस योजना के समाप्त होने तक 13 औद्योगिक क्षेत्रों में 1814 एकड़ औद्योगिक भूमि का विकास हो जाएगा तथा 252 औद्योगिक शेडों का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है। इन जिलों में रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इन 16 पिछड़े जिलों में से 6 जिले तो पूंजी विनियोजन पर 15% की दर से सबसीडी दिए जाने की स्कीम की सुविधा के भी हकदार हैं। राज्य में सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज में किया गया विनियोजन जो वर्ष 1966-67 में 16.86 करोड़ रुपये था वह वर्ष 1973-74 में बढ़ कर लगभग 100.00 करोड़ का हो गया है। राज्य सरकार एवं उसकी एजेंसियों के प्रयासों के परिणामस्वरूप चतुर्थ योजना अवधि में रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की संख्या 1846 से बढ़ कर लगभग 2800 हो गई है।

9. खनिज क्षेत्र में हुई सबसे उल्लेखनीय घटना झामरकोटड़ा मे राक फास्फेट की उपलब्धि है। चतुर्थ योजना अवधि के अन्त तक इन खानों से 7.95 लाख टन कच्चा धातु निकाला जा चुकेगा। इन खानों में 3.5 करोड़ टन के डिपोजिट होने का अनुमान सिद्ध हो चुका है। इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है कि इन समस्त बहुमूल्य डिपोजिटों को पूरी तरह निकाला जा सके। चतुर्थ योजना अवधि में कापर एवं आइरन ओर के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 1973 के समाप्त होने तक कच्चा माइका, सिल्वर, लैड कन्सन्ट्रेट, केलसाइट एवं फेलसपार के उत्पादन में वर्ष 1968 की बजाय क्रमश 114%, 48%, 114%, 91% एवं 42% की अधिक वृद्धि हुई है।

10. चतुर्थ योजना अवधि में सामाजिक सेवाओं और सुविधाओं में भी पर्याप्त वृद्धि

(5)

(श्री चन्दनमल बैद)

हुई है। इस अवधि में 2500 किलोमीटर लम्बी सड़कें और बन गई हैं। चतुर्थ योजना अवधि में राज्य में 2100 से अधिक प्राथमिक शालाएं, 3000 मिडिल स्कूल, 290 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 7 नए कालेज खोले गए हैं। सबसे अधिक सन्तोषजनक कार्य हुआ है गांवों में जलप्रदाय योजनाओं को चालू करने के सम्बन्ध में। इसके लिए राज्य योजना के तहत एवं केन्द्र संचालित स्कीमों के तहत दोनों ही स्रोतों से वित्तीय सहायता मिली है। वर्ष 196 - 69 में ग्राम जल प्रदाय योजना 225 ग्रामों में चालू थी परन्तु वर्ष 1973-74 में उनकी संख्या बढ़ कर 1427 हो गई। राजस्थान आवासन बोर्ड के तत्वावधान में गृह निर्माण कार्य मे उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बोर्ड चालू वित्तीय वर्ष में आवासन योजनाओं पर 370 लाख रुपये खर्च कर चुका है। इस समय जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर एवं अलवर में 4383 भवन निर्माणाधीन हैं जिनमें से इस वर्ष के अन्त तक 2655 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो जायगा।

11. इन सब प्रयत्नों से राज्य की आय में वृद्धि हुई है तथा वर्ष 1971-72 के मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 600 रुपये अनुमानित की गई है। यह अवश्य है कि विकास की दिशा मे जो भी प्रयत्न किये जाते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है यदि जनसंख्या और लेबर फोर्स बढ़ते रहें। 1971 एवं 1974 के बीच जनसंख्या में 8.51% तक की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

12. जहां तक बेरोजगारों को रोजगार देने का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में कोई निश्चित आंकड़े नहीं दिये जा सकते फिर भी मोटे तौर पर चतुर्थ योजना अवधि में लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार की सुविधाएं प्रदान की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं शिक्षित युवकों के लिए रोजगार प्रदान करने वाले अनेक कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से प्रारम्भ किये गये हैं। चालू वर्ष में भारत सरकार द्वारा आवंटित 2.76 करोड़ रुपये की राशि से एक हाफ-ए-मिलियन जाब्स प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया है। आशा है कि इस कार्यक्रम के तहत 20,000 शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में स्व-रोजगार (सेल्फ-एम्प्लायमेंट) प्रशिक्षण, सर्वे एवं विकास योजनाओं में सीधे रोजगार देने की स्कीमें शामिल हैं।

पांचवीं योजना

13. वर्ष 1974-75 पांचवीं योजना अवधि का प्रथम वर्ष होगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, राज्य की पांचवीं योजना का प्रारूप तैयार कर उस पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श हो चुका है। पांचवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य विकास योग्य क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र करना तथा समाज के अधिक से अधिक वर्गों के लोगों में उसके लाभ का वितरण करना है। गत बीस वर्षों में आयोजना के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि विकास का लाभ निर्धन एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों तक स्वतः नहीं पहुंच पाता। अतः पांचवीं योजना की नीति इस प्रकार से

(श्री चन्दनमल बैद)

निर्धारित की गई है कि व्यापक आधार पर आय का वितरण किया जाय ताकि सही तरह से विकास का लाभ बंट सके तथा आम लोगों की, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

14. पांचवीं योजना मे कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों पर तथा राज्य की औद्योगिक एवं खनिज क्षमता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में, ऐसे प्रयत्न किये जायेंगे कि सिचाई क्षेत्र को बढ़ाने, उन्नत कृषि प्रणालियों को लागू करने, बीज, खाद आदि की बेहतर सप्लाई करने आदि के कार्यक्रमों को समन्वित करके प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जा सके। राज्य की भू-जल क्षमता के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। पशुपालन के क्षेत्र में क्रास-ब्रीडिंग द्वारा, दुग्ध विपणन की समुचित व्यवस्था द्वारा एवं डेयरियों के विकास द्वारा विकास क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है। उत्पादकों को स्वयं इसका वास्तविक लाभ मिल सके तथा इसके साथ-साथ उन्हें सामयिक ऋण सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से डेयरियों का विकास सहकारिता क्षेत्र में किये जाने का प्रस्ताव है।

15. चम्बल एवं राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण में राज्य ने विपुल धनराशि खर्च की है। सिंचाई के पानी का समुचित ढंग से उपयोग करने के लिये पांचवी योजना अवधि में सिचाई क्षेत्र के विकास का एक समन्वित कार्यक्रम बनाया जायगा जिसमें सड़कों और मंडियों जैसी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण, विद्युतिकरण, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को लागू करना, भूमि समतलन, पानी की नालियां बनाना, वन संवर्द्धन एवं भूमि संरक्षण जैसे आधारभूत विकास कार्य शामिल होंगे। चम्बल क्षेत्र में सिचाई क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम में जल-निकास की सुविधाओं पर तथा वाटर लोगिंग, खारापन, वीड्स की अनियन्त्रित बढ़ोतरी आदि समस्याओं के समाधान पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जायगा। खेतों में पानी के उपयोग के लिये वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जायगा जिससे कि उत्पादन एवं आय दोनों में ही पर्याप्त वृद्धि हो सके।

16. औद्योगिक क्षेत्र में चतुर्थ योजना अवधि में प्रारम्भ किये गये विकास कार्यों को बड़े पैमाने पर चालू रखा जायगा तथा ग्राम एवं लघु उद्योग क्षेत्र को इस दृष्टि से मजबूत किया जायगा जिससे कि हमारे उन भाइयों को, जो इस प्रकार की सुविधा से वंचित रहे हैं, अधिकाधिक लाभ मिल सके तथा लोगों को रोजगार की अधिक सुविधा प्रदान की जा सके। खनिज क्षेत्र के विकास में हमारा लक्ष्य सर्वेक्षणात्मक गतिविधियों का विस्तार करना तथा उपयुक्त आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना होगा। उस रॉक फास्फेट का जिसका कि सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता है, आर्थिक रूप से लाभप्रद उपयोग के लिये अलग से एक नया खनिज विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। खानों को पट्टे पर देने से सम्बन्धित नियमों मे यह प्रावधान किया जा चुका है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों, बेरोजगार इन्जीनियरों, विकलांग भूतपूर्व सैनिकों तथा उन सहकारी

Page No. 114

(7)

(श्री चन्दनमल वैद)

समितियों को जिनके कि सदस्य स्वयं कार्य करते हैं, खानों के पट्टे देने में प्राथमिकता दी जाय ।

17. पथ परिवहन क्षेत्र में, हमने चतुर्थ योजना अवधि की समाप्ति तक 25 प्रतिशत बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर देने के वचन को पूरा कर दिखाया है तथा आशा है कि पांचवीं योजना अवधि में हम शत-प्रतिशत बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे जिससे न केवल स्थाई एवं कुशल यातायात का विकास हो सकेगा, अपितु राजस्थान यात्री एवं मालभाड़ा कर अधिनियम के अधीन उचित ढंग से वसूलियों की प्रकिया का संयोजन करके हम राज्य के राजस्व में वृद्धि कर सकेंगे ।

18. समाज के कमजोर तबके के लोगों में समाजिक सुविधाओं के उपयोग के स्तर को उन्नत करने की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप उन्हें शिक्षा, ग्राम्य जल प्रदाय, ग्राम विद्युतिकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषाहार एवं ग्राम्य सड़कों आदि की आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं देने के लिये पांचवीं योजना अवधि में तीव्र गति से एक कार्यक्रम चलाया जायगा । भारत सरकार ने पांचवीं योजना में गामीण क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों को भवन निर्माण का स्थान देने के तथा तीन बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों के एनवायरनमेन्टल इम्प्रूवमेंट के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है ।

19. उन मरुस्थलीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में जो इतने अर्से से प्राकृतिक अभावों के कारण पिछड़ेपन की अवस्था में चले आ रहे हैं उनके विकास कार्यों के लिए एक समन्वित कार्यक्रम प्रस्तावित है। मरुस्थल क्षेत्र के मूल स्त्रोतों के जिनमें पशुधन, भूमिगत जल एवं खनिज पदार्थ प्रमुख हैं, विकास के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं। आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी एक समन्वित विकास योजना तैयार की जा रही है तथा उसके लिए हम राज्य योजना में निर्धारित परिव्यय के अलावा और केन्द्रीय सहायता की उम्मीद करते हैं।

20. राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा केन्द्रीय सहायता के फार्मूले को अन्तिम रूप से तय न किए जाने के कारण पांचवी योजना का आकार अभी पूर्णतः निर्धारित नहीं हो पाया है। फिर भी अनुमान है कि राजस्थान की पांचवीं योजना का आकार चतुर्थ योजना के अनुमोदित परिव्यय के दुगने से भी ज्यादा होगा ।

वर्ष 1974–75 की वार्षिक योजना

21. अब मैं आपके समक्ष वर्ष 1974–75 की वार्षिक योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं का विवरण रखना चाहूंगा । योजना आयोग ने राज्य की वर्ष 1974–75 की वार्षिक योजना के लिए 79.80 करोड़ रुपये की राशि का परिव्यय स्वीकार किया है । इस योजना के परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था निम्न उपलब्ध स्रोतों से की जाएगी :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. केन्द्रीय सरकार से सहायता	45.06
2. राज्य द्वारा जुटाए गए अतिरिक्त साधन	5.00

Page No. 115

(8)

(श्री चन्दनमल बैद) (करोड़ रुपयों में)

3. आवासन हेतु जीवन बीमा निगम से ऋण		1.00
4. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ऋण		0.80
5. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का डेप्रिसिएशन रिजर्व		2.98
6. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ऋण		
(क) सार्वजनिक	4.95	
(ख) जीवन बीमा निगम से	4.00	
(ग) ग्राम विद्युत निगम से	5.00	13.95
7. सार्वजनिक ऋण		
(क) राज्य आवासन मंडल	1.10	
(ख) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम	1.10	2.20
8. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का डेप्रिसिएशन रिजर्व		1.49
9. नगरपालिकाओं की जल प्रदाय स्कीमों के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण		1.50
योग..		73.98
वार्षिक योजना में घाटा ..		5.82

22. इस प्रकार 79.80 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था करने में 5.82 करोड़ रुपये की कमी पूरी नहीं हो पाती है। इसी बजट भाषण के दौरान आगे जाकर मैं स्पष्ट करूंगा कि इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है तथा किस प्रकार से 5.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाये जायेंगे।

23. वार्षिक योजना में 79.80 करोड़ रुपये के परिव्यय का मदवार आवंटन इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	6.49
2. सहकारिता	1.09
3. उद्योग एवं खान	3.26
4. परिवहन एवं संचार	6.10
5. सामाजिक एवं अन्य सामुदायिक सेवायें	20.88
6. जल एवं विद्युत विकास	40.55
7. अन्य सेवाएं	1.43
योग..	79.80

(श्री चन्दनमल बेद)

24. वार्षिक योजना के तहत 79.80 करोड रुपये के परिव्यय के अलावा, संस्थानिक वित्तीय एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न राज्य निगमों, मण्डलों, राज्य एजेन्सियों, सहकारी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विकास की गतिविधियों में लगभग 72 करोड रुपये के खर्च का और विनियोजन करने का अनुमान है। इसके अलावा, अगले वित्तीय वर्ष में केन्द्र संचालित स्कीमों पर कम से कम 20.08 करोड रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 1974-75 में सार्वजनिक क्षेत्र में विकास पर होने वाला कुल परिव्यय 171.88 करोड रुपये होने का अनुमान है।

25. चालू वित्तीय वर्ष के 69.48 करोड रुपये के खर्च को योजना के मुकाबले 1974-75 को 79.80 करोड की वार्षिक योजना कुछ थोडी ही बडी मालूम पडती है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि चालू वार्षिक योजना के अन्तर्गत लिए गए कार्यक्रम भी अगले वर्ष में जारी रखे जाएंगे क्योंकि चौथी योजना के दौरान शुरू किये गये इन कार्यक्रमों का भार अगले वित्तीय वर्ष से गैर-योजना मद पर पड़ेगा।

26. अगले वर्ष की वार्षिक योजना के आकार, उसकी वित्तीय व्यवस्था एवं उसके मदवार वितरण से आपको अवगत करा देने के बाद अब मैं अगले वर्ष की वार्षिक योजना के अधीन प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं।

27. कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रों में सिचाई सुविधा एवं अन्य साधन सुविधायें तो उपलब्ध कराई ही जायेंगी परन्तु इसके अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रम राजस्थान नहर एवं चम्बल के सिचाई क्षेत्र को विकसित करने का होगा। इसी प्रकार मरुस्थलीय जिलों के लिए समन्वित ड्राउट प्रूफिंग योजनाओं का कार्यक्रम भी प्रमुख होगा। सिचाई क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के तहत राजस्थान नहर के लिए 2.61 करोड़ रुपये एवं चम्बल के लिए 0.67 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग से रख दी गई है। इन दोनों सिचाई क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए हम अपनी ओर से जो कुछ खर्चा करेंगे उसी के अनुरूप हमें केन्द्रीय सहायता भी मिलेगी। सिचाई क्षेत्र एवं सघन कृषि क्षेत्र दोनों में ही अधिकाधिक कृषि विस्तार किया जायगा। बहुत बड़े क्षेत्र में लघु सिचाई कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण दिया जायगा। अल्प एवं मध्यमकालीन ऋणों के इस बड़े कार्यक्रम को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकारी बैंकों की 10 और शाखाएं खोली जायेंगी। भूमि जल विकास की एक योजना के तहत भूमिगत जल की क्षमता का सही रूप से निर्धारण करने के लिए एक विस्तृत बेसिन सर्वेक्षण किया जायगा एवं इसके लिए 50% सहायता भारत सरकार से मिलेगी।

28. पांचवी योजना के प्रथम वर्ष में एक समन्वित आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायगा। राज्य योजना के तहत सिचाई क्षेत्र के कार्यक्रमों सहित आदिवासी क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए 4.28 करोड़ रुपये का परिव्यय अलग से रखा गया है।

(10)

(श्री चन्दनमल बैद)

29. पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में 16.50 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत विकास कार्यों जैसे सड़कों, ग्राम विद्युतीकरण; जल प्रदाय, पोषाहार एवं स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा एवं भूमिहीनों के लिए भूमि स्थलों का विकास आदि पर जोर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में चतुर्थ योजना के अन्तिम दो वर्षों में बहुत से व्यापक विस्तार कार्यक्रम पहले ही प्रारम्भ किये जा चुके हैं। अब इन स्कूलों में प्रवेश संख्या को बढ़ा कर उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करने का ही प्रयत्न किया जाएगा। 6 से 11 एव 11 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले 1.25 लाख बालकों को और प्रवेश दिलाने का प्रस्ताव है तथा अगले वर्ष जिन 2700 प्राथमिक, मिडिल एवं माध्यमिक विद्यालयों में नई कक्षाएं खुलेंगी उनके लिए 4000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करने का भी प्रस्ताव किया गया है। अगले वर्ष 100 प्राथमिक शालाएं खोली जाएंगी तथा 100 प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

30. स्वास्थ्य क्षेत्र में 40 स्टाफ क्वार्टरों के अलावा 113 नये उप-केन्द्र और बनाए जाएंगे। 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शैय्या वाली डिस्पेन्सरियों में बदलने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। मेडिकल कालेजों में संलग्न एलोपैथिक अस्पतालों में अतिरिक्त उपकरण, दवाइयां एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आयुर्वेद के क्षेत्र में अगले वर्ष 25 नए आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाएंगे। अगले वर्ष में 154 ग्राम्य जल प्रदाय योजनाओं में से बहुत कुछ योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी जिससे 700 ग्रामों में रहने वाले लगभग 7 लाख लोगों को जल प्रदाय सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। इस कार्य के लिए 5.70 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। वर्ष 1974-75 में 7 नई नगरीय जल प्रदाय पुनर्गठन योजनाओं को प्रारम्भ किया जाएगा तथा वर्तमान में प्रारम्भ 20 नगरीय जल प्रदाय योजनाओं में से 12 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस पर 2.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। राजस्थान नहर में डिग्गियों के निर्माण के लिए तथा 2000 से कम आबादी वाले गांवों में अधूरे कुओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 80.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

31. सिंचाई क्षेत्र में जिन परिव्ययों का प्रावधान किया गया है वह मुख्य रूप से व्यास परियोजना में हमारे हिस्से के दायित्वों को पूरा करने के लिए एवं जाखम परियोजना के निर्माण कार्य को बढ़ाने के लिए है। राजस्थान नहर परियोजना में निर्माण कार्य के लिए केवल 9.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया जा सकेगा। सामान के मूल्यों के बहुत बढ़ जाने की वजह से राज्य सरकार के लिए इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त राशि आवंटित करना अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। इस लिए हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना मान लिया जाए। हमें आशा है कि भारत सरकार हमारे इस अनुरोध पर सहानुभूति-

(श्री चन्दनमल बैद)

पूर्वक विचार करते हुए इस परियोजना के लिये प्लान में किए गए प्रावधान के अलावा भी कुछ अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी।

32. विद्युत क्षेत्र में भी 1000 बस्तियों में विद्युतीकरण करने एवं 15000 कुओं को बिजली देने का प्रस्ताव है। आने वाले वर्ष में वितरण प्रणाली को बढ़ाने की योजनाओं को भी तीव्र गति से लागू किया जाएगा।

33. हमें उम्मीद है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के तत्वावधान में स्थापित स्कूटर फैक्ट्री में सितम्बर 1974 से स्कूटरों का उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा। निगम द्वारा संचालित टेलिविजन, मिनिस्टील, कांच की बोतलों एवं केल्शियम कार्बाइड को परियोजनाएं भी पूरी होने जा रही हैं। टोंक स्थित लेदर टेनैरी में भी 1974 में उत्पादन होने लगेगा। ग्राम एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ चुने हुये जिलों में समन्वित सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी तथा ऋण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रमुखतः लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के लिये राज्य सरकार राजस्थान वित्त निगम की हिस्सा पूंजी में 10.00 लाख रुपये का अंशदान करेगी। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में स्वैच्छिक एजेन्सियों की सहायता से शहरी क्षेत्रों में 1000 गृह उद्योग स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

छठा वित्त आयोग

34. यह तो माननीय सदस्यों को विदित ही है कि छठे वित्त आयोग ने अक्टूबर 1973 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी एवं इसकी सिफारिशों को भारत सरकार ने दिसम्बर, 1973 में स्वीकार कर लिया था। छठे वित्त आयोग के विचारणीय विषयों पर हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की प्रति मैंने माननीय सदस्यों के बीच प्रसारित की थी। आयोग के समक्ष जिन प्रमुख मुद्दों पर जोर दिया गया था वे ये थे कि राजस्थान जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को, जिनके कि साधनों के स्रोत कमजोर हैं, विशेष रियायत दी जानी चाहिए तथा राशि हस्तान्तरण की योजना इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए कि उससे न केवल उनके नान-प्लान राजस्व के घाटे को यथार्थ रूप से निर्धारित कर भलीभांति पूरा किया जा सके, अपितु इस घाटे को, जहां तक संभव हो, विभाज्य करों एवं शुल्कों के रूप में राज्य के हिस्से में जो राशि आती है उससे अधिक से अधिक पूरा किया जा सके। हमने सूखा, बाढ़ आदि जैसे दैवी प्रकोपों का मुकाबला करने हेतु एक 'राष्ट्रीय विपदा कोष' स्थापित करने का सुझाव देते हुए कहा था कि उसमें सभी राज्यों तथा केन्द्र की ओर से वित्तीय योगदान होना चाहिए। जहां तक राज्य पर बढ़ते हुए ऋणभार की समस्या का सम्बन्ध है, हमने इसका समाधान करने के लिए कोई उचित एवं स्थाई हल ढूंढ निकालने हेतु निवेदन किया था तथा ऋण सम्बन्धी दायित्वों को कम करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाये थे।

35. मुझे माननीय सदस्यों को यह बतलाते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारी अधिकांश दलीलों को आयोग ने संतोषजनक मानते हुए अपने अवार्ड के अधीन बहुत कुछ

Page No. 119

(12)

(श्री चन्दनमल बैद)

राशि हस्तान्तरित की है। जहां चौथे एवं पांचवें वित्त आयोगों ने क्रमश: 130.41 करोड़ एवं 221.65 करोड़ रुपयों की राशि हस्तान्तरित की थी, वहां उनकी तुलना में वर्तमान छठे आयोग ने पांचवी योजना अवधि के लिये याने 1 अप्रेल, 1974 से 31 मार्च, 1979 तक राजस्थान को 563.92 करोड रुपये की राशि हस्तान्तरित करने की सिफारिश की है। हस्तानान्तरण की इस राशि में से 333.39 करोड़ रुपये तो विभाज्य करों एवं शुल्क के रूप में होगी तथा शेष 230.53 करोड़ रुपये की राशि धारा 275 के तहत देय अनुदान के रूप में होगी। इसके अतिरिक्त, बजट के पूंजीगत लेखों पर भी महत्वपूर्ण ऋण राहत दी गई है। आयोग के अनुमानों के अनुसार राजस्थान को पांचवों योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋणों में से 258.14 करोड रुपये की राहत मिलेगी। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि पांचवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान जैसे राज्यों के लिए नये ऋणों पर ब्याज के भुगतान की देयता को धारा 275 के तहत और दिये जाने वाले अनुदान द्वारा पुरा किया जाना चाहिए। आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये मामलों में से यह भी एक महत्वपूर्ण मामला था तथा हमें हर्ष है कि आयोग ने इसे स्वीकार कर लिया है।

36. अकाल राहत कार्यों की वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में राष्ट्र पर आने वाले दैवी प्रकोपों का मुकाबला करने हेतु एक 'राष्ट्रीय विपदा कोष' स्थापित करने की हमारी दलील को स्वीकार करना आयोग ने संभव नही पाया। आयोग की सिफारिश है कि प्रत्येक राज्य के लिए निश्चित की गई कुल योजना सहायता में से ही मध्यम दीर्घकालीन प्रकृति के सूखा राहत कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिए। तथापि, स्थानीय फसलों के नष्ट होने के कारण उत्पन्न संकट का निवारण करने हेतु सभी राज्यों के लिए एक साथ 50.71 करोड़ रुपये की राशि का एक वार्षिक प्रावधान रखे जाने की आयोग ने स्वीकृति दी है। इस राशि में से सबसे अधिक हिस्सा 10.19 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राजस्थान के लिए रखा गया है।

37. उपरोक्त सारे प्रावधान करते समय, आयोग ने कुछ नार्म्स प्राप्त कराने की दृष्टि से विद्युत मण्डल की कार्य प्रणाली में संचालन दक्षता में सुधार लाने तथा दरों को बढ़ाने की सिफारिशें की हैं। आयोग ने यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें विद्युत मण्डलों से थर्मल केपेसिटी के लिए दिए गए ऋणों पर 5 प्रतिशत की दर से तथा हाइडल केपेसिटी के लिए दिए गए ऋणों पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली करें। इस आधार पर आयोग ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान, राज्य के विद्युत मण्डल द्वारा राज्य सरकार को 49.79 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान को भी लेखे में शामिल किया है। प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वाणिज्यिक लेखे रखे जाते हैं, आयोग ने यह माना है कि पानी की दरों से प्राप्त आय इतनी पर्याप्त अवश्य होनी चाहिए कि जिससे कम से कम उनके रख-रखाव का खर्चा निकल सके। लघु सिंचाई कार्यों के मामले में आयोग की धारणा है कि इससे

(श्री चन्दनमल बैद)

होने वाली आय एवं उस पर होने वाले खर्च के बीच जो अन्तर चला आ रहा है, वह पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक कम से कम आधा हो जाना चाहिए। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर आयोग ने हमारे राज्य में सिंचाई कार्यों से होने वाली आय में हमारे द्वारा दिखाये गये आंकड़ों में 4.80 करोड़ रुपये अधिक जोड़े हैं।

38. कुल मिला कर छठे वित्त आयोग की रिपोट से हमें सन्तुष्ट ही होना चाहिए तथा आशा करनी चाहिए कि आयोग के अवार्ड के अन्तर्गत जो राशि हमें हस्तान्तरित की गई है, उससे राज्य की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत आधार पर लाने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। पर इसके साथ साथ, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमें अपने स्रोत अधिकतम संभावित सीमा तक तैयार करने होंगे। सिंचाई, विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों में किए गए भारी विनियोजनों से समुचित लाभ प्राप्त करने की तरफ भी पूरा ध्यान देना होगा।

संशोधित बजट अनुमान 1973-74

39. वर्ष 1973-74 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 1974-75 के बजट अनुमानों पर कुछ कहने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत एवं प्रदर्शित कर सकने की दृष्टि से भारत भर में बजट के लिए लेखा वर्गीकरण की एक नई पद्धति लागू की गई है। लेखा वर्गीकरण की इस नई पद्धति के अनुसार ही मैं आपके समक्ष यह आय व्यय का ब्यौरा पेश कर रहा हूं।

40. वर्ष 1973-74 के बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार हैं :—

(रुपये करोड़ों में)

		बजट अनुमान 1973-74	संशोधित अनुमान 1973-74
1.	राजस्व लेखे से प्राप्तियां	277.97	259.00
2.	राजस्व लेखे से होने वाला व्यय	306.62	315.73
3.	पूंजी लेखे में प्राप्तियां	154.89	180.22
4.	पूंजी लेखे में व्यय	143.43	129.71
	कुल बजट का घाटा	(-)22.19	(-)6.22

(श्री चन्दनमल बैद)

41. संशोधित अनुमानों में हम यह मान कर चले हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों पर हो रहे 56.44 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण व्यय को केन्द्र से प्राप्त सहायता द्वारा तथा हमारी ओर से अकाल राहत कोष में दिये जाने वाले 1.08 करोड़ रुपये के अंशदान द्वारा पूरा किया जायगा। हमने लेखे में स्पेशल वेज एण्ड मीन्स एडवान्स की 36.00 करोड़ रुपये की प्राप्ति को तथा गैर-योजना मद में बजट के घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्र से प्राप्त स्पेशल एकोमोडेशन के 0.56 करोड़ रुपयों को भी शामिल किया है। चालू वित्तीय वर्ष के 69.48 करोड़ रुपये के वार्षिक योजना परिव्यय को भी केन्द्रीय सहायता द्वारा, योजना के लिये हमारे स्वयं के अतिरिक्त स्रोतों को जुटा कर एवं सांस्थानिक वित्तीय एजेन्सियों से पूरा किया गया है। अतः चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में जो कुल घाटा 6.22 करोड़ रुपयों का दर्शाया गया है, वह केवल बजट के गैर-योजना मद में ही है।

बजट अनुमान 1974-75

राजस्व लेखे में प्राप्तियां

42. अब मैं 1974-75 के बजट अनुमानों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा। राजस्व से प्राप्तियां 293.96 करोड़ रुपये की आंकी गई हैं। मोटे तौर पर, ये प्राप्तियां निम्न मदों से होंगी :-

			(करोड़ रुपयों में)
1.	छठे वित्त आयोग की अवार्ड के अधीन प्राप्त		105.65
2.	केन्द्र से अनुदान सहायता		
	(क) राज्य योजना	13.52	
	(ख) केन्द्र संचालित योजनाएं	14.63	
	(ग) गैर-योजना	1.57	कुल 29.72
3.	राज्य की कर एवं कर-भिन्न (टैक्स एवं नान-टैक्स) आय		
	(क) करों से आय	89.85	
	(ख) कर-भिन्न आय	69.05	कुल 158.90
4.	केन्द्र संचालित स्कीमों के लिए अन्य प्राप्तियां		0.29
			योग 293.96

(15)

(श्री चन्दनमल बैद)

राजस्व से होने वाला व्यय

43. राजस्व लेखे से होने वाले व्यय का अनुमान 287.34 करोड़ रुपये रखा गया है। मोटे तौर पर यह व्यय निम्न मदों पर होगा :-

		(करोड़ रुपयों में)
1 सामान्य सेवाएं		99.57
(इसमें कुछ प्रमुख मद निम्न हैं) :-		
(क) ऋणों पर ब्याज का चुकारा	52.85	
(ख) पुलिस	16.07	
(ग) भू-राजस्व सहित कर-संग्रह में होने वाला व्यय	10.08	
(घ) पेंशन	5.65	
2. विकास सेवाएं		186.82
(इसके कुछ प्रमुख मद निम्न हैं) :-		
(क) शिक्षा	61.81	
(ख) चिकित्सा एवं परिवार नियोजन	20.19	
(ग) जन स्वास्थ्य एवं जल प्रदाय	10.04	
(घ) समाज कल्याण	4.59	
(ङ) कृषि एवं उससे सम्बद्ध सेवाएं	32.87	
(च) सड़कों एवं सिंचाई कार्यों सहित लोक निर्माण कार्यों पर रख-रखाव	13.06	
3 नगरपालिकाओं, पंचायती राज-संस्थाओं आदि को क्षतिपूरक सहायता अनुदान		0.95
	योग-	287.34

44. चूंकि राजस्व प्राप्तियां 293.96 करोड़ रुपया आंकी गई है और राजस्व लेखे से होने वाला व्यय 287.34 करोड़ रुपया आंका गया है, अत: राजस्व लेखे में 6.62 करोड़ रुपये का सरप्लस है।

पूंजी लेखे में संवितरण

45. पूंजी लेखे को, जिसमें लोक लेखा भी सम्मिलित है, स्थिति इस प्रकार है :-

	(करोड़ रुपयों में)
1. सार्वजनिक ऋणों का चुकारा	5.08
2. केन्द्रीय सरकार को ऋणों का चुकारा	30.68
3. स्वायत्त संस्थाओं को ऋणों का चुकारा	1.09
4. जागीर बोंडों पर भुगतान	1.80

(16)

(श्री चन्दनमल बैद)

5. पूंजीगत व्यय

(क) राज्य योजना	38.16	
(ख) केन्द्र संचालित स्कीमें	2.29	39.86
(ग) गैर-योजना	(-)0.59 कुल	

6. राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम का सवितरण

(क) राज्य योजना	8.56	
(ख) केन्द्र संचालित स्कीमें	3.62	
(ग) गैर-योजना	0.97 कुल	13.15
	योग-	91.66

46. ऊपर बताये गये सवितरण के मुकाबले में, पूंजी लेखे में, जिसमें लोक लेखा भी सम्मिलित है, कुल प्राप्तियां 81.27 करोड़ रुपयों की आंकी गयी है। ये प्राप्तियां इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपयों में)

1. सार्वजनिक ऋण		20.35
2. केन्द्र से ऋण		
(क) राज्य योजना	31.54	
(ख) केन्द्र संचालित स्कीमें	2.92	
(ग) गैर-योजना	0.84 कुल	35.30
3. स्वायत्त संस्थाओं से ऋण		
(क) राज्य योजना	1.80	
(ख) केन्द्र संचालित स्कीमें	2.19	
(ग) गैर-योजना	0.84	4.83
4. अल्प बचत संग्रह में राज्य का हिस्सा		6.00
5. ऋण और अग्रिम की वसूली		6.72
6. जागीर बोंड्स जारी करने से संभावित प्राप्त अंकित मूल्य (फेस वेल्यू)		0.25
7. लोक लेखे में सवितरण की शुद्ध प्राप्तियां		7.82
	योग	81.27

(श्री चन्दनमल वेद)

47. इस प्रकार पूंजी लेखे में, जिसमें लोक लेखा भी शामिल है, 10.39 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान किया गया है।

कुल बजट की स्थिति

48. इस प्रकार राजस्व लेखे में 6.62 करोड़ रुपए के सरप्लस को एवं पूंजी लेखे में 10.39 करोड़ के घाटे को मिलाने से वर्ष 1974-75 के बजट अनुमानों में कुल 3.77 करोड़ का घाटा अनुमानित है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 3.77 करोड़ रुपयों के इस घाटे में 1 मई, 1973 से भारत सरकार द्वारा दी गई दरों पर राज्य कर्मचारियों को महगाई भत्ता दिए जाने के निर्णय से होने वाले अतिरिक्त खर्चे को शामिल नहीं किया गया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य पर कुल 10.41 करोड़ रुपये का वार्षिक भार अनुमानित है। इसमें से 5.06 करोड़ रुपये के व्यय भार को तो वर्ष 1974-75 के बजट अनुमान में शामिल कर लिया गया है परन्तु शेष 5.35 करोड़ के भार के लिए अब और प्रावधान किया जाना है। 5.35 करोड़ रुपये की इस कमी को शामिल करने पर वर्ष 1974-75 में बजट का कुल घाटा 9.12 करोड़ होने का अनुमान है।

49. माननीय सदस्यों को याद होगा कि शुरुआत में 1974-75 के वार्षिक योजना परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था के बारे में बतलाते हुए मैंने कहा था कि योजना के लिए स्रोतों से पूरी न होने वाली कमी 5.82 करोड़ रुपये की रह जाती है। अतः बजट का कुल 9.12 करोड़ रुपये का घाटा इस प्रकार आता है:--

(करोड़ रुपयों में)

योजना मद का घाटा	5.82
गैर-योजना मद का घाटा	3.30
बजट का कुल घाटा	9.12

50. 9.12 करोड़ रुपये के इस बजट घाटे को किस प्रकार पूरा किया जाए तथा इसके अलावा 1973-74 के स्तर के मुकाबले 5.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन किस प्रकार जुटाये जाएं यह हमें देखना होगा। कुल मिला कर घाटा पूरा करने तथा योजना को वित्तीय व्यवस्था करने हेतु हमें 14.12 करोड़ रुपये जुटाने होंगे। इस आवश्यकता से प्रेरित होने के कारण ही मुझे अब बजट भाषण के उस हिस्से पर आना होगा जिसकी हमेशा उत्सुकता से प्रतीक्षा की जाती है; लम्बी चौड़ी आलोचनाएं होती हैं और जिसे आमतौर पर नापसन्द भी किया जाता है।

51. योजना स्रोतों में 5.82 करोड़ रुपये की कमी को दूर करने के लिए हम अनुमान करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष के गैर-योजना मद के घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा जो हमें स्पेशल वेज एण्ड मीन्स एडवान्स दिया जा रहा है, उसके चुकारे की उपयुक्त रिशिड्यूलिंग कर, इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। चूंकि योजना आयोग ने 79.80 करोड़ रुपये का जो परिव्यय स्वीकृत किया है वह पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए

(श्री चन्दनमल वैद)

न्यूनतम विनियोजन के रूप में है, अतः इस रिशिड्यूलिंग पर केन्द्र की सहमति प्राप्त होने की पूरी संभावना है।

52. जहां तक गैर-योजना मद में 3.30 करोड़ रुपये के घाटे का प्रश्न है, वह हम कम जरूरी खर्चों में कमी कर तथा करों की एवं कर-भिन्न (टैक्स एवं नान-टैक्स) राजस्वों की वसूली में सुधार व बढ़ोतरी कर पूरा करने का प्रयास करेंगे।

53. मैं अब यह बतलाना चाहूंगा कि वर्ष 1974-75 में योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था किस प्रकार करना प्रस्तावित है। 1 जनवरी, 1974 से राक फास्फेट के विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी करने से सरकार को होने वाली अतिरिक्त आय को योजना स्रोत के रूप में मानना भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। हमने राक फास्फेट के विक्रय मूल्य में 1 जनवरी, 1974 के बाद दो बार रिवीजन किया है। पहली बार 24 जनवरी से तथा दूसरी बार 1 मार्च से। इन दोनों रिवीजनों से 1974-75 में सरकार को 4.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। आपको याद होगा कि गत वर्ष के बजट भाषण में मैंने भूमि एवं भवन कर लागू किया था। पांचवीं योजना अवधि के दौरान भी इस कर से होने वाली आय को अतिरिक्त स्रोत मानने की हमें स्वीकृति मिल गई है। इससे 1974-75 वर्ष के दौरान 0.50 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान है। इन दोनों स्रोतों से वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना की वित्तीय व्यवस्था हेतु 5.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाई जा सकेगी, ऐसा अनुमान है।

54. जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है वर्ष 1971 के अन्तिम माहों में बंगला देश से आए हुए शरणार्थियों की सहायता एवं पुनर्वास के खर्चों के लिए साधन जुटाने के विशिष्ट प्रयोजन से कुछ कर लगाये गये थे। इनमें मनोरंजन कर, यात्री गाड़ियों पर सरचार्ज एवं राज्य के कानूनों के तहत जिन पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है उन दस्तावेजों पर अतिरिक्त सरचार्ज भी शामिल था। माननीय सदस्यों को यह भी विदित है कि 1973-74 का बजट पेश करते समय इन करों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों के सहायतार्थ करों में बदल दिया गया था। सूखा और बाढ़ राजस्थान के लिए करीब करीब हर साल की घटना है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये कर पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल तक सहायतार्थ करों के रूप में जारी रहें।

55. इसके अलावा मैं कोई नए कर प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं।

महत्वपूर्ण निर्णय

56. मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की उत्सुकता अब शांत हो गई होगी। मैं उन्हें अब कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देना चाहूंगा।

57. नई दण्ड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रेल, 1974 से प्रभाव में आ रही है। इस नई संहिता के अधीन कार्यपालिका से न्यायपालिका पूर्णतया अलग हो जाएगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम चिरकाल से प्रयत्नशील थे। हमें इस व्यवस्था के

(श्री चन्दनमल वैद)

अधीन पुलिस नियन्त्रण से स्वतन्त्र एक प्रोसीक्यूशन एजेन्सी की स्थापना करनी होगी। नई दण्ड प्रक्रिया संहिता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि राज्य सरकार ऐसे अभियुक्तों का बचाव पक्ष पेश करने के लिए स्वयं व्यय करेगी जो कि अपने खर्चे से वकील की नियुक्ति करने में असमर्थ हैं। कार्य-पालिका से न्यायपालिका को पूर्णतया अलग करने के कार्य में पर्याप्त अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा। प्रारम्भ में इस कार्य हेतु अगले वर्ष के बजट में 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

58. सरकार नगरपालिकाओं की आय के स्रोतों को बढ़ाने पर विचार कर रही है जिससे कि वे अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। यह तो माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि नगरपालिकाओं को राज्य सरकार से जो सामान्य अनुदान सहायता दी जाती है, वह नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर रहने वाली आबादी पर 50 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से दी जाती है। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष है कि अगले वर्ष से यह अनुदान सहायता बढ़ा कर एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जायगी। इससे 22.00 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान और देना होगा तथा कुल मिला कर वर्ष में नगरपालिकाओं को 44.00 लाख रुपये अनुदान सहायता देनी होगी। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि गत वर्ष सदन में मैंने यह इंगित किया था कि मैं नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर की आय में से अधिक हिस्सा देने पर विचार करूंगा। राजस्थान मनोरंजन विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 के अनुसार ऐसी नगरपालिकाएं जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व मनोरंजन कर की वसूली कर रही थीं, वे 1 अप्रेल, 1958 से पूर्व के तीन वर्षों में मनोरंजन कर से प्राप्त की गई वास्तविक आय के आधार पर कूंते गये औसत के बराबर वार्षिक क्षतिपूर्ति पाने की हकदार होती है। मैंने इस क्षति-पूर्ति की राशि को भी बढ़ा कर दुगुना करने का निश्चय किया है जिसके कारण इस अनुदान की राशि 8.89 लाख से बढ़कर 17.80 लाख रुपये हो जायेगी। इन दोनों कदमों के उठाए जाने से नगर-पालिकाओं को अब अगले वर्ष से 30.90 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलने लगेगी।

59. गत वर्ष के बजट भाषण में मैंने अस्पतालों में दवाइयों एवं खुराक के लिए 1971-72 के स्तर से 80 लाख रुपये अधिक का प्रावधान किया था। लोगों को और अधिकाधिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैय्या कराने की दृष्टि से मैं अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों में दवाइयों एवं खुराक के लिए अगले वर्ष के बजट में मौजूदा 2.40 करोड़ रुपये की राशि के स्थान पर 3.54 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि 1.14 करोड़ रुपये की इस बढ़ी हुई राशि से आम आदमी को इस दिशा में पर्याप्त राहत मिलेगी।

60. माननीय सदस्यगण हमारे यहां की सड़कों की दयनीय दशा पर प्रायः असन्तोष व्यक्त किया करते हैं। सीमित स्रोतों के कारण इस कार्य के लिए हम पर्याप्त साधन नहीं जुटा पा रहे हैं। फिर

Page No. 127

(20)

(श्री चन्दनमल वैद)

भी, इस स्थिति में सुधार की परम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए वर्ष 1974-75 के बजट में 1.46 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान कर रहा हूं। इससे वर्ष 1973-74 में रखे गये 3.95 करोड़ रुपये के मुकाबले में वर्ष 1974-75 में यह प्रावधान बढ़ कर 5.41 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 1974-75 में नई सड़कों के निर्माण के लिए भी हमने 5.29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे हमारी सड़कों की समस्या का काफी हद तक समाधान एवं सुधार हो सकेगा।

61. खेलकूद के क्षेत्र में भी हमारे स्कूलों के छात्रों एवं छात्राओं ने अखिल भारतीय स्तर पर कुछ उल्लेखनीय सफलताएं हांसिल की हैं। यह वास्तव में बहुत प्रसन्नता की बात है। हमें अपने युवकों में खेल कूद के प्रति इस प्रकार के उत्साह को बनाये रखने की आवश्यकता का भी पूर्ण एहसास है। अतः स्कूल खेल कूदों के लिए मैं पृथक् से 10.00 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

उपसंहार

62. श्रीमन्, अब मैं अपने बजट भाषण का उपसंहार कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि हम पूरी तरह से संकट से पार नहीं हो पाये हैं, फिर भी, राज्य की वित्तीय स्थिति ने बहुत कुछ बल एवं स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। यदि हम उचित आर्थिक अनुशासन बनाये रखें एवं आवश्यक सतर्कता बरतते रहें तो हमारे लिए राज्य की वित्तीय व्यवस्था को एक ठोस आधार प्रदान करना संभव हो सकेगा।

63. गत दो वर्षों से निरन्तर अनुभव की जा रही आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने उद्देश्यों एवं उपायों के प्रति हममें निराशा की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जन-जीवन का यह एक उल्लेखनीय लक्षण रहा है कि कठिनाइयों और संकटों की घड़ी में हमारा धैर्य और जोश और अधिक उभर कर सामने आता है। इसमें मुझे लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि हम अपने दृढ़, अनुशासित एवं सत्यनिष्ठ प्रयत्नों के द्वारा लोकतान्त्रिक समाजवाद के अपने पुनीत लक्ष्य की ओर निरन्तर आगे बढ़ते रहेंगे।

64. इन्हीं शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं वर्ष 1974-75 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 1974 को म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 4 बज कर 53 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

---

(21)

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 1974

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
3	नीचे से 17	प्र भव	प्रभाव
4	नीचे से 10	कायक्रम	कार्यक्रम
8	ऊपर से 12	ही	हो
10	ऊपर से 17	प्रशि,	प्रशि–
23	ऊपर से 10	हस्तातन्तरण	हस्तान्तरण
31	नीचे से 9	क्षण	ऋण
36	नीचे से 9	शात	शान्त
40	ऊपर से 9	बाजूद	बावजूद